ह. स. कं. क.

HSCC

एच एस सी सी (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

(एक मिनी–रत्न श्रेणी–I कम्पनी)

34वीं वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

34वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.)

दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड की 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें श्री संजीवा कुमार, (अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), डॉ. ए. के. गढ़पायले, (अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), श्री नवदीप रिनवा, (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), श्री सुधीर कुमार, (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), श्रीमती वन्दना जैन, (संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), श्री ज्ञानेश पाण्डेय, सी.एम.डी.– एच एस सी सी, श्री एस. के. जैन, निदेशक (इंजी.), श्री सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा श्री एल. सी. गुप्ता एवं पार्टनर्स (सांविधिक लेखाकार) तथा एच एस सी सी के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री जगत प्रकाश नड्डा
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण मंत्री

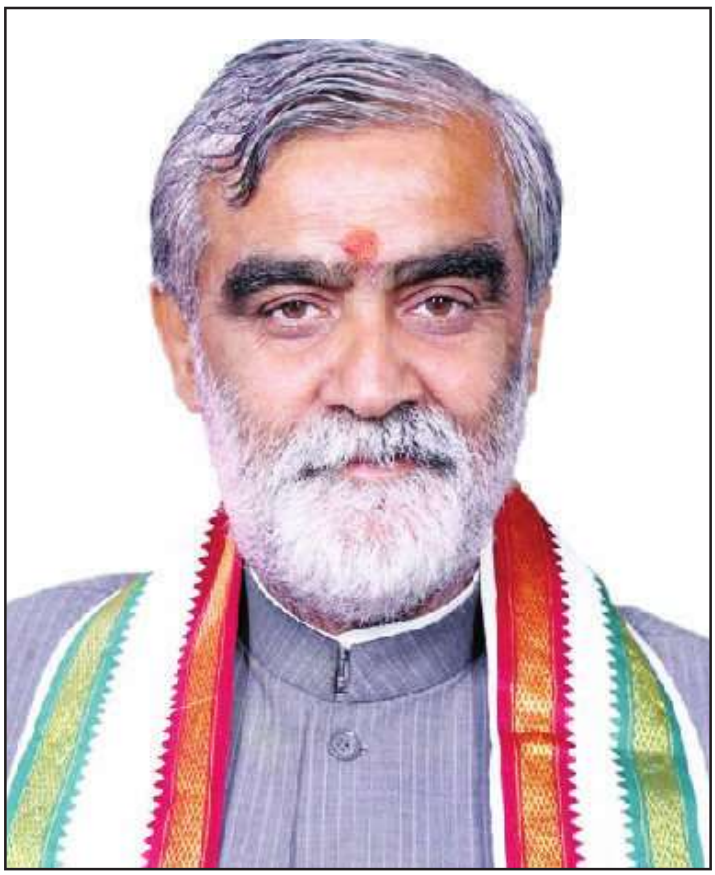

श्री अश्विनी कुमार चौबे
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण राज्य–मंत्री

श्रीमती अनुप्रिया पटेल
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य
एवं
परिवार कल्याण राज्य–मंत्री

श्रीमती प्रीति सुदान
माननीय सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

निदेशक मंडल

श्री ज्ञानेश पाण्डेय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती विजया श्रीवास्तव
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री नवदीप रिनवा
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री एस. के. जैन
निदेशक (इंजीनियरिंग)

विषय–सूची

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से 01

दृष्टि, लक्ष्य, कॉरपोरेट मूल्यांकन तथा कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति 04

सेवा वर्णक्रम 05

शेयर धारकों को सूचना 06

कार्य निष्पादन पर एक नजर 07

वित्तीय सारांश 08

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 09

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 25

सचिवालय लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट 28

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट 36

31.03.2017 को तुलन–पत्र 44

31.03.2017 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा 45

31.03.2017 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण 46

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (टिप्पणी संख्या –1) 47

टिप्पणी संख्या 2–19 52

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (टिप्पणी संख्या –20) 59

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से

प्रिय अंशधारकों,

एच एस सी सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से, मुझे आपकी कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम–सभा बैठक (ए.जी.एम.) में आप सभी का स्वागत करते हुये बेहद खुशी हो रही है। आज इस अवसर पर आपके आगमन तथा वर्ष के दौरान कम्पनी को आपके अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन के लिये मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ।

वर्ष 2016–17 की डायरेक्टर्स रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा–परीक्षक खाते पहले से ही आपके पास हैं तथा आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ने की आज्ञा चाहूँगा।

उलब्धियों की समीक्षा

जैसा कि आपने वार्षिक रिपोर्ट में देखा होगा, वर्ष 2016–17 के दौरान, हमने विकास की तर्ज पर तेजी से उन्नति करते हुये कॉरपोरेट रणनीति एवं गुणवत्ता के उच्चतम मानकों पर रहकर एक और वर्ष पूरा कर लिया है जो कम्पनी के शानदार वित्तीय परिणाम एवं उसकी मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि विशेषरूप से जब अर्थव्यवस्था में जबरदस्त मंदी और मुद्रास्फीति में अधिकतम गिरावट तथा व्यापार जगत में चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद कम्पनी ने बेहतरीन प्रदर्शन करके यह उपलब्धि हासिल की है।

मुझे आपको सूचित करते हुये खुशी हो रही है कि 31 मार्च, 2017 की समाप्ति तक आपकी कम्पनी ने प्रभावोत्पादक कार्य निष्पादन किया है।

मुझे शेयर होल्डर्स को यह बताते हुये खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल आय रूपये 1619.25 करोड़ हुयी है जो गत वर्ष में रूपये 1106.98 करोड़ थी। आय 46.28% बढ़ी है जोकि अब तक की उच्चतम आय है। परामर्श शुल्क वर्ष 2016–17 में रूपये 79.35 करोड़ रूपये हुयी है। गत वर्ष में रूपये 97.78 करोड़ रूपये थी।

कम्पनी ने कर पूर्व लाभ रूपये 56.16 करोड़ अर्जित किये हैं जो गत वर्ष में रूपये 86.87 करोड़ रूपये थी। कम्पनी ने कर पश्चात लाभ रूपये 37.61 करोड़ रूपये अर्जित किये हैं जो गत वर्ष में रूपये 54.62 करोड़ रूपये थे। वर्ष के दौरान, ब्याज वाले घटक संबंधित ग्राहकों को लौटाये गये तथा कर्मचारी खर्च में वृद्धि हुयी।

आपके सहयोग द्वारा, आपकी कम्पनी ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है जिसकी बदौलत एच एस सी सी भारत में ऊंचाईयों की ओर अग्रसर होकर तेजी बढ़ने वाले पी.एस.यू. का दर्जा हासिल किया है।

मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि कम्पनी ने वर्ष 2016–17 में वर्तमान वर्ष के लाभ से प्रदत्त शेयर पूंजी (पेड–अप कैपिटल) का 470.08% जोकि रुपये 11.28 करोड़ है, का लाभांश घोषित किया है। लाभांश घोषित करने के लिये कम्पनी का यह लगातार 33वां वर्ष है। इस वर्ष के लाभांश का भुगतान करने पर, भारत सरकार को भुगतान किया गया कुल संचयी लाभांश रूपये 68.09 करोड़ होगा जोकि कम्पनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 28 गुणा होगा।

हैल्थकेयर सैक्टर का प्रदर्शन

हैल्थकेयर सैक्टर का भविष्य विशेष रूप से भारत में अस्पताल के वैश्विक रूख की तुलना में बहुत उज्जवल है। भारत में भवनों के बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं, उपकरण, जनशक्ति और उनके प्रशिक्षण शर्तों और संबंधित क्षेत्रों में बहुत पीछे है, जिनमें कम्पनी को बहुत काम करना है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार की जनशक्ति पर प्रति व्यक्ति खर्च में भी बढ़ोतरी हो रही है, जोकि परिणामस्वरूप अन्य विकसीत देशों की तरह उन खर्चों में कमी करके चालू बुनियादी कार्यों में जोड़ा जायेगा।

जैसा कि आपने वार्षिक रिपोर्ट में देखा होगा, वर्ष 2016–17 के दौरान, हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उसके संस्थान, राज्य सरकारों से कुछ कार्य खुली बोली के माध्यम से कम्पनी को प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने का अवसर मिला है, वर्तमान वर्ष के दौरान, इसमें विभिन्न संस्थानों और चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के फलस्वरुप डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, परियोजनाओं एवं प्रापण प्रबंधन कार्य में अतिकतम टर्नओवर प्राप्त की है।

वर्ष 2016–17 में सुरक्षित महत्वपूर्ण प्रमुख परियोजनाएं

- एम्स, नई दिल्ली हेतु झझर, हरियाणा हेतु राष्ट्रीय कार्डियो वैस्कुलर संस्थान
- कोचिन केंसर एवं अनुसंधान केन्द्र – एर्रनाकुलम, केरल
- सिलीगुड़ी में ई.एस.आई.सी. हेतु 100 बिस्तरों वाला अस्पताल
- मॉरिशस में ई.एन.टी. अस्पताल

पुरस्कार और मान्यता

एच एस सी सी को व्यापक रूप में मिले पुरस्कार और मान्यतायें निम्नलिखित हैं :–

- दिनांक 26.05.2017 को नई दिल्ली में तीसरे डीजिटल इंडिया शीर्ष–सम्मेलन के आयोजन पर माननीय श्री रवि शंकर प्रसाद, केन्द्रीय विविध एवं न्याय, विद्युत एवं सूचना तकनीकी, भारत सरकार तथा माननीय श्री राजपाल सिंह शेखावत, केन्द्रीय उद्योग, एन.आर.आई. सरकारी उद्यम, डी.एम.आई.सी. , राजस्थान सरकार द्वारा हैल्थकेयर सैक्टर में बैस्ट गर्वमैंन्ट इनिशियटिव अवार्ड
- स्मार्ट एलेट्स हैल्थकेयर कॉन्क्लेव–2016 के आयोजन पर हैल्थकेयर सैक्टर में बैस्ट लीडरशिप अवार्ड

मिनी रत्न स्थिति

वर्ष 2002 में मिनी रत्न–श्रेणी–II के रूप में आंके गये पी.एस.यू. से बदल कर दिनांक 31.12.2015 से एच एस सी सी ने मिनी रत्न–श्रेणी–I के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा हासिल कर लिया है।

शीर्ष प्रबंधन लगातार लागत नियंत्रण, संसाधनों और सिस्टम में सुधार के अधिकतम उपयोग करके रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से कारोबार में निरंतर वृद्धि के साथ–साथ कर–पूर्व लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयास कर रहा है। कम्पनी ने वर्ष 2015–16 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशा–निर्देशों के अनुसार हस्ताक्षर करके समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के तहत '' सर्वश्रेष्ठ '' का दर्जा हासिल किया है। इसके अलावा, परिणामों के आधार पर वर्ष 2016–17 के दौरान, कम्पनी के समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के मूल्यांकन के अनुसार '' अति–उत्तम '' रेटिंग प्राप्त करने की उम्मीद है।

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

चुंकि कम्पनी की समस्त गतिविधियां स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के क्षेत्रों से जुड़ी हैं अतः अपनी सभी गतिविधियों और कार्यों में परोक्ष रूप से सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पित है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में, एच एस सी सी ने मै. आर्टिफिशिएल लिम्ब मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन द्वारा संचालित 05 कोचलियर प्लांट लगाने के लिये 33.45 लाख रूपये (तैंतीस लाख पैंतालिस हजार रूपये), केन्द्र सरकार द्वारा गंगा की सफाई एवं उसके उत्थान के लिये स्वच्छ भारत कोष के तहत ''गंगा सफाई कोष'' में 107.98 लाख रूपये (एक सौ सात लाख अठ्ठानवे हजार रूपये) तथा सी.एस.आर. परियोजना के तहत, हिसार, हरियाणा में स्पोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया (SAI) के तहत साई प्रशिक्षण केन्द्र के उन्नयन एवं निर्माण के लिये 50 लाख रूपये (पचास लाख रूपये) का अंशदान किया है।

विश्व–व्यापी कारोबार

आपकी कम्पनी ने सार्क–समूह के देशों में विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेशों में भी व्यापारिक अवसरों को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है।

वृद्धि पर दृष्टि

भारत और ओवरसीज देशों में स्वास्थ्य क्षेत्रों में मूल्य–वर्धित, अभिनव और एकीकृत सेवाएं प्रदान करने वाली विभिन्न सेवाएं, अन्य बुनियादी ढ़ांचा परियोजनाओं में अपनी कोर क्षमता का लाभ एवं अपने पेशेवर कर्मचारियों को एक बल–वर्द्धक और सक्रिय काम करने का माहौल पैदा करके परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने वाली एक अग्रणी कम्पनी के रूप में जाना जाये।

कम्पनी को विश्व स्तर के परामर्शी संगठन के रूप में विकसित होने के लिए अपने समस्त प्रचालन क्षेत्रों में विविधीकरण एवं रख–रखाव सेवाओं का विस्तार करके ग्राहक की आधारभूत आवश्यकता को मान्यता देना।

निगमित प्रशासन

कम्पनी के समस्त प्रदर्शन में व्यापार के नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के क्रम में अपने व्यवहार में पारदर्शिता और देश के कानूनों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, जैसे : देख–रेख, पारदर्शिता, अखंडता, व्यावसायिकता, जवाबदेही तथा उचित प्रकटीकरण के पहलु।

वर्ष 2016–17 में, निदेशकों के परिवर्तन होने के कारण लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी एस आर) समिति का पुनर्गठन किया गया है।

अभिस्वीकृति

अन्त में, निदेशक मण्डल तथा स्वयं अपनी ओर से, मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा हमारे सभी सम्मानीय हित–धारकों को धन्यवाद देता हूँ जिनका कम्पनी पर निरन्तर विश्वास बना हुआ हैं तथा जो हमारे प्रेरणा–स्रोत हैं। मैं अपने सभी सम्मानीय शेयर–धारकों को धन्यवाद देता हूँ जिनका बहुमूल्य समर्थन, मार्ग–दर्शन एवं सहयोग हमें निरन्तर मिलता रहा है और जो सदैव हमारे शक्ति–स्रोत रहे हैं।

मैं कम्पनी के मूल्यवान ग्राहक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए.), आयुष मंत्रालय, एम्स, पी.जी.आई., पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, केरल सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा उनके निरन्तर समर्थन और विश्वास के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। कम्पनी का ध्यान हमेशा की तरह ग्राहकों की संतुष्टि पर केंद्रित रहेगा।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.), सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों को भी उनके मूल्यवान सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा उनके सभी स्तरों पर कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और निरन्तर प्रयासों के लिये सराहना करता हूँ।

आपके द्वारा मुझे दिये गये इस सहयोग और समर्थन के लिये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी कम्पनी सफलता की नई बुलंदियों को छुयेगी।

धन्यवाद,

हस्ता./–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान :– नई दिल्ली
तिथि :– 30.11.2017

दृष्टि, लक्ष्य, कॉरपोरेट मूल्यांकन और कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति

दृष्टि

" भारत एवं ओवरसीज देशों में हैल्थकेयर से जुड़ी मूल्य–वर्द्धित, समन्वित एवं नवीनतम सेवाओं को उपलब्ध करवा कर इसके विद्वान संव्यवसायिक कर्मचारियों के साथ मिलकर विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में बल–वर्द्धक एवं कुशलतम कार्य–संस्कृति का निर्माण करने वाली प्रमुख कम्पनी के रूप में जाना जाये।"

लक्ष्य

" भारत एवं ओवरसीज देशों में भवनों का निर्माण एवं विकास तथा हैल्थकेयर तथा संबंधित अन्य क्षेत्रों में परामर्शदायी संबंधी सेवाओं तथा व्यापक संकल्पना, प्रोजैक्ट परियोजना, वास्तुविद्ध, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, प्रापण संबंधित कार्यों के विद्धता–पूर्वक ढ़ांचे को उपलब्ध कराना।"

कॉरपोरेट मूल्यांकन

- ग्राहकों की मूल्यवृद्धि पर विशेष ध्यान देना।
- संगठन के अन्दर सृजनशीलता एवं नवीनता को विकसित करना।
- विद्धता संगठन का सर्जन करना।
- टीम–स्प्रीट को अपनाकर हमारे समस्त कार्यकलापों को समर्थ बनाना।

कॉरपोरेट गुणवत्ता नीति

स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर परामर्शी सेवाएं प्रदान करके नेतृत्व और ग्राहक के प्रति विश्वास की भावना बनाए रखना ।

सेवा–वर्णक्रम

संकल्पनात्मक अध्ययन एवं प्रबंधन परामर्श

- आधारभूत सर्वेक्षण एवं आर्थिक अध्ययन
- जानपदिक सर्वेक्षण
- प्रणाली योजना
- व्यवहार्यता अध्ययन
- पुनर्संरचना / पुनर्गठन अध्ययन
- मूल्यांकन अध्ययन

प्रापण

- औषधियां एवं दवाईयां
- चिकित्सा उपकरण
- अन्य उपकरण
- संचार प्रणाली
- उपकरण
- फर्नीचर एवं जुड़नार

परियोजना प्रबंधन

- ठेकेदारों के चयन सहित परियोजना योजना तथा कार्य प्रदान करना
- परियोजना मॉनिटरिंग
- गुणवत्ता नियंत्रण
- निर्माण पर्यवेक्षण
- संविदा प्रशासन
- वित्तीय नियंत्रण

सूचना तकनीकी प्रणालियां

- स्वास्थ्य एम.आई.एस.
- कार्यप्रणाली समाकलन

सुविधा डिजाइन

- संकल्पनात्मक डिजाइन
- प्रमुख डिजाइन
- वास्तुविद्यात्मक डिजाइन / योजनाएं
- अभियांत्रिक डिजाइन
- उपस्कर योजना
- अपशिष्ट प्रबंधन
- डिजाइन समन्वय

अभियांत्रिक अध्ययन

- नवाचार / पुर्नवास
- आधुनिकीकरण / उन्नयन
- विस्तार
- उत्पादकता / कार्यक्षमता सुधार

लॉजिस्टीक्स एवं स्थापना

- परिवहन
- समाशोधन एवं अग्रेषण
- साईट वितरण
- अधिष्ठापन
- जांचना एवं चालू करना
- प्रशिक्षण

नए क्षेत्र (विविधता)

• इंजीनियरिंग और अनुरक्षण की सुविधाएं
• पशुओं के टीकों के उत्पादन की सुविधाएं
• दवाओं के उत्पादन की सुविधाएं
• विदेशों में मेडिकल पेशेवरों के प्रशिक्षण
• जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का विकास
• अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नए विकास की परियोजनाएं

सूचना

संख्या : एच एस सी सी / ए.जी.एम./34वीं/2017 दिनांक : 11.12.2017

यह इसके द्वारा **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि निम्न संबंधित गतिविधियों के सम्बन्ध में सोमवार, सायं 5 : 00 बजे, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को कमरा नंबर 249ए विंग, प्रथम तल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में कम्पनी की 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन** किया जा रहा है :–

सामान्य व्यापार

1. दिनांक 31.03.2017 तक के ऑडिट किये गये तुलन–पत्र संबंधित वर्ष के लिये लाभ–हानि खाता, कैश–फ्लो स्टेटमेंट, सांविधिक परीक्षक की रिपोर्ट, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट एवं प्रबंधन वर्ग के जवाब, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं उसके प्रबंध वर्ग का जवाब एवं निदेशकों की रिपोर्ट की प्राप्ति एवं अपनाने हेतु।
2. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए लाभांश की घोषणा।

कृते बोर्ड की ओर से आदेश

हस्ता./–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

स्थान : नई दिल्ली

सेवामें,

1. कम्पनी के समस्त शेयरधारक
2. कम्पनी के समस्त बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स
3. कम्पनी के सांवधिक लेखा–परीक्षक

टिप्पणियां :

1. बैठक में भाग लेने और वोट देने के हकदार सदस्य को स्वयं के बजाय वोट देने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और यह प्रॉक्सी कंपनी के सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सिओं जारी होने/प्रभावी होने के बाद कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा की जानी चाहिए, जो कि कंपनी की वार्षिक आम बैठक के शुरू होने के लगभग अड़तालिस आठ घंटे पहले की जाएगी।
2. नोटिस के साथ–साथ संदर्भित में प्रासंगिक दस्तावेज और स्पष्टीकरण के वक्तव्य, सदस्यों द्वारा बैठक के दिनांक तक और उस समय के कार्यकाल के दौरान, सदस्यों के रजिस्टर्ड कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले हैं।
3. बैठक में उपस्थिति दर्ज तथा मतदान करने का अधिकारी कोई सदस्य अपने स्थान पर प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है, जिसका कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
4. मैसर्स एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को नई दिल्ली को भारतीय महालेखाकार एवं नियंत्रक द्वारा इस कम्पनी का सांविधिक लेखाकार के रुप में नियुक्त किया गया है।

कार्य निष्पादन पर एक नजर

दिनांक 31.03.2017 को वर्ष की समाप्ति तक एक बार फिर कम्पनी के लेखों की समीक्षा करने पर उत्कृष्ट परिणाम अर्जित करते हुये अधिकतम कारोबार 161925 लाख रूपये तथा कर पश्चात लाभ (PBT – Profit After Tax) 3761 लाख रूपये हुआ है।

वर्ष 1983 से कम्पनी अपने अस्तित्व में आयी है जिसकी प्रदत्त शेयर पूँजी 40 लाख रूपये के परिणाम स्वरूप 240 लाख रूपये प्रदत्त शेयर पूँजी से बढ़कर बाद में इसने अपनी आरक्षित एवं सरप्लस पूँजी से 200 लाख रूपये के बोनस जारी किये हैं। दिनांक 31.03.2017 को कम्पनी का नेटवर्थ बढ़कर 19825 लाख रूपये हो गया है।

कम्पनी का उद्देश्य एवं रणनीति इस प्रकार बनायी गई है कि यह कम्पनी के व्यापार, आय एवं लाभ को बढ़ाये एवं नियंत्रित रखे। इस प्रकार कम्पनी की एक मजबूत बैलेंश–शीट होगी एवं शेयर–होल्डर्स को अधिक लाभांश मिलेगा।

हम अपने ग्राहकों को गुणवत्ता और समय सीमा दोनों को अपनाकर हैल्थकेयर क्षेत्रों में अपनी सर्वश्रेष्ठ, बेहतरीन, नवीनतम सेवाएं निरंतर प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

(लाख रूपये में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आय	5835	6045	57576	110698	161925
कर पूर्व लाभ	3600	3714	3795	8687	5616
निवल लाभ	2257	2398	2454	5462	3761
निवल मूल्य	**10587**	**12081**	**13933**	**17422**	**19825**
लाभांश	468	492	492	1638	1128
कुल आर्डर–बुक (शुल्क)	24928	30089	10835	27933	30874
समझौता ज्ञापन के अधीन कोटि निर्धारण	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	अति–उत्तम	उत्कृष्ट	अति–उत्तम (प्रत्याशित)

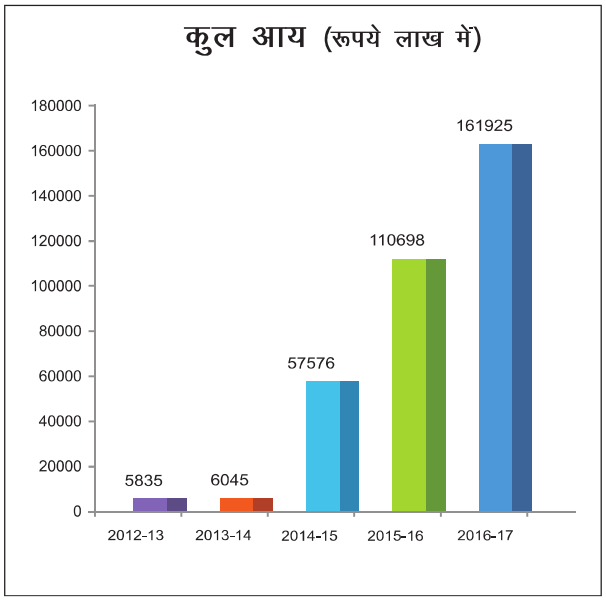

वित्तीय सारांश

इस दशक के वित्तीय परिणामों पर एक नजर

(राशि लाख रूपये में)

विवरण	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
वित्तीय निष्पादन										
प्रदत्त पूंजी	160	240	240	240	240	240	240	240	240	240
आरक्षित एवं सरप्लस	5695	6341	6999	7632	8708	10347	11841	13693	17182	19585
निवल मान	5855	6581	7239	7872	8948	10587	12081	13933	17422	19825
कुल स्थायी परिसम्पत्तियां	707	675	632	615	600	685	693	649	635	707
कार्यशील पूंजी	5105	5811	6440	7117	8568	10200	12053	14165	17519	24083
लगाई गई पूंजी	5855	6581	7072	7731	9168	10885	12746	14814	18514	24790
परिचालन आंकड़े										
परामर्श शुल्क	1740	1936	2097	2311	2929	3380	3919	49004	102180	151116
ब्याज और अन्य आय	1356	1337	1218	1034	1529	2455	2126	8572	8518	10809
कुल आय	3096	3273	3315	3346	4458	5835	6045	57576	110698	161925
व्यय	1711	1696	2002	1993	2048	2203	2287	53782	101948	156236
सकल लाभ	1385	1577	1313	1353	2409	3632	3758	3794	8750	5689
मूल्यह्रास	45	44	39	36	58	32	44	69	63	73
कर पूर्व लाभ	1340	1533	1274	1317	2352	3600	3714	3725	8687	5616
कर पश्चात लाभ	836	970	787	830	1472	2257	2398	2384	5462	3761
कराधान हेतु प्रावधान	503	563	487	487	880	1343	1316	1341	3225	1855
लाभांश	208	208	173	173	300	468	492	492	1638	1128
जनशक्ति										
कर्मचारी (संख्या में)	132	139	135	132	124	123	143	153	162	176
(नियमित वेतनमानों पर)										
अनुपात										
पी. बी. टी. / कुल आय (%)	43%	47%	38%	39%	53%	62%	61%	6%	8%	3%
शुद्ध लाभ / आय (%)	27%	30%	24%	25%	33%	39%	40%	4%	5%	2%
निवल लाभ / निवल मान	14%	15%	11%	11%	16%	21%	20%	17%	31%	19%
प्रति कर्मचारी अर्जन	23	24	25	25	36	47	42	376	683	920
प्रति कर्मचारी अर्जन (ई.पी.एस.) (रूपये)	523	404	328	346	613	940	999	993	2276	1567
प्रति–शेयर बुक–वेल्यू (रूपये)	3659	2742	3016	3280	3728	4411	5034	5805	7259	8260

वर्ष 2016–17 के लिये परामर्श शुल्क में 143182 लाख रूपये के समाप्त कार्यों के मूल्य शामिल है और 7934 लाख रूपये का परामर्श शुल्क शामिल है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवामें,

अंशधारकों,
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड

पंजीकरण तथा अन्य विवरण

i)	सी.आई.एन.	:	यू 74140 डी. एल. 1983 जी. ओ. आई. 015459
ii)	पंजीकरण तिथि	:	30.03.1983
iii)	कम्पनी का नाम	:	एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
iv)	श्रेणी	:	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
v)	पंजीकृत कार्यालय	:	205, ईस्ट इण्ड प्लाजा, प्लॉट नम्बर 4, डी.डी.ए.– एल.एस.सी. सेन्टर – II, वसुंधरा इन्क्लेव, दिल्ली – 110096
vi)	कॉरपोरेट कार्यालय	:	ई–6(ए), सैक्टर – 1, नौएडा – 201301
vii)	सूचीबद्ध कम्पनी	:	नहीं

परीक्षित लेखों का विवरण

आपके निदेशकों को कम्पनी के कार्यकलापों और प्रचालन से संबंधित 34वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वित्तीय उपलब्धि

वर्ष 2015–16 के तुलनात्मक आंकड़ों सहित वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान कम्पनी की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार दर्शायी गई है :–

(करोड़ रूपये में)

विवरण	2016-17	2015-16	2016-17 में में बढ़ोतरी (%)
सकल आय	1619.25	1106.98	46.27
सकल व्यय	1563.56	1017.41	53.68
सकल लाभ	55.69	89.57	-37.83
विशिष्ट एवं असाधारण मद	(0.47)	2.71	-117.34
कर पूर्व लाभ	56.16	86.86	-35.35
कराधान (निवल)	18.55	32.25	-42.48
कर पश्चात लाभ	37.61	54.61	-31.13
लाभांश	11.28	16.38	-31.13
निवल मूल्य	198.25	174.22	13.79
प्रति–शेयर अर्जित (रूपये)	1566.95	2275.47	-31.13

पूंजीगत ढांचा (Capital Structure)

वर्ष के दौरान समीक्षा करने पर कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी और प्रदत्त पूंजी 500 लाख रूपये और 240.01 लाख रूपये तक स्थिर रही है।

लाभांश (Dividend)

वर्ष 2016–17 के लिए कम्पनी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रदत्त शेयरपूंजी पर @470.08% की दर से कम्पनी ने लाभांश के रुप में 11.28 करोड़ रूपये की राशि अनुशंसित की है। यह वार्षिक आम सभा बैठक में सदस्यों के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। इसमें

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सिफारिशों अनुसार 30% पूर्व कर लाभ से लाभांश देने की सिफारिश की है। कंपनी निरंतर 33 वर्षों से लाभांश की घोषणा करती आ रही है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का वर्श 2016–17 तक संचयी लाभांश 68.09 करोड़ रूपये होगा।

सामान्य आरक्षित निधि का विनियोजन (Appropriation To General Reserve)

लाभांश और आयकर के लिए प्रावधान रखने के बाद निदेशक मण्डल ने लाभ एवं हानि खाते में लिखे शुद्ध लाभ में से 200 लाख रुपये (गत वर्ष 200 लाख रुपये) सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की सिफारिश की है। सरप्लस के अलावा 31.03.2017 तक संचयी सामान्य आरक्षित निधि 195.85 करोड़ रुपये (गत वर्ष 171.82 करोड़ रूपये) हो गयी है।

मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से निधि

मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से वर्तमान परिसम्पत्तियों तथा वर्तमान देनदारियों के विभिन्न मदों के तहत मानी गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :–

	मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से	31.03.2017 की स्थितिनुसार	31.03.2016 की स्थितिनुसार
क.	**वर्तमान परिसम्पत्तियां** (Current Assets)	रूपये करोड़ में	रूपये करोड़ में
	– नकद एवं नकद समकक्ष	1424.80	1247.29
	– अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	195.43	156.25
	– अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	383.45	277.12
		2003.68	**1680.66**
ख.	**वर्तमान देनदारियां (Current Liabilities)**		
	– अन्य वर्तमान देनदारियां	**2003.68**	**1680.66**

निष्पादन विशेषताएं (Performance Highlights)

कम्पनी अपने समस्त कार्यकलापों एवं गतिविधियों में निरन्तर प्रगति कर रही है। अपनी सेवाओं को विस्तृत करने हेतु कम्पनी द्वारा विभिन्न कारगर कदम उठाये जा रहे हैं। कम्पनी द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न तकनीकी सेवाओं के इस्तेमाल के लिये तकनीकी क्षेत्रों में उच्च डिग्री प्राप्त कुछेक विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं की सेवाएं ली जा रही हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान, कम्पनी को कुछेक प्रतिष्ठित एवं चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने तथा साथ ही डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन तथा चिकित्सा उपकरणों, दवाइयों एवं औषधि इत्यादि का भी काम मिला।

वर्ष 2016–17 के दौरान, एच एच सी सी ने 1619.25 करोड़ रूपये के कुल कारोबार पर 37.61 करोड़ का शुद्ध लाभ आदि किया है।

एच एस सी सी इस समय जिन प्रमुख परियोजनाओं में अपनी परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसकी सूची **अनुलग्नक – I** दर्शायी गई है :–

समझौता – ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

कम्पनी पिछले एक दशक से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करती आ रही है। कम्पनी को अच्छे परिणामों के लिये वर्ष 2015–16 हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा **''उत्कृष्ट''** आंका गया है तथा वर्ष 2016–17 के दौरान इसे **''अति–उत्तम''** किये जाने की प्रत्याशा है।

महत्वपूर्ण विनिवेश (Strategic Disinvestment)

निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कम्पनी समान रूप से सी.पी.एस.ई. के साथ विनिवेश रणनीति प्रक्रिया में लगी है।

शेयरों की पूर्व खरीदारी (Buy Back of Shares)

निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कम्पनी पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 25% तक की खरीद की प्रक्रिया में लगी है।

विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange)

(₹ करोड़ में)

	2016–17	2015–16
क. खर्चे (Expenditure)		
– यात्रा	0.06	0.10
– सी.आई.एफ. पूंजीगत माल पर आयात (ग्राहकों की ओर से)	25.36	27.40
ख. आय (Income)	–शून्य –	– शून्य –

मानव संसाधन (Human Resources)

एच एस सी सी कौशल प्राप्त कम्पनी है तथा जनशक्ति ही इसकी वास्तविक ताकत है किसी भी कम्पनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होता है। कंपनी में 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 176 कर्मचारी नियमित वेतनमान थे तथा जिनमें से 119 कर्मचारी स्थाई–कार्यकाल तथा 51 कर्मचारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 2 कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग का है। वर्ष भर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द–पूर्ण ताल–मेल बना रहा। कम्पनी संगठन में अल्प–संख्यकों के रोजगार का स्तर बनाये रखने का हर संभव प्रयास करती है। बदलते परिवेश में आवश्यकतानुसार, एच एस सी सी अपने कर्मचारियों के ज्ञान का निरन्तर उन्नयन करती आ रही है। वर्ष के दौरान, कम्पनी के कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रतिनियुक्त किया है ताकि उनकी दक्षता में और बढ़ोतरी किया जा सके।

कल्याण कार्यक्रम (Welfare Activities)

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निरन्तर अभिप्रेरित करने के लिए कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लिये विभिन्न सामाजिक लाभ मुहैया कराती है।

राजभाषा का अनुपालन एवं कार्यान्वयन (Implementation And Promotion of Official Language)

एच एस सी सी में वर्ष 2016–17 के दौरान राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में राजभाषा अधिनियम तथा इन नियमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के सक्रिय प्रयास जारी हैं। कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी के कार्यसाधक ज्ञान संबंधी जानकारी हेतु प्रेरित किया जाता है। सभी मानक प्रपत्र, फाईल आदि द्विभाषी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। हिन्दी में टिप्पण, प्रारूपण और पत्राचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हिन्दी में उत्साहवर्धक काम करने के उद्देश्य से कम्पनी में 12.09.2016 से 23.09.2016 के दौरान **हिन्दी पखवाड़ा** मनाया गया है, जिसके दौरान हिन्दी पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं हैं। इसके अलावा, कम्पनी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत नगर **राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा** इकाई की सदस्य भी है, जिसके तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं, बैठकों, संगोष्ठियों इत्यादि का प्रतिनिधित्व भी करती है।

कॉरपोरेट कार्यालय में आयोजित हिन्दी पखवाड़ा

सतर्कता (Vigilance)

यह कम्पनी एक छोटी परामर्शदायी संगठन है, इसलिए कम्पनी में अलग से कोई सतर्कता यूनिट नहीं है। वर्ष के दौरान, उप–महाप्रबंधक (विद्युत) श्री आर. के. अग्रवाल, अशं–कालिक, मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में दिनांक 14.11.2014 से तीन वर्ष की अवधि के लिये कार्यरत हैं। वर्ष के दौरान, सतर्कता प्रकोष्ठ एक महत्वपूर्ण विभाग के रूप में कार्यरत है। सतर्कता आयोग से समय–समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन किया जाता है तथा संबंधित निवारक उपायों को अपनाया जाता है तथा वार्षिक रिपोर्ट, तिमाही प्रगति रिपोर्ट निजी विदेशी दौरे मासिक रिपोर्ट तथा सीटीई संबधित जानकारी एजेंसी को समय पर दे दी जाती है। वर्तमान प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अग्रेषित सुधार हेतु उनकी समीक्षा की जाती है तथा कम्पनी के कार्यकलापों में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये कारगर कदम उठाये गये हैं। कर्मचारियों में उच्चतम नैतिकता बनाये रखने के लिये कम्पनी में 31.10.2016 से 05.11.2016 के दौरान **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** मनाया गया है। यहां पहले दिन ही कर्मचारियों द्वारा **शपथ गृहण समारोह** का आयोजन किया गया।

कर्मचारियों का ब्यौरा (Particulars of Employees)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा प्रकट किया जाता है। कंपनी नियमावली, 1975 के सह–पठित, (समय–समय पर संशोधित), कम्पनी के कर्मचारियों में से कोई भी प्रतिवर्ष 102 लाख रूपये या 8.5 लाख रूपये प्रतिमाह के पारिश्रमिक प्राप्ति से अधिक नहीं था।

निगमित शासन (Corporate Governance)

आपकी कम्पनी में स्वस्थ निगमित शासन को बनाये रखने के लिए पारदर्शिता, अखण्डता, व्यसायिकता तथा जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (D P E) द्वारा निगमित शासन प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धातानुसार, निगमित शासन प्रणाली की स्थिति को सूचित करते हुए इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दी जाती है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (D P E) जारी निगमित (अभि) शासन हेतु दिशा–निर्देशों के अनुसार, एक " कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट " तथा एक " प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट " क्रमशः अनुलग्नक – II और III में दी गई है।

निदेशक मंडल (Board of Directors)

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान एवं पश्चात् कार्यालय के निम्नलिखित निदेशक नामित / नियुक्त किये गये हैं :–

श्री नवदीप रिनवा – 16.01.2017 से आगे
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान एवं पश्चात निम्नलिखित निदेशक कार्यालय छोड़ कर गये हैं :–

श्री के. सी. समरिया – 02.01.2013 से 16.01.2017 तक
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(ग) वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के समीक्षाधीन अवधि में कार्यालय के निम्नलिखित निदेशक थे :–

श्री ज्ञानेश पाण्डेय – 26.07.2012 से आगे
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एच एस सी सी

श्री एस. के. जैन – 16.04.2013 से आगे
निदेशक (इंजीनियरिंग)

श्रीमती विजया श्रीवास्तव – 19.02.2015 से आगे
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री नवदीप रिनवा – 16.01.2017 से आगे
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

निदेशकों की जिम्मेदारियों का विवरण (Directors' Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत प्रावधानों के अनुसार, एतद्द्वारा आपके निदेशकों की रिपोर्ट निम्नलिखित दी गई है :–

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखा मानक को अपनाया गया है।

- कम्पनी में वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू मानक लेखों को अपनाया गया है। कम्पनी द्वारा अपनायी गयी लेखाकार नीतियों का लगातार अनुपालन किया जा रहा है, क्योंकि यह वित्त वर्ष के अंत में कम्पनी की सत्य तथा स्पष्ट छवि एवं उस अवधि में कम्पनी के लाभ अथवा हानि को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं।
- इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए लेखा रिकार्डों का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है।
- वार्षिक लेखों को निरन्तरता आधार पर तैयार किया गया है।
- निदेशकों द्वारा लागू किये गये सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उचित सिस्टम तैयार की गई है तथा इस तरह की व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढ़ंग से काम कर रही है।

निगमित सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility)

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) पर आवश्यक राशि के तहत 1.91 करोड़ रूपये (गत अवधि के 0.83 करोड़ रुपये सहित) (गत वर्ष के 1.14 करोड़ रुपये) अर्थात; वित्तीय वर्षों के गत तीन वर्षों का अनुमानित 2% अर्थात कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार 1.08 करोड़ रूपये (गत वर्ष 0.74 करोड़ रूपये) खर्च किये हैं।

कम्पनी ने अपनी निगमित सामाजिक दायित्व (सी एस आर) निधि खाते में 0.23 करोड़ रूपये सुरक्षित किये हुये हैं। सही दिशा की तलाश जारी है जिसके तहत इस राशि को खर्च किया जाएगा।

आंतरिक लेखा परीक्षक (Internal Auditors)

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी के समवर्ती एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में मैसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार को 2,85,000/– रूपये किराया तथा लागू सेवा–कर सहित शुल्क राशि पर नियुक्त किया गया है। यह उनकी नियुक्ति का चतुर्थ वर्ष है।

लेखा परीक्षक (Auditors)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए मैसर्स एल. सी. कैलाश एण्ड एसोसिएटस, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। इसके लिए उन्हें वर्ष 2016–17 वित्तीय वर्ष के लिए 8,00,000/– रूपये (आठ लाख रूपये मात्र) प्रदत्त पारिश्रमिक दिया जा रहा है जिसमें कर अतिरिक्त है। यह उनकी नियुक्ति का दूसरा वर्ष है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधक समिति द्वारा दिए गए उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट की परिशिष्ट के अनुलग्नक – IV में दी गई हैं।

सी ए जी (CAG) रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां प्रबंधक समिति द्वारा दिए गए उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट की परिशिष्ट के अनुलग्नक – V में दी गई हैं।

सांविधिक लेखाकार की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी सचिव मैसर्स प्रवीण रस्तोगी एंड कंपनी की रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट के परिशिष्ट के अनुलग्नक – VI में संलग्न है।

एम.जी.टी.–9 निदेशक रिपोर्ट परिशिष्ट के अनुलग्नक – VII में संलग्न है।

अभिस्वीकृति (Acknowledgment)

कम्पनी के निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों के आभारी हैं जिनसे निरन्तर सहायता एवं सहयोग, समर्थन तथा मार्गदर्शन मिलता रहा है। हम अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों के भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने कंपनी के सामर्थ्य और उसकी व्यावसायिक सक्षमता के प्रति अपना विश्वास दिखाया है।

कम्पनी के निदेशक, लोक उद्यम विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष एवं आडिट बोर्ड के सदस्य, सांविधिक लेखाकारों, आंतरिक लेखाकारों तथा कम्पनी के बैंकरों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य सहयोग दिया।

कम्पनी के निदेशक अपने सम्मानित बैंकरों तथा अन्य संगठनों सहित व्यक्ति विशेष का आभार व्यक्त करते हैं जिनका उन्हें निरन्तर मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहा है।

निदेशक मण्डल ने कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर निष्ठा–पूर्वक कार्य करने एवं कड़ी मेहनत और समर्पित भावना से कार्य करने की प्रशंसा की है जिनकी बदौलत कम्पनी श्रेष्ठ एवं निरंतर वृद्धि कर रही है।

निदेशक मण्डल के लिए
और उनकी ओर से

हस्ता./–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नौएडा
दिनांक : 30.11.2017

अनुलग्नक – I

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

वर्तमान में चल रही परियोजनाओं का विवरण

क. वास्तुशिल्पीय योजना, डिजाइन इंजीनियरिंग तथा परियोजना प्रबंधन सेवाए

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सरिता विहार, नई दिल्ली

- एम्स, नई दिल्ली हेतु झझर, हरियाणा में राष्ट्रीय कार्डियो वैस्कुलर संस्थान
- कोचिन केंसर एवं अनुसंधान केन्द्र – एर्रनाकुलम, केरल
- सिलीगुड़ी में ई.एस.आई.सी. हेतु 100 बिस्तरों वाला अस्पताल
- मॉरिशस में ई.एन.टी. अस्पताल
- पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेतु द्वारका एवं तुगलकाबाद में हाउसिंग तथा गेस्ट–हाउस
- पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेतु पटना एवं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में रैन–बसेरा
- एम्स, झझर में राष्ट्रीय केंसर संस्थान का निर्माण (अस्पताल कार्य)
- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा संबंधित अस्पतालों का पुनर्विकास, नई दिल्ली
- नर्सिंग कालेज का उन्नयन – राजकुमारी अमृत कौर, नई दिल्ली
- एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में नया पेड–वार्ड
- एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में होस्टल ब्लॉक
- एम्स (AIIMS), रायबरेली में हाऊसिंग ब्लॉक का निर्माण
- एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में सर्जिकल ब्लॉक
- एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में मातृ एवं शिशु ब्लॉक
- एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में नया ओ.पी.डी. ब्लॉक
- स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (PGIMER) का सेटेलाईट सेंटर, संगरूर (ओ.पी.डी. तथा मुख्य कार्य)
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) – छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरला तथा हिमाचल प्रदेश
- न्यूरो साईंसेज, निम्हास (NIMHANS), बेंगलूरू में अति–विशिष्ठ ब्लॉक का निर्माण

- राष्ट्रीय पशु बायो–टैक्नोलाजी संस्थान, हैदराबाद
- पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान, पूणे हेतु वैक्सीन प्रसंस्करण सुविधाएं
- आई.आई.टी. खड़गपुर हेतु 750 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण (फेस I – 400 बिस्तर)
- नये एम्स (AIIMS) के लिए आवासीय एवं होस्टल कॉम्पलैक्स, भुवनेश्वर
- पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) के तहत, कोलकाता चिकित्सा महाविद्यालय (K M C), कोलकत्ता हेतु अति– विशिष्ट ब्लॉक, ओ.पी.डी. एवं शैक्षिक ब्लॉक का निर्माण

एन.सी.आई. झझर, हरियाणा

- नाहरलागुन, अरूणाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल का उन्नयन तथा नाहन, हमीरपुर तथा चम्बा, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज
- क्षेत्रीय पेरामेडिकल एवं नर्सिंग साईसेंज संस्थान (RIPANS), आईजोल
- एल.जी.बी.आर.आई.एम.एच. (L G B R I M H) तेजपुर का उन्नयन (मुख्य भवन)
- क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (R I M S), इम्फाल में यू.जी. सीटों को 100 से 150 में बढ़ाने का कार्यान्वयन
- एल.जी.बी.आर.आई.एम.एच. (L G B R I M H) तेजपुर का नर्सिज होस्टल एवं आडिटोरियम कार्य
- पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) के तहत उन्नयन परियोजनाएं, फेस – III
  - रीवा
  - ग्वालियर
  - जबलपुर
  - विजयवाड़ा
  - कोटा
  - इलाहाबाद
  - दार्जिलिंग
  - बहरामपुर
  - पटियाला
  - बुरला
  - डिब्रुगढ़
  - गुवाहाटी
  - लातूर
  - उदयपुर
  - बीकानेर
  - औरंगाबाद
  - झांसी
  - शिमला
  - पणजी (गोवा)

पी.एम.एस.एस.वाई. जबलपुर, मध्य प्रदेश

- नागपुर, कल्याणी तथा गुँटूर में नया एम्स (AIIMS)
- मिजोरम चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, फालकॉन, मिजोरम (AIIMS)
- लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (LGBRIMH), तेजपुर, असम
- पाली, राजस्थान में 100 इन्टेक मेडिकल कॉलेज
- डा. आर. पी. मेडिकल कॉलेज, कांगडा हेतु हाऊसिंग एवं होस्टल का निर्माण

ख. प्रापण प्रबंधन सेवाएं (Procurement Management Services)

- सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अति–विशिष्ट तथा आपातकालीन ब्लॉक हेतु चिकित्सा उपकरण
- कल्पना चावला सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल, हरियाणा हेतु चिकित्सा उपकरण
- यंगून एवं सिटवे म्यांमार हेतु चिकित्सा उपकरण
- चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कोलकाता हेतु मेडिकल उपकरण

एस.एस.बी. ब्लॉक, सफदरजंग, नई दिल्ली

अनुलग्नक - II

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

कारपोरेट शासन रिपोर्ट

कम्पनी सिद्धांत

एक अच्छी कारपोरेट शासन नीति किसी भी कम्पनी के सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो शेयरधारकों के मूल्यों व मैनेजमैंट में पारदर्शिता, नीति परख, जवाबदेही तथा साफ–सुथरे परिणामों को दर्शाने में ध्यान देते है। मैंनेमेंट का यह दायित्व होता है कि वह विर्निदिष्ट मामलों में जहां तक संभव हो विस्तृत रुप से तथ्यों को उपलब्ध करवाये।

क. अन्य कम्पनियों में बोर्ड के निदेशकों की श्रेणी सहित बोर्ड के निदेशकों का गठन

दिनांक 31.03.2017 से कम्पनी के बोर्ड निदेशकों में दो पूर्ण–कालिक तथा दो अंश–कालिक शासकीय निदेशक कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्नवत है :–

निदेशक	पूर्ण–कालिक / अंश–कालिक	अन्य पी.एस.यू. में बोर्ड के सदस्य
श्री ज्ञानेश पाण्डेय	पूर्ण–कालिक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	– शून्य –
श्री एस. के. जैन	निदेशक (इंजीनियरिंग)	– शून्य –
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	अंश–कालिक, शासकीय निदेशक	– एच एल एल लाइफकेयर लि. – एच एल एल बायोटैक लि. – एच एल एल इन्फ्राटेक सर्विसेस लि.
श्री के. सी. सामरिया	अंश–कालिक, शासकीय निदेशक	– शून्य –

ख. कार्यकाल (Tenure)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्ण–कालिक निदेशकों की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्ण–कालिक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्य–भार ग्रहण करने की तिथि से और उनकी अधिवर्षिता (Superannuation) की तिथि तक 5 वर्षों की होगी, या भारत सरकार की ओर से अगले आदेशों तक, और जो भी घटनाक्रम से पहले आदेश प्राप्त होंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा नामित सदस्यों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अलग होने की स्थिति में उनके बोर्ड की सदस्यता रद्द मानी जायेगी या भारत सरकार का अगला आदेश जो भी हो।

अंश–कालिक, अ–शासकीय निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार की ओर से तीन वर्ष की अवधि तक की होगी।

ग. बोर्ड बैठकें (Board Meetings)

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के बीच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की (144वीं से 148वीं) 5 बैठकें की गई, जिसमें एक बैठक प्रत्येक त्रैमासिक में दिनांक 29.06.2016, 19.09.2016, 29.11.2016, 27.01.2017 और 15.03.2017 को आयोजित की गई।

बैठकें एवं उपस्थिति (Meetings and Attendance)

निदेशक	कार्यकाल के दौरान बोर्ड की कितनी बैठकें आयोजित की गई	उपस्थिति	पिछली वार्षिक सामान्य बैठकों में उपस्थिति
श्री ज्ञानेश पाण्डेय	5	5	हां
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	5	3	हां
श्री नवदीप रिनवा	2	2	नहीं
श्री एस. के. जैन	5	5	हां
श्री के. सी. सामरिया	3	1	नहीं

घ. सामान्य निकाय बैठकें

वार्षिक सामान्य बैठक (Annual General Meeting)

गत 3 (तीन) वार्षिक सामान्य बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई हैं :–

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2015–16	29.11.2016	दोपहर 12:00 बजे	कमेटी कमरा नम्बर 155, '' ए '' विंग, प्रथम तल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2014–15	02.11.2015	दोपहर 12:30 बजे	कमेटी कमरा नम्बर 155, '' ए '' विंग, प्रथम तल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2013–14	19.09.2014	प्रातः 12:30 बजे	कमेटी कमरा नम्बर 155, '' ए '' विंग, प्रथम तल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

च. निदेशकों की शेयर–होल्डींग का प्रतिरूप

कुल 2,40,01,800 इक्विटी शेयर पूंजी में से (100 प्रति शेयर के 240018 इक्विटी शेयर) है।

निदेशकों के नाम	एच एस सी सी के शेयरों की संख्या
श्री ज्ञानेश पाण्डेय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6
श्री नवदीप रिनवा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	6
श्रीमती विजया श्रीवास्तव, विशेष सचिव एव वित्तीय सलाहकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	6
श्री एस. के. जैन, निदेशक (इंजीनियरिंग)	6

इसके अतिरिक्त, इन शेयरों का आधिपत्य भारत के राष्ट्रपति की ओर से है।

छ. शेयरधारक शिकायत निवारण समिति

यह कम्पनी पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व में है तथा (जिसके शेयर पंजीकृत नहीं हैं), इसके शेयर महामहिम राष्ट्रपति एवं उनके नामितियों के पूर्णतया स्वामित्व में है, इसलिए कम्पनी ने कोई शेयरधारक शिकायत निवारण समिति गठित नहीं की है।

ज. ऑडिट समिति (Audit Committee)

ऑडिट समिति (Audit Committee) की संरचना निम्नवत दी गई है :–

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव, – अध्यक्ष
   {विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय}
2. श्री के. सी. सामरिया, {संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय} – सदस्य
3. श्री एस. के जैन, {निदेशक (इंजीनियरिंग)} – सदस्य

अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 के दौरान ऑडिट समिति (Audit Committee) की (11वीं से 13वीं) तीन बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में दिनांक 29.06.2016, 19.09.2016 तथा 16.01.2017 को आयोजित की गई है।

दिनांक 16.01.2017 तथा 27.01.2017 के मंत्रालय के पत्र के अनुसार श्री के. सी. सामरिया, {संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय}, के स्थान पर श्री नवदीप रिनवा, {संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय} को सदस्य नियुक्त कर लिया गया है। दिनांक 15.03.2017 को आयोजित बोर्ड की 148वीं नई ऑडिट बैठक में नई आडिट समिति का गठन हुआ है। नई आडिट समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :–

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव – अध्यक्ष
   {विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय}
2. श्री नवदीप रिनवा, – सदस्य
   {संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय}
3. श्री एस. के. जैन, {निदेशक (इंजीनियरिंग)} – सदस्य

बैठकें एवं उपस्थिति (Meeting And Attendance)

सदस्य	अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	3	3
श्री नवदीप रिनवा	0	0
श्री के. सी. सामरिया	3	1
श्री एस. के. जैन	3	3

झ. कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति
(Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee)

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति (Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee) की संरचना निम्नलिखित दी गई है :–

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव, – अध्यक्ष
   { विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय }
2. श्री के. सी. सामरिया, { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय } – सदस्य
3. श्री एस. के जैन, { निदेशक (इंजीनियरिंग) } – सदस्य

अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति (Corporate Social Responsibility Committee) की 5वीं–एक बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में दिनांक 15.03.2017 को आयोजित की गई है।

दिनांक 16.01.2017 तथा 27.01.2017 को श्री के. सी. सामरिया { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय } के स्थान पर श्री नवदीप रिनवा { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय } को सदस्य नियुक्त कर लिया गया है। दिनांक 15.03.2017 को आयोजित बोर्ड की 148वीं बैठक में नई आडिट समिति का गठन हुआ है। नई आडिट समिति के सदस्य हैं :–

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव – अध्यक्ष
   { विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय }
2. श्री नवदीप रिनवा – सदस्य
   { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय }
3. श्री एस. के. जैन, { निदेशक (इंजीनियरिंग) } – सदस्य

बैठकें एवं उपस्थिति (Meeting And Attendance)

सदस्य	अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई परिश्रमिक समिति बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	1	0
श्री नवदीप रिनवा	1	1
श्री के. सी. सामरिया	0	0
श्री एस. के. जैन	1	1

ट. पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee)

पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee) की संरचना निम्नलिखित दी गई है :–

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव, – अध्यक्ष
   { अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय }
2. श्री के. सी. सामरिया, { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय } – सदस्य

अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 के दौरान, पारिश्रमिक समिति (Remuneration Committee) की 4वीं–एक बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में दिनांक 29.06.2016 को आयोजित की गई है।

दिनांक 16.01.2017 तथा 27.01.2017 के मंत्रालय के पत्र के अनुसार श्री के. सी. सामरिया { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय } के स्थान पर श्री नवदीप रिनवा { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय } को सदस्य नियुक्त कर लिया गया है। दिनांक 15.03.2017 को आयोजित बोर्ड की 148वीं बैठक में नई पारिश्रमिक समिति का गठन हुआ है।

1. श्रीमती विजया श्रीवास्तव, { विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय } – अध्यक्ष
2 श्री के. सी. सामरिया, { संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय } – सदस्य

बैठकें एवं उपस्थिति (Meeting And Attendance)

सदस्य	अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई परिश्रमिक समिति बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्रीमती विजया श्रीवास्तव	1	1
श्री नवदीप रिनवा	0	0
श्री के. सी. सामरिया	1	1

ठ निदेशकों का पारिश्रमिक (Remuneration of Directors)

एक सरकारी कम्पनी होने के नाते, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नियुक्त कम्पनी के कार्यवाहक निदेशकों एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित की नियुक्ति के समय सरकार द्वारा जारी निबंधनों और शर्तों में उल्लिखित वेतनों को पहले ही सरकार द्वारा निश्चित किया गया है, उसी के अनुसार औद्योगिक वेतन मंहगाई भत्ता (आई डी ए) दिया जाता है। कम्पनी नियमों के तहत भत्ते एवं अनुलब्धियां दी जाती हैं।

कम्पनी के अंश–कालिक निदेशकों को उनके बोर्ड निदेशक खाते से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता लेकिन शासकीय कार्यकारी होने के लिए सरकार से उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

अंश–कालिक अशासकीय निदेशक कम्पनी से कोई बैठक भत्ता भी नहीं लेते हैं, अप्रैल, 2015 से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित किये गये पारिश्रमिक अनुसार कम्पनी के अंश–कालिक अशासकीय निदेशकों को कम्पनी की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति हेतु 5,000/– रूपये बैठक फीस दी जाती रही है।

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने किसी भी अ–शासकीय अंश–कालिक निदेशकों को कोई भी बैठक शुल्क भुगतान नहीं किया है।

ड. प्रकटीकरण (Disclosures)

पूरी अवधि के दौरान, कम्पनी की पार्टियों के साथ लेन–देन एवं व्यापार के संदर्भ में कोई विरोधाभाष नहीं जो कम्पनी के निदेशकों तथा प्रबंधन को प्रभावित करें। इसके अतिरिक्त, एच एस सी सी संस्था की अन्य कोई सहायक कम्पनी नहीं है।

अनुलग्नक - III

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग की संरचना एवं विकास (industry Structure & Developments)

एच एस सी सी (H S C C) की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में मार्च, 1983 में की गई थी जिसका प्रशासनिक नियत्रंण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 240 लाख रूपये एवं निवल लाभ 19825 लाख रूपये है। कम्पनी की स्थापना के बाद से अब तक कम्पनी ने अपना पूरा कारोबार बिना किसी सरकारी मदद या अन्य किसी स्रोत से किया है। सितम्बर, 1999 में एच एस सी सी को '' मिनी रत्न '' कम्पनी घोषित किया गया है।

एच एस सी सी (H S C C) कम्पनी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सगंठनों के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं में परामर्शदायी कार्य जैसे अस्पताल नियोजन, डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रोजेक्ट प्रबंधन एवं अनुवीक्षण सहित, चिकित्सा उपकरणों का प्रापण, स्थापना एवं कमीशनिंग इत्यादि कार्य करती है।

एच एस सी सी ने परियोजनाओं के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें ग्राहक की मांग के अनुरूप कम एवं लागत प्रभावी और विशेषज्ञता से ओत–प्रोत अच्छा संयोजन प्रदान करती है। एच एस सी सी ने प्रमुख हैल्थ–केयर परियोजनाएं जिसमें विभिन्न अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, प्रयोगशालाओं इत्यादि को ना केवल भारत में अपितु विदेशों में सफलतापूर्वक पूरा किया है। कम्पनी अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल कम्प्यूटरीकरण, स्वास्थ्य से संबंधित प्रबंधन अध्ययन और प्रशिक्षण, भर्ती आदि गतिविधियों में विविधता पूर्वक निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

एच एस सी सी वर्षों से हैल्थ–केयर के क्षेत्रों में परामर्शदायी सेवाएं प्रदान वाले एक अग्रणी संगठन के रूप में विकसित है। वर्तमान में कम्पनी का ध्यान समूचे भारत में मौजूदा निष्पादन कार्यों पर लगा है किन्तु अभी उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने में लगी है।

शक्ति (Strenght) :

- अस्तित्व में आने से अब तक डेबिट मुक्त एवं लाभ प्राप्त करने वाली कम्पनी
- भारत सरकार का समर्थन और सहायता
- एक ही छत के नीचे परामर्शदायी सेवाओं के विभिन्न आयाम
- बहुपार्श्व धन एवं अतंर्राष्ट्रीय अन्य एजेंसियो के साथ व्यापक अनुभव
- मजबूत क्षमता के साथ जटिल एवं बड़ी परियोजनाओं को संभालने का अनुभव
- परियोजनाओं की गुणवत्ता और उन्हें समय पर पूरा करने के माध्यम से संगठन प्रदर्शन
- योग्य एवं समर्पित तथा अद्भुत कार्य–शक्ति

कमजोरी (Weakness) :

- एकमात्र कारोबार – परामर्श
- निजी कामगारों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है
- शाखा संघर्षण असमर्थता
- ज्यादातर कारोबार / व्यापार सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों के साथ होता है
- व्यापार के समर्थन का आश्वासन राजस्व मॉडल एक बार की बजाय परियोजनाओं के लगातार राजस्व संबंधी आवर्ती सेवाओं पर आधारित है
- विशेष विक्रेताओं / एजेंसियों की सीमित संख्या

अवसर (Opportunities) :

- देश अस्पतालों, बिस्तरों, डाक्टरों, नर्सों तथा अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ की संख्या के मामले में पिछड़ रहा है
- वर्तमान अस्पतालों का पुनर्विकास और उन्नयन
- सार्क देशों में व्यापार का विस्तार
- भवन निर्माण में इंजीनियरिंग एवं रख–रखाव सेवाओं में विविधीकरण संबंधी अन्य सेवाएं
- बुनियादी स्वास्थ्य सेवा (सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में) आधारभूत ढ़ांचे के मांग में बढ़ोतरी करना
- अस्पतालों के लिये अवसर प्रदान करना और सरकारी अस्पताल गतिविधियों की आऊटसोर्सिंग करना
- आधारभूत वास्तुकला, डिजाइन, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन का आधारभूत कार्य तथा प्रापण गतिविधियों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कौशल विकसित करना

जोखिम (Threats) :

- व्यापारिक परियोजनाओं को उत्तर–पूर्व की ओर स्थानान्तरित करने / उनके पूरा होने, दीर्घ–कालीन धन की अनुपलब्धता के कारण कारोबार का लम्बे समय के लिये प्रसार ना हो पाना
- तेजी से निजी क्षेत्र में बढ़ते परिचालन के परिदृश्य में अनुभवी कर्मियों की उदासीनता
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOH & FW) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / उपक्रमों (PSUs) से ली जाने वाली सहायता नीति में बदलाव करके परामर्शी सेवाओं के लिये वैकल्पिक स्रोत के रूप में निजी क्षेत्र से आमंत्रित समर्थन
- निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतियोगियों की एक बड़ी संख्या के साथ खंडित बाजार
- बुनियादी ढ़ांचे में तेजी से आये उछाल के कारण बड़ी संख्या में अनुभव–प्राप्त कामगारों की वजह से मूलभूत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कौशल द्वारा वस्तु–विकरण (Commoditisation) बढाना
- नियंत्रण से परे कारणों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना को रोकना पड़ा
- सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों (PSUs) / फर्मों के बीच प्रतियोगिता व्यापार परियोजनाओं और गैर संबंधित विविधीकरण के लिये उनके द्वारा नामांकन के लिये नुकसान का कारण बनता है
- प्रापण परियोजनाओं के लिये शुल्क की कमी और बड़े सूक्ष्म छोटे कार्य में व्यापार के प्रस्ताव में अग्रणी हानि समनुदेशनों की कमी है

दृष्टिकोण (Outlook)

एच एस सी सी (H S C C) एक बहु–आयामी अनुशासनिक विविध सेवाओं जैसे इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन से ओत–प्रोत कम्पनी है। यह कम्पनी स्वास्थ्य देख–भाल एवं अन्य सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में परामर्ष प्रबंधन और प्रापण प्रबंधन सेवा के लिये प्रसिद्ध है। कम्पनी की सेवा–वर्णक्रम सिविल, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सूचना तकनीकी और चिकित्सा सेवाओं में सहायक क्षेत्रों में व्यवहार्यता अध्ययन, डिजाइन एवं इजीनियरिंग, विस्तृत निविदा दस्तावेज, निर्माण पर्यवेक्षण, व्यापक परियोजना प्रबंधन, खरीद समर्थन सेवाओं को शामिल किया। इसके महत्वपूर्ण ग्राहकों में शामिल हैं :–

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उसके अस्पताल / संस्थान
- विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय
- राज्य सरकार तथा उनके अस्पताल / संस्थान
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSUs) / अन्य संस्थान

कम्पनी को विश्व स्तर के परामर्शी संगठन के रूप में विकसित होने के लिए अपने समस्त प्रचालन क्षेत्रों में विविधीकरण एवं रख–रखाव सेवाओं का विस्तार करके ग्राहक की आधारभूत आवश्यकता को मान्यता देनी पड़ती है।

जोखिम एवं चिंताएं (Risks & Concerns)

कम्पनी के प्रमुख जोखिम एवं चिंताओं में संबंधित मंत्रालय द्वारा न्यूनीकृत प्रापण समनुदेशन कार्य तथा वर्तमान परिदृश्य में सिविल कार्यों में से कुछ में लगातार कम / परामर्श शुल्क में कमी के कारण रही है।

सूचना तकनीकी संबंधित पहल (I T Related Initiatives)

- इंटरनेट कनेक्शन कॉरपोरेट कार्यालय और इकाइयों में स्थापित किया गया है।
- कॉरपोरेट कार्यालय में विभिन्न विभाग लोकल एरिया नेटवर्क (LAN – Local Area Network) के माध्यम से जुड़े हुये हैं।
- ई–निविदा गतिविधि

परिचालन निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय अनुपालन पर चर्चा

कम्पनी की कुल आमदनी एवं अन्य आय क्रमशः 1619.25 करोड़ रूपये एवं 108.09 करोड़ रूपये एवं पिछले वर्ष में क्रमश 1106.98 करोड़ रूपये तथा 85.18 करोड़ रूपये थी। वर्ष के दौरान कम्पनी का कर पूर्व लाभ (Profit Before Tax) 56.16 करोड़ रूपये एवं गत वर्ष में 86.87 करोड़ रूपये था।

गत वर्ष की तुलना में प्रचालन (ऑपरेशन) की लागत 20.48% की बढोतरी हुई है। खर्च में वृद्धि का कारण मुख्यतः कर्मचारी लागत में वृद्धि की वजह है।

खण्ड रिपोर्टिंग (Segment Reporting)

(क) व्यावसायिक खण्ड (Business Segments)

लेखा मानक (Accounting Standard) – AS – 17 में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांत अनुसार, '' सेगमेंट रिपोर्टिंग '' कम्पनी के व्यावसायिक क्षेत्रों के निर्माण और इसमें शामिल गतिविधियों, उपकरण दवा आदि का परामर्श की आपूर्ति के आधार पर, '' खण्ड रिपोर्टिंग '' अपने सभी ऑपरेशन लेखा–मानक – 17 के रूप में एक खण्ड के अन्तर्गत आता है।

(ख) भौगोलिक खण्ड (Geographical Segments)

चूंकि कम्पनी की गतिविधियाँ मुख्य रूप से देश के भीतर रह कर उत्पाद / सेवाओं और उनकी प्रकृति को ध्यान में रख कर की जा रहीं हैं, अतः परिचालन जोखिम और रिटर्न वही कर रही हैं और इस तरह के रूप में वहां केवल एक भौगोलिक क्षेत्र है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता (Internal Control System And Their Adequacy)

कम्पनी में अन्य कार्यकलापों के साथ–साथ वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, व्यापारिक लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिये कम्पनी में एक आतंरिक नियंत्रण की कुशल प्रणाली व्याप्त है। कार्यात्मकता की क्षमता, कानून और नियमों के साथ निर्धारित अनुपालन नीतियां और प्रक्रियाओं का परिपालन किया जाता है।

आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक नियंत्रण में लेखा परीक्षा कार्य पर बल, पारदर्शिता स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये, कम्पनी आतंरिक लेखा–परीक्षा के लिये चार्टर्ड एकाउटेंट्स की फर्म को कार्य सौंपा गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को समय–समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिये प्रबंधन / मैंनेजमेंट (Management) को प्रस्तुत किया जाता है।

मानव संसाधन विकास (HRM)

एच एस सी सी एक ज्ञान आधारित कम्पनी है, जिसकी असली ताकत उसकी जनशक्ति में निहित है। किसी भी कम्पनी की वास्तविक सम्पत्ति उसका मानव संसाधन होता है। कंपनी में 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 176 कर्मचारी नियमित (Regular) वेतनमान पर थे एवं 151 कर्मचारी निश्चित–अवधि (Fixed Tenure) पर हैं। वर्ष भर कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्द–पूर्ण ताल–मेल बना रहा। बदलते परिवेश की आवश्यकतानुसार, एच एस सी सी अपने कर्मचारियों के ज्ञान का निरन्तर उन्नयन करती आ रही है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा तथा कम्पनी की कार्य कुशलता हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गए, इसके अतिरिक्त कम्पनी इस दिशा में उनकी दक्षता में और बढोतरी हेतु उनका विकास किया जा रहा है। कम्पनी विभिन्न सामाजिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को निरंतर अभिप्रेरित कर रही है।

आचार संहिता (Code of Conduct)

कम्पनी के बोर्ड ने बोर्ड के सभी सदस्यों और कम्पनी के समस्त वरिष्ठ प्रबंधन के लिये आचार संहिता निर्धारित की है। जिसे सभी संबंधित अधिकारियों तथा कार्यपालकों को ई–मेल द्वारा साथ ही हार्ड–कॉपी के माध्यम से वितरित किया गया है। बोर्ड के सभी सदस्यों और नामित वरिष्ठ प्रबंधन ने कार्मिक आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

लोक उद्यम विभाग में तिमाही रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण

लोक उद्यम विभाग (D P E) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर तिमाही रिपोर्ट को निगमित (अभि) शासन के मार्गदर्शी सिद्धातों के तहत, निगमित शासन प्रणाली की स्थिति को संसूचित करते हुए इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भिजवा दिया जाता है।

निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थिरता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची – VII के तहत, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, मैसर्स एलिम्को द्वारा संचालित 05 कोचलियर लगाने के लिये 33.45 लाख रूपये (तैंतीस लाख पैंतालिस हजार रूपये), केन्द्र सरकार द्वारा गठित गंगा की सफाई एवं उसके उत्थान के लिये स्वच्छ भारत कोष के तहत '' गंगा सफाई कोष '' में 107.98 लाख रूपये (एक सौ सात लाख अठ्ठानवे हजार रूपये) तथा सी.एस.आर. परियोजना के तहत, हिसार, हरियाणा में स्पोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया के तहत साई प्रशिक्षण केन्द्र के उन्नयन के लिये 50.00 लाख रूपये (पचास लाख रूपये) का अंशदान किया है।

अनुलग्नक - IV

(निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दी गयी टिप्पणियों के प्रत्युत्तर

राय (Opinion)

(क) (i) टिप्पणी संख्या – 20 (II) (बी): एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – C R I, Kasauli) में आयी छोटी–मोटी त्रुटियों को ठीक करने के संदर्भ में, कम्पनी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये (निर्माण पर ढ़ांचे का खर्च) अनुमानित आधी लागत राशि को वहन करना मंजूर किया है। इस विषय अथवा एवं इनसे संबंधित विषयों पर वर्ष के दौरान कोई गतिविधि नहीं हुई जिसके कारण देयता राशि को अभिनिश्चित नहीं किया गया है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (II) (बी), जोकि स्वत : स्पष्ट है।

(ii) टिप्पणी संख्या – 20 (II) (सी) कम्पनी द्वारा 1704.77 लाख रूपये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य परियोजनाओं से जमा किये गये है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास लंबित निपटारें के मद्देनजर लेखा–खातों में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (II) (सी), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(iii) टिप्पणी संख्या – 20 (IX) : व्यापार देय (क्रेडिटर्स), लीज जमा, विविध देनदार, विभिन्न मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से कम्पनी और विभिन्न अन्य शेष द्वारा दी गयी ई.एम.डी. और सुरक्षा जमा, समाधान और पुष्टि के अधीन हैं।

प्रत्युत्तरः प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (IX), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(iv) टिप्पणी संख्या – 20 (XI) : पुराने क्रेडिट शेष बकाया बिना भुगतान के / अ–समायोजित राशि के संदर्भ में, 2345.79 लाख रूपये (गत वर्ष 1387.81 लाख रूपये) ग्राहकों के 4 वर्ष से अधिक के जमा खातों में पड़े हैं। मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से खातों की शेष राशि की पुष्टि होना बाकी है।

प्रत्युत्तरः प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (XI), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(v) व्यापार से संबंधित देय खाते में पड़े हुए बिना दावे / निपटान रहित हैं जो ग्राहकों के काम और देयता के परिणाम के साथ सुनिश्चित नहीं हैं, अतः यदि कोई देयता हो तो ज्ञात नहीं है। इन अनिश्चितताओं को देखते हुये, उपर्युक्त संभावित लाभ और हानि खाते में, कम्पनी की सम्पत्तियों और देयताएं वर्तमान में क्वांटीफाई नहीं की जा सकती है।

प्रत्युत्तरः प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (X), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

(ख) (i) अभी 135 परियोजनाएं (सिविल वर्क एवं प्रापण) मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से कम्पनी द्वारा वित्तीय हिसाब रखा जा रहा है। इन्हें वित्तीय सम्पत्तियों और देनदारियों के रूप में कम्पनी की पुस्तक में शामिल किया गया है और " मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से " अलग खाते में दिखाया जाता है। मंत्रालय की ओर से बैंक के पास रख गये बैंक खातों और सावधि जमा / ग्राहक नियमित आधार पर एवं ब्याज के लेखों पर कम्पनी द्वारा नजर रखी जाती है तथा समय–समय पर संबंधित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये जमा आकड़ों / विवरण के आधार पर कम्पनी द्वारा निर्णय लिया जाता है।

प्रत्युत्तरः ब्याज एवं एफ.डी. की मॉनिटरिंग एवं गणना हेतु इस संस्थान में प्रणाली है, प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए अनुपालन हेतु इसे नोट कर लिया गया है।

(ii) 135 परियोजनाओं के प्रोजैक्ट फाइनेंस के अलावा, ग्राहकों की खरीद परि योजनाओं के संबंध में व्यय का बयान सभी परियोजनाओं के लिये उपलब्ध नहीं है। ऐसे विवरणों की अनुपस्थिति में, इन ग्राहकों द्वारा जमा की गयी निधि यों में मौजूद किसी भी कमी के प्रभाव, यदि कोई हो, तो सुनिश्चित नहीं हो सकता है।

प्रत्युत्तरः जमा की गई निधि सहित विभिन्न जाँच खातों का विवरण परीक्षण के माध्यम से दर्शायी गई है। एस.ओ.ई. - SOE सभी रसीदों और भुगतानों से संबंधित संक्षिप्त विवरण तैयार है। हालांकि, आगे के अनुपालन हेतु एस.ओ.ई. – SOE की तैयारी हेतु इसे नोट कर लिया गया है।

(iii) ग्राहकों के खातों से शेष जमा राशि (खाता कोड संख्या एस.एल.–53) के तहत कुछ गैर सुलभ शेष राशि हैं, जिसमें अनुसूची में दिखाये गये 2710.08 लाख रूपये के खाते के प्रमुख ''अन्य दीर्घकालिक देनदारियों'' और डेबिट शेष राशि के अंतर्गत अनुसूची 5 में दिखाये गये 4029.13 लाख रूपये के क्रेडिट शेष राशि हैं खाता संख्या 15 के तहत प्रमुख ''अल्पकालिक ऋण और अग्रिम'' से वसुली योग्य है, अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण और वास्तविक समय विश्लेषण और उस पर स्थिर जमा राशि और ब्याज की सत्यापन के कारण लाभ, हानि और परिसंपत्तियां और देयताओं पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो उसका पता नहीं लगाया जाये।

प्रत्युत्तर : खातों का मिलान किया जा रहा है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही के दौरान प्रबंधन को 301.12 लाख की धोखाधड़ी का पता लगा तत्पश्चात इसकी रिपोर्ट दर्ज की गयी है। इस धोखाधड़ी की सटीक राशि हमारी लेखापरिक्षा की समाप्ति तक निश्चित नहीं हो पायी है। हलांकि इस धोखाधड़ी की एफ.आई.आर. नोएडा पुलिस में दर्ज की करवायी गई है। (टिप्पणी संख्या 20 (iv) देखें)

प्रत्युत्तर : प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (IV), जोकि स्वत : स्पष्ट है।

मामले का महत्व (Emphasis of Matter)

हम निम्नलिखित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :–

क. टिप्पणी संख्या – 20 (VI) : वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, दिनांक 06.09.2016 को आयोजित बोर्ड की 145वीं बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के तहत, ठेके के संबंध में ब्याज आय, जो ग्राहक निधि से बनी हुई फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज के बारे में मूक है, ग्राहकों के खाते में जमा की गई है। इस प्रकार कम्पनी की आय में पिछले वर्ष की तुलना में 1530 लाख रूपये की कमी है।

प्रत्युत्तरः प्रकटित टिप्पणी संख्या 20 (VI), जोकि स्वतः स्पष्ट है।

ख. कर्मचारियों और उनके आश्रितों के गृह नगर (होम टाउन) जाने हेतु प्रदान किये जाने वाले यात्रा अवकाश भत्ते के संबंध में कोई बीमांकित मूल्यांकन नहीं किया गया है।

प्रत्युत्तर : कर्मचारियों के लिये छुटटी यात्रा रियायत के लिये वास्तविक भुगतान कम है इसलिये एल.टी.सी.– (LTC) के लिये कोई बीमांकित मूल्यांकन नहीं किया गया है।

ग. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली,जोकि एफ.डी.आर. और लिक्विक फण्डों में कम्पनी द्वारा निर्धारित फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज और व्यय के समय पर समायोजन सहित सभी लेन–देन की जांच और सत्यापन किया जाना है, के क्षीण होने के कारण कम्पनी के वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में अनुचित विलम्ब हो गया है।

प्रत्युत्तर : नियंत्रण प्रणाली ब्याज और एफ.डी. प्रक्रियाधीन है तथा इसे अधिक सशक्त किये जाने पर बल दिया जा रहा है।

घ. वित्तीय विवरणों पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण (स्वतंत्र लेखाकार की रिपोर्ट के अनुलग्नक 2 का संदर्भ ग्रहण करें) क्षीण है और इसे सशक्त करने की आवश्यकता है।

प्रत्युत्तरः प्रणाली को सशक्त किये जाने पर बल दिया जा रहा है।

ड. ऐसी परियोजनाएं जिन्हें पूरा किया गया है और मंत्रालय / ग्राहक को सौंप दिया गया है, लेकिन कम्पनी की पुस्तकों में इन खातों का वित्तीय समापन नहीं हुआ है। इसके अलावा, ऐसी परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इसके लिये प्रक्रिया को जारी रखने और आगे ले जाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की गयी। लाभ या हानि पर इसका प्रभाव उस वर्ष में किया जायेगा जिसमें वित्तीय समापन होता है।

प्रत्युत्तरः उपरोक्त स्वतः स्पष्ट है।

च. एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड को नौएडा में नम्बर ई–13 और ई–14, सैक्टर–1, नौएडा में 2518.13 वर्ग मीटर माप से दो प्लॉट आवंटित किये गये थे और पट्टे के लिये दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को न्यू औखला इंडस्ट्रीयल डिवलॉपमैंट ऑथारिटी (नौएडा) प्राधिकरण के साथ पट्टा अनुबंध निष्पादित किया गया था। धारा 4 के अनुसार पट्टेदार अर्थात एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड को चार साल की निर्दिष्ट अवधि के भीतर भूमि के निर्माण को पूरा करना होगा, जब तक की पट्टादाता समय के विस्तार की अनुमति नहीं देता। जबकि पट्टा अनुबंध दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को समाप्त हो चुका है और कम्पनी ने ना तो विस्तार के लिये आवेदन किया है और ना ही भवन का निर्माण किया है।

प्रत्युत्तर : हम विस्तार की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा हमें इस संदर्भ में नौएडा प्राधिकरण से कोई सूचना नहीं मिली है।

छ. मॉरीशस में मिली परियोजना को संभालने तथा आधिकारिक दौरे के लिये जोकि नवम्बर, 2016 के पहले सप्ताह में संपन्न हुआ था कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को अमेरिकी डॉलर USD 5050 दिये गये थे, जिसमें से उन्होंने USD 2955 वापस नहीं की गयी है। ये यू. एस.डी. डॉलर अगस्त, 2017 के मध्य तक ना तो किसी बैंक खाते में जमा हुई और ना ही कम्पनी में वापस आई।

प्रत्युत्तर : कर्मचारियों ने अपने टी.ए. बिल जमा कर दिए हैं तथा शेष बकाया राशि की वसूली पूरी की जारी है।

अनुलग्नक - V

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली
Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-office Member, Audit Board-IV, New Delhi

गोपनीय

संख्या : 603-PDCA/MAB-IV/HS/A/cs/HSCC/17-18/5248
दिनांक : 30.11.2017

सेवामें,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
ई – 6 (ए), सैक्टर – 1,
नौएडा (उत्तर प्रदेश) – 201301

विषय :– एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

महोदय,

मैं इसके साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों पर की गई टिप्पणियाँ संलग्न कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की पावती देने का कष्ट करें।

आपका शुभचिन्तक,

हस्ता./–
(एल. सिद्धार्थ सिंह)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV

संलग्नः यथोपरि

आठवाँ व नवाँ तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
8th & 9th Floor Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
दूरभाष / Tel. : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फैक्स / Fax : 23239416
ई–मेल / Email : mabNewdelhi4@cag.gov.in

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों का विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत मानकों को ध्यान में रखकर निर्धारित वित्तीय फ्रेंमवर्क के अनुसार बनाये गयें हैं जिसके लिये कम्पनी का प्रबंधन समूह जिम्मेदार है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परिक्षकों, धारा 143 के तहत स्वतंत्र एवं स्वायत्त रूप से अंकेक्षित इन वित्तीय लेखा विवरणों के लिये जिम्मेदार हैं तथा धारा 143(10) के तहत इन पर कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, जिसके लिये निर्धारित स्वायत्त इकाई भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित आडिंटिंग एवं अनुपालनात्मक राय व्यक्त कर सकते हैं। यह विवरण लेखा परीक्षकों द्वारा **दिनांक 26.09.2017** को प्रदान आडिट रिपोर्ट अनुसार प्रदान किया जाता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से धारा 143 (6) (ए) के तहत, **एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड** की दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर एक अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। यह अनुपूरक लेखा–परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात उपयोग किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा जो मुख्य रूप से सांविधिक लेखा–परीक्षकों और कम्पनी के कर्मियों और लेखा–अभिलेखों में से कुछ एक चयनात्मक परीक्षा की जांच तक सीमित हैं। अनुपूरक लेखा–परीक्षा (ऑडिट) के आधार पर, धारा 143(6)(बी) के तहत, मै निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ, जोकि मेरी राय में वित्तीय विवरणों एवं संबंधित अंकेक्षित विवरणों को बेहर समझ योग्य बनाने हेतु आवश्यक है :

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियां

लाभ एवं हानि का विवरण
कर व्यय रू. 18,55,16,023/-

उपरोक्त राशि 0.37 करोड़ रुपये से कम दर्शायी गई है, जिसका कारण है स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के लिए कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) गतिविधियों हेतु किया गया रुपये 1.08 करोड़ का भुगतान, जिस पर आयकर अधिनियम धारा 80जी के तहत छूट का दावा किया गया है, किन्तु आयकर अधिनियम–1961 के तहत ऐसी छूट मान्य नहीं है। इसके परिणाम स्वरुप वर्ष के लिए लाभ 0.37 करोड़ रुपये से अधिक दर्शाया गया है।

कृते, भारत के नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता./–
(एल. सिद्धार्थ सिंह)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – IV

स्थान :– नई दिल्ली
दिनांक :– 30.11.2017

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के संदर्भ में कम्पनी के प्रबंधन की ओर से दिए गए उत्तर

अनंतिम टिप्पणियां	प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर
लाभ एवं हानि का विवरण **कर व्यय : रू. 18,55,16,023/-** उपरोक्त राशि में वर्तमान वर्ष के रुपये 20,76,33,040/– कर देयता के शामिल है। वर्तमान वर्ष की कर गणना की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि शुद्ध आय में कम्पनी ने गंगा सफाई अभियान के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत धारा–80जी के अध्याधीन VI-ए में अंशदान हेतु कटौती की है। यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में, कम्पनी ने 1,07,98,000/– रुपये का सी.एस.आर. गतिविधियों के खाते में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के निधि के लिए भुगतान किया है तथा 80जी के तहत इसमें कटौती की गई है। भारत सरकार के आदेशानुसार, (कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर के योगदान को छोड़कर) गंगा की सफाई के लिए दान 80जी के तहत 100 प्रतिशत कटौती हो जाएगी। इस प्रकार, अनुच्छेद 80जी के गलत कटौती के परिणामस्वरूप 37,36,970/– रु. (रुपये 1,07,98,000 x 34.608 प्रतिशत) तक के कर दायित्वों में कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान वर्ष में कर व्यय को कम आकने के कारण 37.37 लाख रुपये लाभ अधिक दर्शाया गया है।	भारत सरकार के स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत एक निधि को शुद्ध गंगा उपकर कहा जाता है स्वच्छ गंगा उप–कर के तहत वस्तुओं में से एक ''जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने और गंगा नदी को स्वचछ किये जाने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए'' जल गुणवत्ता और पर्यावरण के स्थायी रूप से विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश की जनता के लिए पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गई है। वर्ष 2004 में सी.आई.टी. (अपील) मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा किए गए इस तरह के खर्च को कटौती हेतु स्वीकार्य आईटीआर 170 पृष्ठ नं0 266 (मद्रास) का संदर्भ ग्रहण करें। ''स्वच्छ गंगा उप–कर'' के तहत भारत में कोयला/योगदान की राशि न केवल पानी की दर सुनिश्चित करने के लिए बल्कि गंगा नदी में पारिस्थितिक प्रवाह को बनाऐ रखने के लिए भी है, यह देखते हुए कि स्वच्छ गंगा उप–कर में योगदान करने वाली राशि व्यय मानी जाती है, जो आई.टी. अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य व्यय के रुप में है।

अनुबन्ध - VI

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट)

प्रपत्र संख्या एमआर–3
सचिव ऑडिट रिपोर्ट
2016–17 के अंत में वित्तीय वर्ष के लिए
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनियों के नियम 9
(नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक नियम, 2014) के बाद

सेवामें,

सदस्यगण,

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
सी आई एन : यू 74140 डी एल 1983 जी ओ आई 015459
205 (दूसरा फ्लोर), पूर्व एण्ड प्लाजा, प्लॉट नं. 4,
एलएससी, सेंटर–2, वसुंधरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली – 110 096

हमने सी.आई.एन. संख्याः यू–74140 डी एल 1983 जी ओ आई 015459 के तहत **एस एस सी इण्डिया लिमिटेड.** जिसे ''कम्पनी'' कहा गया है, में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसरण में सचिवालयी लेखा परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कम्पनी के संचालन/सांविधिक अनुपालन के आंकलन के आधार पर अपनी राय निम्न रूप में व्यक्त करते हैं:–

कम्पनी के बहीखाते, कागजात कार्यवृत, फॉर्म एवं रिटर्न तथा दाखिल किए गए अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर, कम्पनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और हमें प्रदान की गयी जानकारी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों को सचिवालयी लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान, प्रयोग की पद्धति के तहत, हमारी राय में कम्पनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित सूची बद्ध वैज्ञानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। कम्पनी को उपर्युक्त बोर्ड प्रक्रियाओं के तहत मान्यता दी गई है, जिसके आधार पर रिपोर्टिंग के अनुसार निम्नलिखित विषयों पर हम अपनी राय व्यक्त करते है।

हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **एच एस सी सी इण्डिया लिमिटेड** द्वारा बनाई लेखा पुस्तकों पत्रों कार्यवृत्तों की पुस्तकों, रुपों, तथा दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है।

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एस.सी.आर.ए.') और इसके तहत बनाए गए नियम; **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)**

(i) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके तहत तैयार किए गए विनियम और उप–नियम; **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)** की सीमा तक इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI अधिनियम, 1992 ('सेबी एक्ट') के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :–

(क) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI (शेयरों का वास्तविक अधिग्रहण और अधीनीकरण) विनियम, 2011; **(ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है);**

(ख) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI (आंतरिक ट्रेडिंग पर निषेध) विनियम, 1992; **(ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है);**

(ग) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI (पूंजी एवं प्रकटीकरण की आवश्यतायें जारी) विनियम, 2009; **(ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है);**

(घ) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) विनियम, 1999; **(कम्पनी के लिए अनिवार्य अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं होने के कारण);**

(ड़) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI (ऋण प्रतिभूति के मुद्दे और सूची) विनियम, 2008; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है);**

(च) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI (जारी शेयर और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1999; कम्पनी अधिनियम के बारे में ग्राहक से निपटने; **(ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है);**

(छ) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI (इक्विटी शेयरो का वितरण) विनियम, 2009; **(कम्पनी के अनुसार, ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है);** तथा

(ज) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI (प्रतिभूतियों की पुर्नःखरीद) विनियम, 1998; **(कम्पनी के सूचीबद्ध न होने के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं है);**

(vi). जैसा कि हमें सूचित किया गया है, निम्नलिखित अन्य अधिनियम/कानून जो विशेष रूप से कम्पनी के अनुसार लागू हैं :

1. आयकर अधिनियम 1961 और इसके तहत बनाए गए नियम
2. कर्मचारियों के पीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
3. सेवा कर कानून
4. वैट VAT
5. कर्मचारियों की पेंशन योजना, 1995
6. कर्मचारियों की राज्य बीमा अधिनियम, 1948
7. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
8. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1936
9. भुगतान का दायित्व अधिनियम, 1972
10. लागू लेखा मानक

हमने निम्नलिखित बिन्दूओं के लागू होने वाले अनुच्छेदों का अनुपालन भी किया है:

- आज तक संशोधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश
- भारत के कम्पनी सचिवों द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

1. **कम्पनी ने क्रमशः बोर्ड, ऑडिट समिति और पारिश्रमिक समिति के संबंध में डी.पी.ई. के दिशा निर्देशों के खण्ड 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2 और 5.1 का अनुपालन नहीं किया है, कम्पनी अधिनियम की धारा 177 और 178 के प्रावधानों के अनुसार, 2013 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत कम्पनियां (नियुक्ति और निदेशकों की योग्यता) नियम, 2014 और अनुसूची IV के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और कम्पनी अधिनियम की धारा 135(1), 2013 सी.एस.आर. समिति की संरचना के संबंध में है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।**

विशेष रूप से कम्पनी के लिए लागू अन्य कानूनों के संबंध में, हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान, कम्पनी द्वारा दी गई सूचना/रिकॉर्ड पर भरोसा जताया है और रिपोर्टिंग उस सीमा तक सीमित है।

हम पुनः सूचित करते है कि :

कम्पनी के निदेशक मंडल को व्यवस्थित रूप से पुनः गठित किया गया है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तनों का पालन किया गया था।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत पर विस्तृत टिप्पणी को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त पद्धिति द्धारा सूचित किया जाता है, कम से कम सात दिन पहले ही सूचना भेजी जाती है और बैठक से पहले और उसे सार्थक बनाने के लिए एजेंडा पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं संबंधित प्रणाली अपनायी गई थी।

बैठकों के कार्यवृत के अनुसार, अध्यक्ष द्वारा व्यवस्थित रूप से दर्ज और बैठकों के हस्ताक्षरित कार्यवृत के अनुसार, बोर्ड के निर्णय एकमत थे और कोई असहमति दर्ज नहीं किया गया है।

हम पुनः सूचित करते है कि कम्पनी की प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार करने एवं कम्पनी के संचालन हेतु विद्यमान नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करने का एक मौका है।

हम पुनः सूचित करते है किः

- इस कम्पनी में, पर्याप्त व्यवस्था और प्रक्रियाएं कम्पनी अधिनियम के तहत आकार एवं संचालन के अनुरूप हैं, जो मॉनिटरिंग करने और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन हेतु बनाये गये हैं।
- इस कम्पनी में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी पर कोई भी मुकदमा या कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया गया है।

हम पुनः सूचित करते है कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी उदाहरण नहीं थाः

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयर/डिबेंचर/स्वेट इक्विटी, बोनस इश्यू के सार्वजनिक/राईट इश्यू/अधिमान्य शेयर
- प्रतिभूतियों का मुक्ति/पुनः–खरीद
- विलय/एकीकरण/पुर्निर्माण आदि
- विदेशी तकनीकी सहयोग

कृते प्रवीन रस्तोगी एण्ड कम्पनी

हस्ता./–
प्रवीन रस्तोगी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.09.2017

सी. पी. संख्या : 2883
सदस्यता संख्या : 4764

फार्म संख्या : एम.जी.टी. – 9
वार्षिक रिपोर्ट का सारांश
दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबंधन प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

I पंजीकरण और अन्य विवरणः

i	सी.आई.एन.	यू 74140डीएल 1983जीओआई015459
ii	पंजीकरण तिथि	30.03.1983
iii	कम्पनी का नाम	एच एस सी सी (इण्डिया) लिमिटेड
iv	कम्पनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
v	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क सूत्र विवरण	205, ईस्ट एण्ड प्लाजा, प्लॉट नं. 4, डी.डी.ए.–एल.एस.सी. सेन्टर–II, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली – 110 096
vi	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii	यदि हां, तो पंजीयक एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम पता एवं सम्पर्क सूत्र विवरण	लागू नहीं

II कम्पनी की प्रमुख कारोबारी क्रियाकलाप
कम्पनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख निम्नलिखित है:–

क्रमांक	मुख्य उत्पादों / सेवाओं के नाम और विवरण	उत्पाद / सेवाओं का एन.आई.सी. कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	अस्पताल सेवा क्षेत्र हेतु परामर्श	9983	100%

III कम्पनी की होल्डिंग, सहायक तथा एसोसिएट कम्पनियों की जानकारी

क्रमांक	कम्पनी का नाम एवं पता	सी.आई.एन. / जी.एल.एन.	होल्डिंग / सहायक / एसोसिएट	रखे गए शेयर का प्रतिशत	लागू अनुभाग
1	लागू नहीं				

IV शेयर होल्डिंग पैटर्न (इक्विटी शेयर पूंजी को कुल इक्विटी में प्रतिशतता हेतु ब्रेक–अप)

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरुवात में आयोजित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में आयोजित शेयरों की संख्य				वर्ष के दौरान बदलावों का प्रतिशत	
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत		
क. प्रवर्तक Promoters										
(1) भारतीय										
क) व्यक्तिक / एच.यू.एफ.	शून्य	54	54	0.02%	शून्य	54	54	0.02%	-	-
ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार	शून्य	239964	239964	99.98%	शून्य	239964	239964	99.98%	-	-
ग) कारपोरेट निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
ड़) अन्य कोई	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
उप–जोड़ :(क) (1)		**240018**	**240018**	**100%**		**240018**	**240018**	**100%**	**-**	**-**
(2) विदेश										
क) एन.आर.आई. व्यक्तिक	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
ख) अन्य व्यक्तिक	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
ग) कॉरपोरेट निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
ड़) अन्य कोई	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
उप–जोड़ : (क) (2)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
प्रवर्तक की कुल शेयर होल्डिंग (क)= (क)(1)+(क)(2)		**240018**	**240018**	**100%**		**240018**	**240018**	**100%**	**0**	**0**
ख. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग										
(1) संस्थान										
क) म्यूच्यूअल फण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
ग) केन्द्रीय सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
घ) राज्य सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
ड.) वेंचर कैपिटल फण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
च) बीमा कंम्पनियां	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
छ) एफ.आई.आई.एस.	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट)	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
उप–जोड़ (ख)(1):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(2) गैर संस्थान										
क) बॉडी कॉरपोरेट										
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
ख) व्यक्तिक				-						
i) व्यक्तिक शेयर–होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 1 लाख रुपये तक	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
ii) व्यक्तिक शेयर–होल्डस जिनकी शेयर पूंजी 1 लाख रुपये से अधिक	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-
उप–जोड़ (ख)(2):	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल सार्वजनिक शेयर–होल्डिंग (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
ग. अभिरक्षक द्वारा जी.डी.आर. तथा ए.डी.आर. संबंधित सुरक्षित शेयर	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
कुल योग (क+ख+ग)		**240018**	**240018**	**100%**		**240018**	**240018**	**100%**	**0**	**0**

(ii) प्रवर्तक की शेयर–होल्डिंग

क्र. सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष की शुरुवात में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान, वर्ष के अन्त में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर धारण में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	निर्धारित कुल शेयरों की प्रतिभूत का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी क कुल शेयरों का %	निर्धारित कुल शेयरों की गिरवी पड़े %	
1	भारत के राष्ट्रपति	239964	99.98%	-	239964	99.98%	-	-
2	भारत के राष्ट्रपति की ओर नामिती	54	0.02%	-	54	0.02%	-	-

टिप्पणी:– सभी शेयर होल्डिंग भारत के राष्ट्रपति और उसके नव नामधारियों के नाम पर केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है।

(iii) प्रवर्तक की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (विनिर्दिष्ट परिवर्तन यदि कोई हो)

क्रमांक		वर्ष की शुरुवात मे शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के शुरुवात में				
	प्रवर्तकों में तिथि–दर–वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान हिस्सेदारी (जैसे आवंटन/स्थानान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में				

टिप्पणी:– सभी शेयर होल्डिंग भारत के राष्ट्रपति और उसके नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है।

(iv) शीर्ष 10 शेयर धारक पैटर्न (निदेशक, पर्वतक और जी.डी.आर. और ए.डी.आर. के धारकों के अलावा)

क्रमांक		वर्ष के अंत में शेयर–होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	**शेयरों की सं.**	**कम्पनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की सं.**	**कम्पनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष की शुरुवात में				
	प्रवर्तकों में तिथि–दर–वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान हिस्सेदारी (जैसे आवंटन/स्थानान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में (या अलग होने के तिथि तक, यदि वर्ष दौरान अलग हो)				

टिप्पणी:– सभी शेयर होल्डिंग भारत के राष्ट्रपति और उसके नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है।

(v) निदेशकों और के.एम.पी. की शेयर होल्डिंग

क्रमांक		शेयरधार शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक और के.एम.पी. हेतु	**शेयरों की सं.**	**कम्पनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की सं.**	**कम्पनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के शुरुवात में	लागू नहीं			
	प्रवर्तकों में तिथि–दर–वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान हिस्सेदारी (जैसे आवंटन/स्थानान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में				

टिप्पणी:– सभी शेयर होल्डिंग भारत के राष्ट्रपति और उसके नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है।

V बकाया

बकाया/अर्जित ब्याज सहित, कम्पनी का ऋण, लेकिन भुगतान के कारण नहीं					
प्रत्येक निदेशक और के.एम.पी. हेतु	**आरक्षित ऋण जमा रहित**	**अन–आरक्षित ऋण**	**जमा**	**कुल बकाया**	
वित्तीय वर्ष के शुरुवात में बकाया	शून्य				
i) प्रमुख राशि					
ii) देय ब्याज–भुगतान रहित					
iii) ब्याज देय–भुगतान रहित					
कुल (i+ii+iii)					
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण में बदलाव					
जोड़					
घटाव					
निवल परिवर्तन					
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण					
i) प्रमुख राशि					
ii) देय ब्याज–भुगतान रहित					
iii) ब्याज देय–भुगतान रहित					
कुल (i+ii+iii)					

VI निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक पूर्ण–कालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक विवरण	प्रबंध निदेशक/अंश–कालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		श्री ज्ञानेश पाण्डेय		श्री एस.के. जैन		
		सी.एम.डी.		निदेशक (ई)		
1	**सकल वेतन**					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	40.49	-	39.17	-	79.66-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	1.15	-	1.45	-	2.60 -
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन के बदले मुनाफा	-	-	-	-	-
2	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-	-
3	स्वेज इक्विटी	-	-	-	-	-
4	आयोग	-	-	-	-	-
	लाभ का प्रतिशत	-	-	-	-	-
	अन्य (विनिर्दिष्ट)					
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	0.10	-	0.10	-	0.20
	कुल (क)	**41.74**	**-**	**40.72**	**-**	**82.46**
	अधिनियम के तहत सीमा					

ख. अन्य निदेशकों के लिए पारिश्रमिक

क्रमांक	पारिश्रमिक विवरण	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक		
	(क) बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	-	-
	(ख) आयोग	-	-
	(ग) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-
	निदेशक पारिश्रमिक		
	निदेशक पारिश्रमिक		
	कुल (1)	-	-
2	अन्य–गैर कार्यकारी निदेशक		
	(क) बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-
	(ख) आयोग	-	-
	(ग) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-
	कुल (2)	-	-
	कुल (ख)=(1+2)	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के तहत सीमा		

ग. प्रबंध निदेशक पूर्ण–कालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्रमांक	पारिश्रमिक विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी				कुल
1	सकल वेतन	सी.ई.ओ.	कम्पनी सचिव	सी.एफ.ओ.	कुल	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	लागू नहीं				
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य					
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन के बदले मुनाफा					
2	स्टॉक का विकल्प					
3	स्वेज इक्विटी					
4	आयोग					
	लाभ का प्रतिशत					
	अन्य (विनिर्दिष्ट)					
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें					
	कुल	-	-	-	-	-

VII पेनल्टी/दण्ड/जुर्म हेतु दण्ड

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/लगाये गये शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आर.डी./एन.सी.एल.टी./कोर्ट)	अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कम्पनी					
दण्ड	शून्य				
सजा					
जुर्म					
ख. निदेशक					
दण्ड	शून्य				
सजा					
जुर्म					
ग. डिफॉल्ट अन्ध अधिकारी					
दण्ड	शून्य				
सजा					
जुर्म					

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवामें,

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यो के लिए

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र भी है, जिसमें समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ एवं हानि लेखों का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों का सारांष दिया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को सही और निष्पक्ष तैयार करने के लिये कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिम्मेदार है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 ('' अधिनियम '') की धारा 134(5) के तहत, आम–तौर पर भारत में मान्य लेखा विवरणों एवं लेखांकन मानकों के तहत तैयार करने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं जो कम्पनी की साफ–सुथरी वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय उपलब्धियाँ तथा नकदी प्रवाह विवरणों को दर्शाते हैं, इसमें लेखा मानकों के तहत विनिर्दिष्ट धारा 133 के अधिनियम, कम्पनी (लेखा) नियमों, 2014 के अधीन पठनीय नियम 7 भी शामिल है। यह जिम्मेदारी भी कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा और उसे रोकने, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रख–रखाव शामिल, चयन और उचित लेखांकन नीतियों के आवेदन, निर्णय एवं उचित और विवेकपूर्ण अनुमान लगाकर उसका निर्वाहन कर रही है तथा डिजाइन, कार्यान्वयन और सामग्री गलत होने से मुक्त एक सच्ची और निष्पक्ष जांच के लिये तैयार कर रही है, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिये प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे कि इसमें पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, रख–रखाव, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है या नहीं।

लेखा–परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आवश्यक अधिनियम को ध्यान में रखा है जो लेखा और लेखा–परीक्षा मानकों तथा इन मामलों के प्रावधानों से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गये नियमों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किये जाते हैं।

हमने इस ऑडिट प्रक्रिया को ऑडिट प्रक्रिया की विनिर्दिष्ट धारा 143(10) अधिनियम के मानको के तहत किया है। ऑडिट के लिये हमने उन मानको को अपनाया है जिनकी योजना एवं नैतिकता के आधार पर जरूरत होती है एवं जिसमें उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये लेखा परीक्षा प्रदर्शन के लिये चाहे वो वित्तीय विवरण में सामग्री के गलत बयान से संबंधित हों, लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक है।

इस ऑडिट को उपलब्ध किये गये राशियों से संबंधी तथ्यों के तहत तैयार किया गया जिनका प्रकटन एवं उल्लेख वित्तीय विवरणों में कर दिया गया है। यह चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जो वित्तीय विवरणों में गलत ब्यान के जोखिम का मूल्यांकन सहित, जोकि त्रुटि से संबंधित धोखाधड़ी की वजह से है या नहीं है। लेखा–परीक्षा में जो परिस्थितियां उपयुक्त हैं लेखा–परीक्षा / ऑडिट प्रक्रिया को डिजाइन करने के क्रम में कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण की तैयारी के लिये प्रासंगिक और वित्तीय विवरणों की निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। इस लेखा–परीक्षा / ऑडिट में लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखा की तर्कसंगतता के मूल्यांकन के अलावा इसमें कम्पनी के निदेशकों द्वारा किए गए अनुमान भी शामिल हैं, साथ ही साथ जिन्हें वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

हमें विश्वास है कि लेखा–परीक्षा से संबंधित दिये गये साक्ष्य पर आधारित है तथा ऑडिट और वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त हमारी राय पर्याप्त एवं सही है एवं उसी पर आधारित है।

योग्य राय के आधार पर (Basis for Qualified Opinion)

निम्नलिखित लेखा अनुसूची 20 की ओर ध्यानाकृर्षित किया जाता है जो वित्तीय विवरण '' लेखा टिप्पणियों '' का हिस्सा हैं :–

(क) (i) टिप्पणी संख्या – 20(II)(बी) : एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – CRI, Kasauli) में आयी छोटी–मोटी त्रुटियों को ठीक करने के संदर्भ में, कम्पनी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये (निर्माण पर ढ़ांचे का खर्चा) अनुमानित आधी लागत राशि को वहन करना मंजूर किया है। इस विषय पर संबंधित वर्ष के दौरान कोई विकास कार्य नहीं किया गया है तथा देयता राशि को लेखा–पुस्तकों में अभीनिश्चत नहीं किया गया है।

(ii) टिप्पणी संख्या – 20(III)(सी) : कम्पनी द्वारा 1704.77 लाख रूपये जमा करने के बारे में, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य परियोजनओं से जमा किये जाने से बाहर हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास लम्बित निपटारों को देखते हुये खातों के लिये कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

(iii) टिप्पणी संख्या – 20(IX) : व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देनदारियां, ऋण और अग्रिम, जमा और मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से अन्य शेष राशि की शेष सुलह और पुष्टि के अधीन है।

(iv) टिप्पणी संख्या – 20(XI) : पुराने क्रेडिट शेष बकाया / अ–समायोजित राशि के संदर्भ में, 1387.81 लाख रूपये (गत वर्ष 939.55 लाख रूपये) 4 वर्षों के अधिक के ग्राहकों के जमा खातों में पड़े हैं।

(v) व्यापार में देय राशि अभी भी शेष है जोकि खाता रहित / अस्थिर है और ग्राहक के काम और दायित्व के परिणाम के साथ सुनिश्चित नहीं है, यदि कोई हो, अथवा ज्ञात नहीं है। उपरोक्त योग्यता के प्रभाव में, अनिश्चितताओं को देखते हुये, लाभ एवं हानि खाता, परिसम्पत्ति तथा कम्पनी की देनदारियां वर्तमान में गिनने योग्य (Quantifiable) नहीं हैं।

(ख) (i) अभी 135 परियोजनाएं (सिविल कार्य एवं प्रापण) को मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से कम्पनी द्वारा ली गई है। इन वित्तीय कारकों को कंपनी की पुस्तकों में शामिल किया गया है और '' मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से '' अलग खाते में दिखाया जाता है। मंत्रालय की ओर से बैंक के पास रखे गए बैंक खातों और सावधि जमा / ग्राहक नियमित आधार एवं ब्याज के लेखों पर कम्पनी द्वारा नजर रखी जाती है तथा समय–समय पर संबंधित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गए जमा आंकड़ों / विवरण के आधार पर कम्पनी द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(ii) 135 परियोजनाओं के वित्तीय परियोजनाओं में से, ग्राहकों के व्यय से संबंधित विवरण परियोजनाओं के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे विवरणों की अनुपस्थिति में, इन पात्रों द्वारा जमा धनराशि में मौजूद किसी भी कमी का कारण यदि कोई हो, उसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

(iii) ग्राहकों का खाता संख्या (अकाउंट कोड एस.एल.53) से मुनाफा जमा के तहत कुछ अ–रिकन्साइल षेष बकाया है, जिसमें खातों की '' अन्य कालिन टर्म देयताएं '' के खातों के अनुसार सारणी संख्या 5 में दिखाये गये 4029.13 लाख रूपये के ऋण शेष राशि और रूपये का डेबिट बैलेंस है जो 2710.08 लाख रूपये खाते में '' लघु अवधि केऋण और अग्रिम '' के अनुसार अनुसूची संख्या 15 में दिखाया गया है, जैसा कि ग्राहकों से पुनर्प्राप्ति योग्य है। जैसा कि प्रभाव में, यदि कोई हो, अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण और वास्तविक समय विश्लेषण और स्थिर जमा और उसके ब्याज के सत्यापन के कारण लाभ या हानि और परिसम्पत्तियों और देनदारियों का पता नहीं लगाया गया है।

(ग) वित्त वर्ष 2016–17 के वित्तीय वर्श की चौथी तिमाही में 301.12 लाख रूपये की वित्तीय धोखाधड़ी का पता चला था और हमें सूचित किया था। धोखाधड़ी की सटीक राशि हमारे लेखा–परीक्षा के पूरा होने तक अनजान हैं। हालांकि, नौएडा पुलिस के साथ प्रबंधन द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। संदर्भ हेतु टिप्पणी संख्या : 20 (IV) देखें।

योग्य राय (Qualified Opinion)

हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार सबसे अच्छा करने के लिए एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त योग्य राय अनुच्छेद में वर्णित इस मामले के प्रभाव के अलावा, इसके साथ कम्पनी के वित्तीय विवरण आवश्यक तरीके से कार्य करने एवं जानकारी देने के लिए आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गये लेखा सिद्वांतों के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार के तहत हमारी राय और जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, रिपोर्टिंग तारीख और इसके लाभ और वर्ष के लिये अपने नकदी प्रवाह पर उस दिन समाप्त उसका लाभ सत्य एवं स्पष्ट है।

मामले का महत्व (Emphasis of Matter)

हम निम्नलिखित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :–

(क) टिप्पणी संख्या – 20(VI) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में :– दिनांक 06.09.2016 को आयोजित बोर्ड की 145वीं बैठक में, ठेके के संबंध में ब्याज आय, जो ग्राहक निधि से बाहर की गई फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज के बारे में ज्ञात नहीं हैं, उसे ग्राहक खाते में जमा की गई है। इस प्रकार कम्पनी की आय में पिछले वर्ष की तुलना में 1530 लाख रूपये की कमी है।

(ख) कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिये होम–टाउन की यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई है ।

(ग) आतंरिक नियंत्रण प्रणाली, जो एफ.डी.आर. और तरल निधि में कम्पनी द्वारा निर्धारित फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज के सभी लेन–देन की जांच और सत्यापन की आवश्यकता है और खर्चो के समायोजन, संबंधी लेखों में आय और बैंक लेन–देन, कम्पनी के वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में अनुचित देरी के कारण उन्हें कमजोर पाया गया।

(घ) वित्तीय विवरणों पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण (संदर्भ हेतु : स्वतन्त्र लेखाकारों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – 2 देखें) जोकि अशक्त है और जिसे मजबूत करने की जरूरत है।

(ड़) ये सभी परियोजनाएं पुरी कर ली गई हैं और मंत्रालय / ग्राहकों को सौंप दिया गया है, लेकिन कम्पनी की पुस्तकों में इन खातों की वित्तीय समाप्ति नहीं हुई है। आगे, ये ऐसी परियोजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इन्हें सौंपने और उसकी प्रक्रिया पूरी करने के लिये अभी समयोचित समय मांगा गया है। इससे लाभ या हानि पर इसका असर उस वर्ष में होगा, जिसमें वित्तीय समापन किया गया है।

(च) दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को न्यू औखला इन्डस्ट्रीयल डेवलप्मैंट ऑथारिटी (नौएडा) द्वारा एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड को 2518.13 वर्ग मीटर के हिसाब से दो प्लॉट नम्बर :– ई–13 तथा ई–14, सैक्टर–1, नौएडा का आबंटित किया गया तथा नौएडा के साथ पूरक पट्टे का कार्य निश्पादित किया गया। विधेयक के खण्ड 4 के अनुसार कम–से–कम एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड को चार वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के भीतर भूमि का निर्माण अथवा निर्माण को पूरा करना होगा, जब तक की पट्टादाता समय के विस्तार की अनुमति नहीं देता। जबकि पट्टा अनुबंध 21.04.2017 को समाप्त हो चुका है और कम्पनी ने ना तो विस्तार के लिये आवेदन किया है और ना ही इमारत का निर्माण किया है।

(छ) मॉरीशस में मिली परियोजना को संभालने तथा आधिकारिक दौरे के लिये कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को अमेरिकी डॉलर USD 5050 दिये गये थे, जिसमें से उन्होंने USD 2955 वापस कर दिये हैं जोकि नवम्बर, 2016 के पहले सप्ताह में संपन्न हुआ था। ये यू.एस.डी. डॉलर ना तो किसी बैंक खाते में जमा हुये और ना ही अगस्त, 2017 के मध्य तक कम्पनी में लौटे।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

(Report on other Legal and Regulatory Requirements)

1. कम्पनी आदेश (आडिटर्स रिपोर्ट) आदेश, 2016 (" आदेश ") के तहत धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार, इस दिशा में केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा यथा संशोधित, हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 व 4 में लागू हद तक, उल्लिखित मामलों पर एक विवरण अनुबन्ध "1" के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के द्वारा जरूरी है, हम रिपोर्ट देते हैं कि : –

   (क) हमने वह सभी सूचना एवं विवरण प्राप्त किए जो हमारी आडिट की मांग, पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के लिए लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक थे।

   (ख) हमारे विचार से जहां तक खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार यथा अपेक्षित लेखा बहियां रखी हैं।

   (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, नकदी प्रवाह विवरण और लाभ–हानि खाते लेखा बहियों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

   (घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरणों को कम्पनी (लेखा और लेखा–परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 7 के अधीन अनुभाग –133 पठनीय अधिनियम के तहत तैयार किया गया है।

   (च) दिनांक 21.10.2003 को कम्पनी अधिनियम, 2013, जोकि पठनीय धारा 620(1) के तहत जारी, अधिसूचना संख्या : जी.एस.आर. –829(ई) के तहत जारी कम्पनी अधिनियम 1956 तथा पठनीय धारा 465(2) की उप–धारा (2) जोकि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत ये प्रावधान सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होते।

   (छ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में इस तरह के नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता को हमने अपनी अनुबंध–2 की रिपोर्ट में दे दिया है।

   (ज) अन्य विषय के संबंध में हमारी राय में कम्पनियों के नियम 11 (लेखा–परीक्षा और लेखा–परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में है और हमारी जानकारी में सबसे अच्छा है हमारे लिए दिए गए स्पश्टीकरण के अनुसार करने के लिए भी :

      i. कम्पनी ने वित्तीय विवरणों में आई अपनी स्थिति पर 31 मार्च, 2017 से ही लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। (संदर्भ हेतु वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 20(II), (III) तथा (XXVIII) देखें)

      ii. दीर्घ–कालीन अनुबंध सहित कम्पनी का किसी भी मामले में अनुबंध लम्बित नहीं है जिसका प्रकटीकरण किया जाये।

      iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को हस्तांतरित करने के लिये कोई रकम नहीं है।

      iv. कम्पनी ने विशिष्ट बैंक नोटों में अपनी होल्डिंग और सौदे के संबंध में स्टैंड–अलोन वित्तीय वक्तव्यों में अपेक्षित खुलासे प्रदान किये हैं, जैसा कि दिनांक 08 नवम्बर, 2016 की वित्त मंत्रालय अधिसूचना संख्या : एस.ओ. 3407 (ई) दिनांक 08.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान अधिसूचना में वर्णित है। हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा प्रदान किये गये अभ्यावेदन के आधार पर, हम यह सत्यापित करते हैं कि यह रिपोर्ट कम्पनी द्वारा बनाये गये खातों के लेखों के अनुसार है।

3. जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 143(5) के अनुरूप, भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये उप–दिशा के तहत हम अपने उत्तर अनुबंध "3" में दिये गये विवरण के तहत दे रहे हैं।

कृते **एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811एन

हस्ता./–

(एल.सी.गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नौएडा
दिनांक : 26.09.2017

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "1"

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के खातों पर एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समसंख्यक तिथि तक की रिपोर्ट में वर्णित, पैरा 3 और 4 के आदेश में निर्दिष्ट मामलों का विवरण धारा 143 की उप–धारा (11) में विनिर्दिष्ट किया गया है :–

i. (क) कम्पनी ने मात्रा संबंधी विवरणों एवं अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित अभिलेखों का उचित रिकॉर्ड बना रखा है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वास्तविक रूप से जांच पड़ताल की गयी, जोकि हमारी राय में उचित है, यह कम्पनी के आकार और स्थायी परिसम्पत्तियों की प्रकृति के अनुरूप तर्कसंगत। कम्पनी के चार्टर्ड एकाउंटेंड की एक फर्म द्वारा किए गए वर्ष 2016–17 के लिए तय की गयी स्थायी परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है तथा कोई सामग्री विसंगतियों के तहत सत्यापन हेतु नहीं पाई गई है।

(ग) सभी अचल सम्पत्तियों के अधिकार–पत्र कम्पनी के नाम पर हैं।

ii. क्योंकि कम्पनी द्वारा कोई माल–सूची नहीं बनायी गयी है, सभी अनुबंधों पर टर्नकी आधार पर सामग्री के साथ ठेकेदारों को कार्य–दिया जाता है, इसलिए यह पैरा इन पर लागू नहीं होते।

iii. हमें दी गई सूचना और जानकारी के आधार पर, कम्पनी ने ना ही कोई ऋण स्वीकृत किया और न ही कोई ऋण लिया । कम्पनी अधिनियम, 2013, अन्य पैरा की धारा 189 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कम्पनी संगठन से / अथवा अन्य पार्टियों तथा / कम्पनी से किसी प्रकार का आरक्षित अथवा अनारक्षित ऋण नहीं लिया है, इसलिये इस पैरा के आदेश लागू नहीं होते।

iv. कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत, कम्पनी ने किसी भी प्रकार का ऋण, निवेश की सुरक्षा की गारंटी अथवा इसके तहत धारा 185 /धारा 186 का उल्लंघन नहीं किया है।

v. हमें दी गई सूचना और जानकारी के आधार पर हमारी राय में, कम्पनी ने लोक–जन से कोई भी राशि जमा अथवा स्वीकार नहीं की है अतः जैसा कि भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा निर्देशित है, धारा 73 तथा धारा 76 के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है और ना हीं ये कम्पनी पर लागू होते हैं।

vi. चूँकि कम्पनी किसी भी वि–निर्माण गतिविधि को नहीं ले रही है, इसलिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकार्ड बनाये रखने का सवाल लागू नहीं होता है।

vii. (क) चूँकि भविष्य निधि, आयकर बिक्री–कर, धन–कर, सेवा–कर, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक देय राशि को सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारी को नियमित तौर पर जमा करा दी और कोई निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं है। 31 मार्च 2017 को छः महीने से अधिक की अवधि के लिये बकाया के रूप में आयकर मांग के अलावा आयकर छूट, प्राधिकरण के आयकर अधिनियम, 1961 तहत धारा 143(3) के आकलन वर्ष 2013–14 हेतु 42,87,870 रूपये जो उस तारीख से छः महीने से अधिक के लिये उदत्त और बकाया राशि है जो इसे देय हो गया है। हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी ने ठेकेदार के कार्य से संबंधित पी.एफ और ई.एस.आई. की बकाया राशि को जमा करने के संबंध में प्रणाली और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं।

(ख) कम्पनी के रिकार्ड और हमें सुलभ करायी गयी सूचना और विवरणों के अनुसार, कम्पनी पर किसी भी प्रकार का बिक्री–कर या संपत्ति कर या उत्पाद शुल्क या मूल्य–वर्धित कर या उप–कर या सीमा–शुल्क की राशि बकाया नहीं है। हालांकि, विवाद के कारण जमा नहीं किये गये आयकर, सर्विस–टैक्स तथा अन्य वैधानिक देय राशि, उसका विवरण निम्नवत है :–

देय का नाम	राशि लाख में	संबंधित अवधि	किस फोरम के तहत लंबित है
सर्विस टैक्स	5.29 प्लस दण्ड और ब्याज के बराबर राशि	अक्टूबर 2009 – सितम्बर 2010	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील)
सर्विस टैक्स (सेनवैट क्रेडिट)	10.05 प्लस ब्याज	अप्रैल 2010 – मार्च 2012	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील)
सर्विस टैक्स (दंड)	2.64 प्लस 2.64 दंड सहित	जनवरी, 2004	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील)
आयकर	1452.00	वित्तीय वर्ष – 2012–13	सी. आई.,टी. (अपील)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI)	1.83	01.01.1997 से 31.07.2004	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर
भविष्य निधि	6.86	2004–2005 से 2008–2009	भविष्य निधि अधिकरण
पश्चिमांचल वितरण निगम लिमिटेड से विद्युत की बकाया राशि	12.32	जून, 2013	क्षेत्रीय उपभोक्ता फोरम, ग्रेटर नौएडा

(ग) हमें सुलभ करायी गई सूचना एवं विवरणों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2017 तक वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में किसी भी राषि को हस्तांतरित नहीं किया गया है।

viii. जब से कम्पनी स्वामित्व में आई है तब से कम्पनी ने किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक अथवा डिबेंचर होल्डर से किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया है। अतः कम्पनी पर यह पैरा लागू नहीं होता।

ix. कम्पनी ने अब तक आद्य लोक प्रस्ताव या पुनः लोक प्रस्ताव और शर्तों द्वारा ऋण के माध्यम से कोई भी पैसा (ऋण साधनों सहित) नहीं उठाया है, अतः कम्पनी पर यह पैरा लागू नहीं होता।

x. कई लेन–देन से जुड़े दो धोखाधड़ी की सूचना जर्द की गई हैं जिसमें कम्पनी के कुछेक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिप्त होने की सूचना मिली हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही में अभी तक की गई धोखाधड़ी की राषि 301.12 लाख (245.57 रूपये तथा 59.55 लाख रूपये) का पता चला है। यह मामला अभी नौएडा पुलिस के समक्ष विचाराधीन है। बैंक खातों के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया में, इण्डियन ओवरसीज बैंक, सैक्टर –1, नौएडा के साथ कम्पनी के बैंक खाते में कुछ अज्ञात प्रविष्टियां / धोखाधड़ी का लेन–देन देखा गया था तथा यह मामला अभी जांचाधीन है।

xi. हमें दी गयी सूचना एवं सुलभ कराये गये विवरणों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम की धारा 2013 के तहत, आपेक्षित अनुमोदन मेनडेटिड द्वारा कम्पनी ने धारा 197, जोकि पठित अनुसूची–V के प्रावधानों के तहत अपना प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया है।

xii. कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है इसलिये सी.ए.आर.ओ.–2016 के आदेश के खण्ड–3(xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं हैं।

xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी का संबंधित पक्ष के साथ लेन–देन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणी अनुसूची की टिप्पणी संख्या 20(xxiii) में संबंधित पार्टी के लेन–देन और विवरणों का खुलासा किया गया है।

xiv. वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी प्रकार के निजी शेयरों का आवंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट पुर्णतः या आंशिक तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचर्स का लेन–देन अथवा समीक्षाधीन नहीं हैं। तदनुसार, खण्ड–3(xiv) के आदेश कम्पनी पर लागू नहीं होते।

xv. हमें दी गयी सूचना एवं सुलभ कराये गये विवरणों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 में विनिर्दिष्ट नियमों के तहत, कम्पनी ने उसके साथ जुड़े हुये निदेशकों या व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर नकद या लेन–देन नहीं किया है।

xvi. भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम, 1934 की धारा 45–1ए के तहत पजींकृत किसी भी वस्तुओं का कारोबार अथवा कार्यकलापों का लेन–देन नहीं करती है। तदनुसार, खण्ड–3(xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

कृते एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811एन

हस्ता./–
(एल. सी. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नौएडा
दिनांक : 26.09.2017

स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2 जो एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को स्टैन्डअलोन पर दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुये वर्ष का वित्तीय विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('' अधिनियम '') के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर धारा–143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के तहत रिपोर्ट

हमने एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड ('' कम्पनी '') की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है तथा हमारी लेखा–परीक्षा के साथ संयोजन की उस तिथि तक कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण लेखा–परीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी के प्रबंधन की स्थापना और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाये रखने के लिये जिम्मेदार है, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड कम्पनी द्वारा स्थापित किये गये हैं, आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करने एवं मार्गदर्शन टिप्पणी में कहा गया है, आंतरिक वित्तीय की लेखा–परीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये वित्तीय रिपोर्टिंग को नियंत्रित करता है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और अपने व्यापार के रख–रखाव और उसके कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, कम्पनी की नितियों के पालन सहित, अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने, सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक माहौल एवं वातावरण तैयार करना है।

लेखा–परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी इन लेखा–परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करने की है। हम वित्तीय रिपोर्टिंग ('' मार्ग–दर्शक टिप्पणी'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा पर साथ गाइडेंस नोट अनुसार हमारे लेखा–परीक्षा का आयोजन तथा अंकेक्षण पर मानक, आई.सी.ए.ई. द्वारा जारी किये गये और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लेखा–परीक्षा को प्रतिपादित करने एवं दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को एक लेखा–परीक्षा के लिये लागू करने की गई है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई हैं। हमने द्वारा इस्तेमाल किये गये मानक एवं गाइडेंस टिप्पणियां उन्हें लेखा–परीक्षा में हमने नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन के आधार पर प्रयोग किया गया है तथा इस योजना को कार्यान्वित करने कि क्या यह वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने, उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये तथा लेखा–परीक्षा प्रदर्षन करने में अगर इस तरह के नियंत्रण को सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित की जाती हैं।

हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके परिचालन प्रभाव के बारे में लेखा–परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने वाले मानक शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग को तैयार करने में हमने लेखा–परीक्षा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की बारिकियों और दूरदर्शिता मद्देनजर मारी लेखा–परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझदारी भी शामिल है जो जाखिम की एक सामग्री कमजोरी मौजूद आकलन, परीक्षण और मूल्यांकन जोखिम तथा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर और आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता का मूल्यांकन, प्रक्रियाओं से चयनित लेखा–परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, चाहे कारण धोखाधड़ी या त्रुटि, जो भी हो, इसमें वित्तीय ब्यान की सामग्री एवं गलत ब्यान के जोखिम का आकलन भी शामिल हैं।

हम मानते हैं कि लेखा–परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर, हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा–परीक्षा की राय में आधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त और उचित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ और वित्तीय रिपोर्टिंग

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिये वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिये बनाई गई है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं में शामिल है जोकि (1) यह कि, उचित विस्तार से, सही अभिलेखों के रख–रखाव से संबंधित है और काफी लेन–देन और कम्पनी की सम्पत्ति के स्वभाव को प्रतिबिंबित (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, यह कि लेन–देन में आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की अनुमति के लिये दर्ज कर रहे हैं तथा आवश्यक अनुरूप और प्राप्तियों और व्यय को कम्पनी के केवल प्रबंधन प्राधिकरण और कम्पनी के निदेशक के अनुसार किया जा रहा है, जैसा कि (3) रोकथाम या अनधिकृत अधिग्रहण के समय का पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, कम्पनी की सम्पत्ति का स्वभाव है कि वित्तीय ब्यान पर एक सामग्री हो सकता है जिसका उल्लेख वित्तीय विवरणों में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय की निहित सीमाओं पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण

क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निहित सीमाओं की, मिली–भगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबधंन तथा ओवर–राइड की संभावना सहित धोखाधड़ी के होने अथवा नहीं होने की स्थिति अथवा किसी भी त्रुटि के कारण गलत ब्यानों का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अध्याधीन है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है इसलिए शर्तों में परिवर्तन की वजह से या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय (Opinion)

हमारे विचार से, 31 मार्च, 2017 तक के आकंड़ों तक, कम्पनी ने सामग्री के सभी मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के आतंरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में सुधार की जरूरत है। वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में कहा गया है, जोकि आतंरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके स्थापित आतंरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।

कृते एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811एन

हस्ता./–
(एल. सी. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नौएडा
दिनांक : 26.09.2017

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "3"

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 2016–17 के दौरान वार्षिक खातों का सांविधिक लेखा–परीक्षकों द्वारा किये गये ऑडिट पर दिशा–निर्देश / उप–दिशा–निर्देश क्षेत्रों पर जांच हेतु टिप्पणी की है।

क्रम संख्या	दिशा–निर्देश / उप–दिशा–निर्देश	की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
क	**दिशा–निर्देश**		
1.	क्या कम्पनी का शीर्षक / लीज़ क्रमशः फ्री–होल्ड और लीज़–होल्ड प्रलेख क्रमानुसार है? यदि नहीं, तो कृपया बतायें किस भूमि का फ्री–होल्ड / लीज़–होल्ड शीर्षक क्षेत्र और उसके कार्य की डीड उपलब्ध नहीं है।	कम्पनी के पास ई–13 और ई–14, सैक्टर–1, नौएडा में दो लीज़–होल्ड प्लॉट हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 2518.13 वर्ग मीटर है। जैसा कि पट्टा समझौते के अनुसार इमारत का निर्माण करने के लिये विस्तारित अवधि 21.04.2017 को समाप्त हो गई है। कम्पनी ने ना तो इसके विस्तार के लिये आवेदन किया है और ना ही इमारत का निर्माण किया है।	इस स्तर पर मूल्यांकन नहीं कर सकते।
2.	क्या वहाँ छूट के किसी भी मामलें / चाहे वे डेबिटों के बट्टे खातों / ऋणों / ब्याज इत्यादि, यदि हॉ तो कोई हो तो वहॉ के लिये और राषि शामिल की जाये।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के अधित्याग / कुल हानि का मामला नहीं बनता ।	– शून्य –
3.	सरकार और अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में स्वीकार किये जाने वाले माल एवं अन्य वस्तुओं का उचित रिकार्ड किया जाता है।	लागू नहीं, कम्पनी की वजह से अपने कारोबार की प्रकृति की किसी भी सूची को जारी नहीं करती है तथा कोई भी सम्पत्ति उपहार के रूप में सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त नहीं की है।	– शून्य –
ख	**उप–दिशा–निर्देश : शून्य**		

कृते एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811एन

हस्ता./–
(एल. सी. गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नौएडा
दिनांक : 26.09.2017

एच एस सी सी (इंडिया) लि.

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र

(राशि ₹ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को (रूपयों में)	31 मार्च, 2016 को (रूपयों में)
I इक्विटी एवं देयताएं			
1 शेयरधारकों की निधियां:			
(क) शेयर पूंजी	2	24,001,800	24,001,800
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	3	1,958,523,316	1,718,225,451
(ग) विनिर्दिष्ट आरक्षित	4	5,315,523	13,660,523
2 अ–सामयिक देयताएं			
(क) अन्य दीर्घ–कालीन प्रावधान	5	492,216,169	453,280,637
(ख) दीर्घ–कालीन प्रावधान	6	74,124,534	59,893,737
3 वर्तमान देयताएं			
(क) ट्रेड भुगतान योग्य	7	4,100,791	3,784,904
(ख) (i) अन्य वर्तमान देयताए	8	317,869,711	210,135,887
(ii) अन्य वर्तमान देयताएं – मंत्रालय/ग्राहक		20,036,845,875	16,806,561,917
(ग) अल्प–अवधि प्रावधान	9	109,750,682	173,296,542
कुल		**23,022,748,401**	**19,462,841,398**
II परिसंपत्तियां			
1 अ–सामयिक परिसंपत्तियां			
(क) स्थाई परिसंपत्तियां	10		
(i) मूर्त		69,194,046	62,627,411
(ii) अ–मूर्त		712,784	832,006
(iii) बचाई गई अवशिष्ट परिसम्पत्तियां		165,440	165,440
(iv) पूंजी डब्ल्यू.आई.पी.–सॉफ्टवेयर		621,000	-
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (कुल)	11	68,935,201	46,375,884
(ग) दीर्घ कालीन ऋण तथा अग्रिम	12	6,206,344	6,787,822
2 सामयिक परिसंपत्तियां			
(क) ट्रेड प्राप्ति योग्य	13	782,706,548	424,524,650
(ख) (i) नकद तथा नकद समकक्ष	14	1,535,551,034	1,558,738,317
(ii) नकद तथा नकद समकक्ष (मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से)		14,247,974,375	12,472,937,549
(ग) (i) अल्प–कालीन ऋण तथा अग्रिम	15	332,490,433	277,463,467
(ii) अल्प–कालीन ऋण तथा अग्रिम (मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से)		1,954,357,824	1,562,475,273
(घ) (i) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	16	189,319,696	278,764,484
(ii) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां (मंत्रालय/ग्राहकों की ओर से)		3,834,513,676	2,771,149,095
कुल		**23,022,748,401**	**19462841398**

ऊपर 1 से 20 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एल सी कैलाश एवं सहभागी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811N

भागीदार : एल. सी. गुप्ता
सदस्यता संख्या : 005122

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03555957

ह0/–
(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएनः 06573103

ह0/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

ह0/–
(अजय सूरी)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

स्थान : नौएडा
दिनांक : 25.09.2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि लेखा विवरण

(राशि ₹ में)

विवरण	टिप्पणी सं0	2016-17		2015-16	
I. प्रचालनों से राजस्व					
क किये गये कार्य की राशि			15,111,652,106		10,218,042,198
ख ग्राहक की राशि पर व्याज आय			908,772,970		594,447,522
ग अन्य आय	17		172,114,165		257,316,641
II. कुल राजस्व (I+II)			**16,192,539,241**		**11,069,806,361**
III. व्यय :					
क अनुबन्ध खर्च			14,318,204,253		9,240,240,153
ख ब्याज श्रेय/सरकारी ग्राहकों के लिए भुगतान किया गया			908,772,970		594,447,522
ग कर्मचारी लाभ व्यय	18		323,870,307		222,439,753
घ. प्रशासकीय एवं अन्य व्यय	19		77,433,017		110,645,913
ड़ मूल्यह्रास एवं प्रतिशोधन व्यय	10		7,320,057		6,295,172
IV. कुल व्यय			**15,635,600,604**		**10,174,068,513**
V. अपवादी एवं असाधारण मदा से पहले लाभ एवं कर (II - IV)			556,938,637		895,737,849
VI. अपवादी एवं असाधारण मदों					
क) अपवादी मद					
गत–अवधि आय		8961852		524,895	
गत–अवधि खर्चे		-1529652		-16457135	
पहले वर्ष में अतिरिक्त लेखा		-2758883	4,673,317	-11148894	-27081134
ख) असाधारण मद			-		-
VII. कर पूर्व लाभ (V-IV)			561,611,954		868,656,715
VIII. कर व्यय :					
क. वर्तमान कर		207,633,040		340,485,522	
ख. गत वर्ष के कर		442,300		-	
ग. आस्थगित कर		(22,559,317)		(17,983,557)	
			185,516,023		322,501,965
IX. वर्ष हेतु लाभ (VII - VIII)			**376,095,931**		**546,154,750**
X. 100 रूपये के प्रति अर्जित प्रति इक्विटी शेयर	20(XXIV)				
मूलभूत अर्जित प्रति शेयर			1,566.95		2,275.47
प्रति शेयर कम की गई आमदनी			1,566.95		2,275.47

ऊपर 1 से 20 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एल सी कैलाश एवं सहभागी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811N

भागीदार : एल. सी. गुप्ता
सदस्यता संख्या : 005122

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03555957

ह0/–
(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएनः 06573103

ह0/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

ह0/–
(अजय सूरी)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

स्थान : नौएडा
दिनांक : 25.09.2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
(क) नकद प्रवाह प्रचालक कार्यकलाप		
कर पूर्व लाभ	561,611,954	868,656,715
समाशोधन हेतु:		
जोड़ें : कराधान (मूल्यह्रास)	7,320,057	6,330,963
जोड़ें : ई.एम.डी./एस.डी./डेबिटर्स हेतु प्रावधान	232,910	41,926,169
जोड़ें : परियोजना प्राधिकारियों को ब्याज भुगतान	908,772,970	594,447,522
जोड़ें : स्थायी परिसंपत्तियों के सकल भुगतान हेतु समाशोधन	2,870,894	-
घटाएं : दावा नहीं की गयी शेष राशियों का पुनरांकन	1,131,759	-
घटाएं : प्रावधान जिनकी आवश्यकता नहीं	241,465	-
घटाएं : जमें हुए मूल्यह्रास से समायोजित किया हुआ	2,870,894	
घटाएं : स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	2,566	11,383
घटाएं : ग्राहक फण्ड पर ब्याज	908,772,970	594,447,522
घटाएं : पुनरांकन हेतु प्रावधान (लाभांश कर)	-	57,594
घटाएं : ब्याज आय	163,393,152	249,183,152
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालक लाभ (I)	**404,395,979**	**667,661,718**
समाशोधन हेतु:		
बढ़ोत्तरी/(कमी) – अन्य वर्तमान देयताओं में – मंत्रालय	2,153,481,043	4,721,800,296
बढ़ोत्तरी/(कमी) – अन्य दीर्घ–कालीन देयताएं	38,935,532	(4,400,351)
बढ़ोत्तरी/(कमी) – दीर्घ–कालीन प्रावधान	14,230,797	
बढ़ोत्तरी/(कमी) – प्रावधानं	212,343	4,485,384
बढ़ोत्तरी/(कमी) – अन्य वर्तमान देयताएं	107,755,579	21,801,310
बढ़ोत्तरी/(कमी) – भुगतान हेतु ट्रेड	983,592	(717,414)
कमी – कॉरपोरेट समाजिक दायित्व फण्ड	(8,345,000)	(1,594,059)
कुल बढ़ोत्तरी/(कमी)–वर्तमान देयताएं	**2,307,253,885**	**4,741,375,166**
बढोतरी/(कमी) – प्राप्ति योग्य ट्रेड	357,940,433	155,543,847
बढ़ोतरी/(कमी) – अल्प–कालीन ऋण एवं अग्रिम	55,181,966	108,730,352
बढोतरी/(कमी) – अल्प–कालीन ऋण एवं अग्रिम – मंत्रालय ग्राहकों की ओर से	391,882,551	94,025,005
कमी : दीर्घ कालीन ऋण एवं अग्रिम	(503,568)	(271,210)
बढ़ोतरी/(कमी) – अन्य वर्तमान संपत्तियों पर – मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से	980,416,059	-
कमी – अन्य वर्तमान सम्पत्तियों में	(104,830,473)	2,581,495,851
कुल बढ़ोतरी / (कमी) – वर्तमान संपत्तियाँ	**1,680,086,967**	**2,939,523,845**
कार्यशील पूंजी में शुद्ध परिवर्तन (II)	**627,166,918**	**1,801,851,321**
प्रचालक कार्यकलापों से नकद राशि की उत्पत्ति (I+II)	**1,031,562,897**	**2,469,513,039**
घटायें : प्रत्यक्ष कर भुगतान	209,987,606	368,740,746
प्रचालक कार्यकलापों से कुल नकद प्रवाह (क)	**821,575,291**	**2,100,772,293**
(ख) निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह		
स्थायी सम्पत्तियों की बिकी	15,872	38,696
जोड़ें : ब्याज प्राप्त किया गया (ग्राहक फण्ड)	825,824,448	595,745,753
जोड़ें : ब्याज प्राप्त किया गया (अपना फण्ड)	1,224,810,382	240,477,897
घटायें : परियोजना प्राधिकारियों को भुगतान किया गया ब्याज	908,772,970	303,276,538
जोड़ें : नये उपकरणों का प्रापण	14,401,778	4,964,033
निवेश कार्यकलापों से कुल नकद प्रवाह (ख)	**1,127,475,954**	**528,021,775**
(ग) वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह:		
भुगतान किये गये इक्विटी शेयरों पर लाभांश	163,846,425	49,203,690
जोड़ें : भुगतान किया गया लाभांश	33,355,277	10,016,714
वित्तीय कार्यकलापों से कुल नकद (ग)	**(197,201,702)**	**(59,220,404)**
कुल बढ़ोतरी / (कमी) – नकद और नकद के समांतर (क+ख+ग)	1,751,849,543	2,569,573,664
जोड़ें – वर्ष के शुरुवात में नकद	14,031,675,865	11,462,102,201
वर्ष के शुरुवात में नकद	15,783,525,409	14,031,675,865
सारांश:		
नकद, वर्ष के अन्त में		
(क) हस्थगत नगद	4,873	30,204
(ख) बैंकों में शेष राशि		
- चालू खाते में	102,480,786	291,734,211
- जमा खाते में (1 वर्ष)	1,433,065,375	
- जमा खाते में (1 वर्ष)	-	1,266,973,901
कुल (क)	**1,535,551,034**	**1,558,738,316**
मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से अन्य बैंकों में उपलब्ध राशि		
- बचत खाते में	1,612,370,226	909,798,779
- जमा खाते में (1 वर्ष)	135,204,171	
- जमा खाते में (1 वर्ष)	12,500,399,978	11,563,138,770
कुल (ख)	**14,247,974,375**	**12,472,937,549**
कुल योग (क+ख)	**15,783,525,409**	**14,031,675,865**

ऊपर 1 से 20 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एल सी कैलाश एवं सहभागी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811N

भागीदार : एल. सी. गुप्ता
सदस्यता संख्या : 005122

स्थान : नौएडा
दिनांक : 25.09.2017

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03555957

ह0/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

ह0/–
(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएनः 06573103

ह0/–
(अजय सूरी)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

1. लेखा संबंधी आवश्यक नीतियाँ

I. कम्पनी के विषय में

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड, भारत सरकार की एक मीनि–रत्न (केटेगरी – I कम्पनी) है जो हैल्थ–केयर तथा सामाजिक क्षेत्रों में सु–विख्यात परामर्शदायी एवं प्रापण प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने वाला संगठन है। जिसकी सेवाओं का वर्णक्रम भारत तथा विदेशों में साध्यता शिक्षण, डिजाइन इंजीनियरिंग, विस्तृत टेंडर डॉक्यूमैन्टेशन, निर्माण पर्यवेक्षण, व्यापक परियोजना प्रबंधन, समस्त क्षेत्रों में सिविल, इलैक्ट्रिकल, मेकेनिकल, सूचना तकनीकी तथा सहायक मेडिकल सेवाएं क्षेत्रों में प्रापण समर्थन सेवाएं प्रदान करना है।

II. तैयारी का आधार

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये भारत में प्रयुक्त लेखा मानकों से संबंधित समस्त सामग्रियों (इण्डियन गैप) का इस्तेमाल किया गया है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत पठित नियम 7 के कम्पनी नियम (लेखा), 2014 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को एक प्रोद्भवन आधार पर एक ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन तैयार किया गया है। कम्पनी द्वारा इन लेखांकन नीतियों का सतत रूप से प्रयोग किया जाता है, सिवाय वहां जहां कि नये जारी किये गये लेखा मानकों को अपनाया जाता है या वर्तमान लेखा मानकों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लेखांकन नीतियों के उपयोग में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

III. अनुमान के उपयोग (Use of Estimates)

आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किये जाने वाले वित्तीय विवरण में यह आवश्यकता होती है कि प्रबंधन वित्तीय विवरणों की तिथि पर रिपोर्ट किये जाने वाले आस्तियों एवं दायित्वों की राशि, संभावित दायित्वों तथा उस अवधि के दौरान प्रदर्शित आगम एवं व्ययों की राशि के संबंध में उचित आंकलन एवं अनुमान लगायें। वास्तविक परिणाम उन लगाये गये आकंलनों एवं अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और ऐसी भिन्नता की राशि को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है, जिस वर्ष में उसके परिणामों का पता लगाता है अथवा कार्यान्वित होते हैं।

IV. आगम मान्यता (Revenue Recogniation)

विभिन्न सेवाओं के बारे में तथा उनसे प्राप्त राजस्व की मान्यता संबंधी नीतियां निम्नानुसार हैं :–

क) निर्माण संविदाओं पर (परियोजना प्रबंध)

i. किये गये कार्यों की मान्यता कार्य पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। रिपोर्टिंग तिथि पर कार्य का मूल्यांकन अनुबंध के विविध पायदानों के पूर्ण होने पर एवं जहां ऐसे पायदान परिभाषित नहीं हैं वहां मापने योग्य कार्यों की पूर्णता के आधार पर वास्तविक लागत तथा अनुपातिक लाभ प्रतिशत के आधार पर किया जाता है।

ii. किये गये कार्यों / परामर्श शुल्क की मान्यता अनुबंध में उल्लेखित विविध पायदानों / कार्य के पूर्ण होने के अनुपातिक आधार पर की जाती है।

iii. वर्ष के अन्त में, ऐसे निष्पादित कार्य जिन्हें मापा नहीं जा सकता, को प्रभारी अभियन्ता के प्रमाणिकरण के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iv. समय से पूर्व बन्द हो चुकी / रदद हो चुकी परियोजनाओं के संबंध में आगम की मान्यता केवल अनुबंध के उस हिस्से तक की जाती है जिसकी वसुली प्रभारी अभियन्ता के पूर्व अनुभवों के आधार पर संभावित है।

v. जमा और / या लागत एवं लाभ आधारित अनुबंधों की स्थिति में आगम की मान्यता ठेकेदार द्वारा पूर्ण किये गये कार्य की लागत एवं अनुपातिक लाभ प्रतिशत के आधार पर की जाती है।

vi. अतिरिक्त दावों का मूल्य / प्रतिस्थापित मदों की मान्यता मद–दरों एवं अन्य दावों की वसुली के संबंध में प्रभारी अभियन्ता के पूर्व अनुभवों के आधार पर की जाती है।

ख) प्रापण पर (On Procurement)

i. राजस्व (फीस) की मान्यता ग्राहकों के साथ हुए समझौते के अनुसार अलग–अलग चरणों में पूरे किये गए कार्यों, वसूल किए गए बिलों / प्राप्त कि गये कार्यो / स्तरों के आधार पर दी जाती है।

ii. परामर्श शुल्कों की मान्यता के संबंध में जहां ग्राहकों के साथ हुए समझौते में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है उस अवस्था में परामर्श शुल्क की आय की मान्यता निम्नानुसार की जाती है :–

– आपूर्ति आदेश के कार्यादेश देने पर – कुल शुल्क का 70%

– माल की आपूर्ति / उपस्कर की स्थापना पर – शेष शुल्क का 30%

ग) **डिजाइन इंजीनियरिंग / शिक्षण / डी.पी.आर. / समझौता ज्ञापन / प्रशिक्षण / सूचना तकनीकी / लॉजिस्टीक एवं सीपना एवं परामर्श पर**

आगम की आय के रूप में मान्यता ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुरूप जारी किये गये बिलों एवं प्रभारी अभियंता के प्रमाणीकरण के आधार पर की जाती है।

ड़) **साधारण**

i) जहां परियोजना की लागत में संशोधन किया जाता है वहां राजस्व (फीस) आय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है, जिस वर्ष में ऐसा संशोधन किया गया है।

ii) जहां परामर्श शुल्क के विरूद्ध संग्रहण अग्रिम प्राप्त किया जाता है वहां इसका ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों में उल्लेखित विविध पायदानों के अनुसार शुल्क का समायोजन अनुपातिक आधार पर किया जाता है।

iii) यदि अग्रिम शुल्क, अवस्था भुगतान का भाग हो तब आय की मान्यता, अनुबंध में उल्लेखित अगली अवस्था के पूर्ण होने पर किया जाता है।

ढ़) **ब्याज (Interest)**

ग्राहकों से प्राप्त धनराषि पर अर्जित ब्याज आय के रूप में मान्य की जाती है। ग्राहकों को किया गया भुगतान / अर्जित ब्याज को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

V. मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां (Tangible & Intangible Assets)

क. **स्थायी संपत्तियां (Fixed Assets)**

i. **मूर्त संपत्तियां (Tangible Assets)**

मूर्त संपत्तियों को लागत मूल्य में से संचयी ह्रास एवं संचयी क्षति को समोशोधित करके दर्शाया जाता है। सम्पत्तियों के अधिग्रहण की प्रत्यक्ष लागतों को पूँजीकृत किया जाता है। बाद में किये गये उन व्ययों को जोकि सम्पत्तियों की पूर्व–अनुमानिल क्षमताओं में वृद्धि करते हैं को उन सम्पत्तियों की बुक–वैल्यू में जोड़ा जाता है।

ii. **अन–उपयुक्त / अन–उपयोगी संपत्तियां (Retired / Unusable Assets)**

वे मूर्त संपत्तियां जो अन–उपयुक्त / अन–उपयोगी हैं एवं जिन्हें ब्रिकी के लिये रखा गया है, को उनके निवल बही मूल्य या वसुली योग्य मूल्य, दोनों में से जो कम हो पर पृथक रूप से निपटारे हेतु रोकी गई सम्पत्ति के रूप में दर्शाया जाता है।

iii. **अमूर्त संपत्तियां (Intangible Assets)**

अमूर्त संपत्तियों को लागत मूल्य में से संचयी ह्रास एवं संचयी क्षति को समोशोधित करके दर्शाया जाता है। लागत में क्रय लागत (छूट और रियायत को घटाकर) तथा ऐसी सम्पत्तियों को उपयोग योग्य बनाने तक की समस्त प्रत्यक्ष लागतों को शामिल किया जाता है।

ख. **मूल्यह्रास (Depreciation)**

क. **मूर्त परिसंपत्तियां (Tangible Assets)**

i. मूर्त सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित दरों एवं तरीके से लिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है, वर्ष के दौरान 5000 रूपये तक की प्रत्येक सम्पत्ति की खरीद के मूल्य को क्रय वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है।

ii. पट्टा भूमि का पट्टा अवधि के समय परिशोधन अनुपातिक रूप से किया जाता है।

ख. **अमूर्त परिसंपत्तियां (Intangible Assets)**

i. अमूर्त सम्पत्ति की लागत को लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर 3 वर्ष में परिशोधित किखा जाता है।

ii. वर्ष में 5000 / – रूपये से कम राशि के सॉफ्टवेयर की लागत को उसी वर्ष में पूर्ण रूप से परिशोधित कर दिया जाता है।

VI. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि की 20,000/– रुपये प्रत्येक से अधिक की आय / व्यय को पूर्व वर्षों की आय / व्यय के रूप में मान्य किया जाता है एवं यथोचित उल्लेख किया जाता है।

VII. पूर्वदत्त व्यय

आगामी वर्षों से संबंधित 20,000/– रुपये तक के प्रत्येक व्यय को चालू वर्ष में मान्य किया जाता है। 20,000/– रुपये से अधिक के खर्चों को पूर्वदत्त व्यय माना जाता है।

VIII. कर्मचारी हित–लाभ (सेवा–निवृत्ति / सेवा–निवृत्ति पश्चात) Employee Benefits (Retirement / Post Retirement)

क. अल्प–कालिक लाभ (Short Term Benefits)

कर्मचारियों के अल्प–अवधि वेतन, भत्ते और प्रदर्शन से संबंधित लाभों को प्रदान करने पर किये गये व्ययों को उस संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती है।

I. गृह निवास हेतु छुट्टी यात्रा भत्ता रियायत (Leave Travel Concesssin – LTC for Home Town)

कम्पनी की ओर से कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिये यात्रा भत्ता रियायत योजना है। यह योजना अनिधिक है एवं इसे मूल भुगतान के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

ख. दीर्घ–कालिक योजना (परिभाषित योगदान)

परिभाषित योगदान योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जहां कम्पनियों को भविष्य निधि, पेंशन निधि इत्यादि के योगदान का निश्चित प्रतिशत का भुगतान करती है।

I. चिकित्सा सुविधा (Medical Facility)

कम्पनी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित नियमित वेतनमान के कर्मचारियों के लिये चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है जिसके तहत चिकित्सा लाभ योजना है। यह योजना कम्पनी द्वारा वित्त पोषित है तथा एक अलग ट्रस्ट अर्थात " एच एस सी सी कर्मचारी मेडिकल फण्ड ट्रस्ट " द्वारा प्रबंधित की जाती है। ट्रस्ट को किये गये योगदान को भुगतान के आधार पर लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

II. पेंशन योजनाएं (Pension Plans)

अंशदायी योजनाओं जैसे सेवानिवृत्ति योजना, कर्मचारी पेंशन योजना आदि में किये गये अंशदान को व्यय के रूप में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान की गई है। कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान भविष्य निधि के नियोक्ता के अंशदान से किया जाता है। उपरोक्त योजना में किये गये योगदान को व्यय के रूप में मान्यता उस अवधि में दी जाती है, जिस अवधि में कर्मचारियों द्वारा सेवायें प्रदान की गई हैं।

III. भविष्य–निधि (Provident Fund)

भविष्य निधि अंशदान पी.एफ. ट्रस्ट द्वारा प्रशासित एक ट्रस्ट को किया जाता है। न्यास के सदस्यों को किये जाने वाले ब्याज का भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित वैधानिक घोषित ब्याज दर से कम नहीं होगा, और यदि न्युनता हो तो उसे कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा।

ग. दीर्घ–कालिक योजनाएं (परिभाषित योगदान)

I. उपदान (Gratuity)

कम्पनी उपदान (ग्रेच्युटी), मुआवजा अनुपस्थिति के रूप में सेवा–निवृत्ति / सेवा–निवृत्ति पश्चात लाभ प्रदान करती है। इस तरह की परिभाषित लाभ की योजनाओं के संबंध में तुलन–पत्र की तिथि पर समूह की देयता का मूल्यांकन, स्वतंत्र एक्चुरिज़ (Actuaries) द्वारा प्रोजैक्टीड क्रेडिट विधि द्वारा किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में होने वाले समस्त एक्चुरियल लाभों एवं हानियों को उस वर्ष के लाभ–हानि खातें में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में वे अर्जित हुये हैं।

कम्पनी में परिभाषित उपदान हित–लाभ योजना है। अधिवर्शिता (Superannuation), त्याग–पत्र (Resignation), समाप्ति (Termination), या उसकी विकलांग या मृत्यु होने की दशा में, प्रत्येक कर्मचारी को, जिसने 5 वर्ष या

उससे अधिक का सेवा–काल पूरा कर लिया हो, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये, हर वर्ष के लिये 15 दिन के वेतन–मान (15 / 26 गुणा अन्तिम अर्जित वेतन व मंहगाई भत्ता) के आधार पर, जिसकी अधिकतम राशि 10 लाख रूपये (गत वर्ष 10 लाख रूपये) उपदान मिलने का प्रावधान है। यह योजना कम्पनी द्वारा वित्त–पोशित है एवं इसका प्रबंधन कम्पनी द्वारा अलग से स्थापित ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जिसका नाम ''एच एस सी सी कर्मचारी उपदान फण्ड ट्रस्ट'' है। कम्पनी द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप–ग्रेच्युटी–एवं–जीवन बीमा योजना ली गई है। जितनी राशि भारतीय जीवन बीमा निगम को देनी होती है उतनी राशि की देयता मान्य की जाती है, जिसकी गणना प्रौजैक्टेड यूनिट क्रेडिट प्रणाली आधारित एक्चुरियल वैल्यूवेसन के माध्यम से वार्षिक आधार पर की जाती है।

II. छुट्टी नकदीकरण (Leave Encashment)

कम्पनी में परिभाषित छुट्टी नकदीकरण योजना है जिसमें अर्जित अवकाश (बिमारी की छुट्टी) का भुगतान किया जाता है। यह योजना अनिधिक है तथा इसे प्रावधान के आधार पर लाभ–हानि खाते में मान्यता दी जाती है, जिसकी देयता की गणना प्रौजैक्टेड यूनिट क्रेडिट प्रणाली आधारित एक्चुरियल वैल्यूवेसन के माध्यम से वार्षिक आधार पर की जाती है। नये कर्मचारियों के संबंध में उनके पूर्व–नियोक्ताओं से प्राप्त राशि को प्राप्ति के वर्ष में लाभ–हानि खाते में समाकलित किया जाता है।

IX. उपलब्धि संबंधित आय (Performance Related Pay – P R P)

लोक उद्यम विभाग (DPE) के दिश–निर्देशानुसार, कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार उपलब्धि संबंधित आय (Performance Related Pay – PRP) की देयता को मान्यता प्रदान की जाती है। यह पी.बी.टी. का 3% तथा पी.बी.टी. का 2% अथवा बड़े हुये लाभ का 10% (दोनों में से जो कम हो) प्रदान किया जाता है य बशर्ते यह राशि बोर्ड के कार्यपालक निदेशकों की स्थिति में पी.बी.टी. का 5% से अधिक ना हो तथा अकार्यपालकों के लिये अतिरिक्त दायित्व का प्रावधान किया जाता है।

X. विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा लेन–देन उल्लेख संबंधित लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। विनिमय दर में बाद में आए उतार–चढ़ाव के फलस्वरूप होने वाले लाभ / हानि को चाहे वो निपटारे पर हो, को लाभ–हानि खाते में मान्यता दी जाती है। ग्राहकों की ओर से किये गये ऐसे लेन–देन को उनके खातों में अंतरित किया जाता है।

XI. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों पर हुये आगम (Revenue) खर्चों को उसी वर्श में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। अनुसंधान के संदर्भ में, क्रय की गई सम्पत्तियों को पूँजीकृत किया जाता है तथा लिखित मूल्य पद्धति के आधार पर उनके उपयोगी जीवन काल के अनुसार मूल्यह्रासित किया जाता है।

XII. कराधान हेतु प्रावधान

कर खर्चे में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल हैं। वर्तमान आयकर को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत भुगतान योग्य संभावित राशि के अनुसार मापा जाता है। आस्थगित आयकर समय परिवर्तन के आधार पर वर्तमान वर्ष की लेखांकन आय एवं कर योग्य आय के अन्तर एवं पूर्व वर्षों के अन्तर के विपर्य को दर्शाते हैं। आयकर सम्पत्तियों की मान्यता केवल उस स्तर तक की जाती है जहां तक की यह उचित निश्चितता हो कि भविष्य की कर योग्य आय इतनी पर्याप्त होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर सम्पत्तियों की वसुली की जा सके।

XIII. देयताएं / प्रावधान जिनकी दीर्घकालीन आवश्यकता नहीं

चार वर्ष या उससे अधिक की देयताएं / प्रावधान जिनकी आवश्यकता नहीं है, को तुलन–पत्र से हटा दिया गया है। भविष्य में कोई दावा किया जाता है तो उन्हें वर्ष में मान्य किया जाता है।

XIV. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियॅा

संभावित दायित्वों के संबंध में प्रावधानों को मान्यता उस दिषा में दी जाती है जबकि कम्पनी के उपर वर्तमान में भूतकाल के संबंध में कोई दायित्व उत्पन्न होने की संभावना होती है तथा यह संभावना हो कि इस दायित्व के निपटान के संबंध में नकद बाह्य प्रवाह हो सकता है, जिसके संबंध में कोई विश्वनीय आकंलन किया जा सकता है। इन्हें प्रतिवर्ष प्रत्येक तुलन–पत्र पर पुनरिक्षित किया जाता है ताकि यह वर्तमान के उत्तम आकंलन प्रतुस्त कर सकें।

आकस्मिक देयताएं जोकि अस्तित्व में नहीं आते अतः उन्हें मान्यता नहीं दी जाती है, वे कम्पनी के वर्तमान दायित्वों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उनका भविष्य की एक या एक से अधिक घटनाओं और अनिश्चित घटनाओं के तहत पुष्टि नहीं की जाती क्योंकि अतीत की घटनाओं से विभिन्न संसाधनों का उत्सर्जन होता है और इन्ही संसाधनों से बहिर्वाह दायित्वों को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित किया

जाता है। किन्तु कुछ मामलों में प्रत्यक्ष नजर आई आकस्मिक दायित्वों को अत्यंत दुर्लभ और कमजोर होने की दशा में मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये मान्यता–प्राप्त नहीं हैं। आकस्मिक देयताओं का खुलासा कर रहे हैं और मान्यता प्राप्त नहीं है, आकस्मिक आस्तियों जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं उनका प्रकटीकरण और खुलासा नहीं कर रहे हैं। आकस्मिक देयताओं का खुलासा कर रहे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं। आकस्मिक आस्तियां ना मान्यता प्राप्त हैं और ना ही उनका खुलासा कर रहे हैं।

XV. संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान (Provision For Doubtful Debts)

3 वर्ष से अधिक के बढ़े हुये बकाया ऋण, जिन्हें अभी तक एकत्र नहीं किया गया है, उनकी समीक्षा की जायेगी तथा प्रावधानों को प्रबंधन की रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध ऋणों के लिये खातों की पुस्तकों में दर्ज किया जायेगा। बकाया वसूली के बाद जो सभी प्रयासों को इसकी वसूली के लिये नहीं हैं उन्हें निदेशक मण्डल के अनुमोदन के बाद अपलिखित किया जाता है। अन्य ऋणों के लिये, जब वहां प्राप्ति का एक अनिश्चिता है उनमें प्रावधान किया गया है। इस वर्ष के अन्त तक कम्पनी के इन खातों अथवा आय में ऐसी कोई राशि भविष्य वसूली के तहत प्राप्त नहीं हुई है।

XVI. प्रचालक पट्टे (Operating Leases)

जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण भाग पट्टादाता द्वारा रखा जाता है जिसमें लीज प्रचालक (ऑपरेटिंग) पट्टों के रूप में वगीकृत की जाती है। कम्पनी ऐसी व्यवस्था के तहत पट्टेदार है। ऐसे पट्टों के तहत भुगतान पट्टे की प्राथमिक अवधि में एक सीधी–रेखा के आधार पर लाभ एवं हानि के बयान के लिय चार्ज की जाती है।

XVII. दावे (Claims)

क. कम्पनी से दावों का हिसाब करते समय कम्पनी / मैनेंजमैंट द्वारा स्वीकार गई राशि मान्य की जाती है।

ख. कम्पनी के ग्राहकों / ठेकेदारों द्वारा किये गये दावों के संबंध में पार्टी के जिस दावे को उठाया गया है केवल उसकी स्वीकृति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

XVIII. संविदा पर हर्जाना (Claims)

नश्ट हुये हर्जाने व ठेके पर अन्य देनदारियों जो कार्य प्रगति पर हैं एवं कर रहे हैं उन्हें पूरा करना एक जिम्मेदारी है तथा उनका दायित्व ग्राहक द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया है।

XIX. हानि (Impairment)

कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख में (मूर्त और अमूर्त) सम्पत्तियों का आकलन करती है तथा वहां किसी भी बिगड़े हुये संकेत मिलने पर प्रभावित सम्पत्ति को उसके बिगड़े हुये व्यवहार के अनुसार उसको दर्ज किया जाता है उनका बिगड़ी हुई सम्पत्ति की रूप में व्यवहार किया जाता है, जब तक की सम्पत्ति उसकी वसूली योग्य राशि का रख–रखाव लागत योग्य ना हो जाये। वसूली योग्य राशि एक सम्पत्ति या नकदी पैदा इकाई की शुद्ध बिक्री मूल्य और उसके उपयोग में उसके मूल्य से अधिक ना हो। उपयोग में मूल्य का अनुमान भविष्य अपनी उपयोगी जीवन के अन्त में एक सम्पत्ति के सतत उपयोग से और उसके निपटान से बाहर निकलने की उम्मीद पूंजी प्रवाह का वर्तमान मूल्य है।

वे सम्पत्तियां जो बिगड़ चुकी अथवा खराब हो चुकी हैं उन्हें चिन्हित करके उन्हें हानि के रूप में मान्यता देकर उनको लाभ–हानि खाते में दर्ज किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन किया होता है तो उसको परिवर्तित करके लाभ–हानि लेखा में हानि दर्ज करके मान्यता दी जाती है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरण टिप्पणियां

विवरण	31.03.2017 तक		31.03.2016 तक	
	(शेयर्स की संख्या)	(राशि रु0 में)	(शेयर्स की संख्या)	(राशि रु0 में)
2. शेयर पूंजी				
(क) प्राधिकृत				
प्रति 100 रुपये के साधारण शेयर	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000
(ख) जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त				
प्रति 100 रुपये के साधारण शेयर	240,018	24,001,800	240,018	24,001,800
(वित्तीय वर्ष 2003–04 के दौरान 80006 (संख्या)				
शेयर्स जारी, कुल शेयर्स 20015 (संख्या) सहित)				
(ग) बकाया साधारण शेयरों की संख्या का समाधान				
वर्ष के शुरु में	240,018	24,001,800	240,018	24,001,800
वर्ष के अन्त	240,018	24,001,800	240,018	24,001,800

विवरण	31 मार्च, 2017 तक		31 मार्च, 2016 तक	
घ) 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर–होल्डिंग का विवरण				
शेयर धारक का नाम	**(शेयर्स की संख्या)**	**(%)**	**(शेयर्स की संख्या)**	**(%)**
भारत का राष्ट्रपति	240,018	100.0000%	240,018	100.0000%
(भारत के राष्ट्रपति के नामितियों की ओर से				
आरक्षित 54 (संख्या) शेयर्स सहित)				

विवरण		31 मार्च, 2017 तक		31 मार्च, 2016 तक	
3 आरक्षित एवं अधिशेष					
(क) साधारण आरक्षित					
वर्ष के शुरुवात में			299,553,727		279,553,727
जोड़े : लाभ एवं हानि विवरण में सरप्लस से अंतरित			20,000,000		20,000,000
			319,553,727		**299,553,727**
	कुल (क)		319,553,727		299,553,727
(ख) लाभ एवं हानि विवरण में सरप्लस					
वर्ष के शुरुवात में			1418871724		1089718676
जोड़े : वर्ष के लिये लाभ			376095931		546154750
विनियोजन:					
घटायें:					
(क) साधारण आरक्षित में अंतरित			20,000,000		20,000,000
(ख) प्रस्तावित लाभांश (नेट प्रॉफिट का 30%) गत वर्ष (नेट प्रॉफिट का 20%)			112,828,780		163,846,425
(ग) प्रस्तावित लाभांश पर कर			22,969,285		33,355,277
	कुल (ख)		**1,638,969,589**		**1,418,671,724**
	कुल योग (क)+(ख)		**1,958,523,316**		**1,718,225,451**
4 विनिर्दिष्ट आरक्षित					
(क) निगमित सामाजिक दायित्व फण्ड*		10,692,423		12,286,482	
अथ–शेष		10,798,000		7,405,941	
जोड़ें : वर्ष के लिए अंशदान		-		2,424,000	
जोड़ें : वर्ष 2014 – 15 हेतु अल्प–अंशदान					
	कुल	**21,490,423**		**22,116,423**	
घटायें : वर्तमान वर्ष के सी.एस.आर. खर्चे					
स्वच्छ भारत कोष		(10,798,000)		-	
रामकृष्ण मठ		-		(500,000)	
राष्ट्रीय गंगा सफाई अभियान		-		(2,500,000)	
बैलेंश फण्ड		-		(6,000,000)	
घटायें : वर्तमान वर्ष के सी.एस.आर. खर्चे					
अल्मिको		(3,345,000)			
स्पोर्टस आथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई)		(5,000,000)		-	
राष्ट्रीय गंगा सफाई अभियान		-		(2,424,000)	10,692,423
बैलेंश फण्ड			2,347,423		
(ख) अनुसंधान एवं विकास फण्ड			1,677,200		1,677,200
(ग) निरंतर विकास फण्ड में अतंरित			1,290,900		1,290,900
	कुल		**5,315,523**		**13,660,523**

(राशि रुपयों में)

विवरण		31 मार्च, 2017 तक	31 मार्च, 2016 तक
5 अन्य दीर्घ–कालीन देयताएं			
ग्राहकों की ओर से जमा		402,913,044	361,684,533
ठेकेदारों की ओर से अवधारण राशि		50,205,638	54,530,451
ग्राहक की ओर से भुगतान किये गये ट्रेड		39,097,488	37,065,653
	कुल	**492,216,169**	**453,280,637**
6 दीर्घ कालीन प्रावधान			
कर्मचारी के हित–लाभ हेतु प्रावधान (छुट्टी नकदीकरण)		74,124,534	59,893,737
	कुल	**74,124,534**	**59,893,737**
7 वर्तमान देयताएं			
भुगतान योग्य ट्रेड (माल एवं सेवाएं)		4,100,791	3,784,904
	कुल	**4,100,791**	**3,784,904**
8 अन्य वर्तमान देयताएं			
ग्राहकों की ओर से अग्रिम–शुल्क		74,075,516	20,489,059
भुगतान योग्य कर		82,462,829	69,209,707
बकाया राशि जमा		85,649,538	51,459,622
कर्मचारी को भुगतान योग्य		9,129,966	1,564,348
भुगतान योग्य खर्चे		51,450,528	67,413,151
बुक ओवर–ड्राफ्टं		15,101,334	-
	कुल	**317,869,711**	**210,135,887**
मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से			
विविध देनदार		1,870,804,035	885,666,727
प्रतिधारण राशि		1,225,540,167	686,784,003
ग्राहकों की ओर से जमा :–			
जमा बकाया		8,906,323,613	9,813,508,660
जमा राशि पर ब्याज		3,326,864,944	2,250,062,029
संविदा खर्चो हेतु दायित्व		3,882,664,712	2,572,301,446
बुक–ओवर–ड्राफ्ट*		824,648,404	598,239,052
	कुल	**20,036,845,875**	**16,806,561,917**
*जारी किये गये चैकों के कारण बुक ओवरड्राफ्ट, जो सावधि जमा के तहत समाप्त हो जायेगें।			
9 अल्पावधि प्रावधान			
कर्मचारियों के हित–लाभ हेतु प्रावधान (उपदान)		-	607,707
कर्मचारियों के हित–लाभ हेतु प्रावधान (छुट्टी नकदीकरण)		3,572,773	2,752,723
अन्य :			
आयकर हेतु प्रावधान		957,689,295	750,056,255
घटायें : अग्रिम आयकर / टी.डी.एस.		987,309,451	777,321,845
		(29,620,156)	(27,265,590)
लाभांश हेतु प्रावधान		112,828,780	163,846,425
कर वितरण लाभांश हेतु प्रावधान		22,969,285	33,355,277
		135,798,065	197,201,702
	कुल	**109,750,682**	**173,296,542**

10. स्थायी परिसम्पत्तियाँ **FIXED ASSETS - 2016 – 17**

(रुपयों में)

	वित्तीय वर्ष 2016–2017 हेतु मूल्यह्रास										
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	मूल्यह्रास				मूल्यह्रास					निवल मान	
विवरण मूर्त सम्पत्तियां : कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार	01.04.2016 को	वर्ष के दौरान जोड़	इस वर्ष बिक्री /समाशोधन	31.03.17 को	01.04.2016 तक	वर्ष 2016-17 हेतु	समाप्त की गई सम्पत्तियां	वर्ष के दौरान समाशोधन	वर्ष के दौरान समाशोधन	31.03.2017 को	31.03.2016 को
बिल्डिंग्स	31,158,405	2,848,639	-	34,007,044	16,527,770	1,733,030		-	18,260,800	15,746,244	14,630,635
फर्नीचर और फिटिंग्स	13,579,603	7,337,660	1,980,143	18,937,120	11,042,588	1,328,060	105,546	1,866,660	10,398,442	8,538,678	2,537,015
कार्यालय उपस्कर	18,709,917	972,327	635,104	19,047,140	14,715,220	1,132,906	15,804	613,931	15,218,390	3,828,750	3,994,697
मोटर वाहन	1,148,477	-	-	1,148,477	778,032	106,068		-	884,100	264,377	370,445
कम्प्यूटर्स तथा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	16,840,231	2,361,332	308,647	18,892,916	14,589,602	2,143,671	62,727	245,920	16,424,626	2,468,290	2,250,629
उप–योग – क	**81,436,633**	**13,519,958**	**2,923,894**	**92,032,696**	**57,653,212**	**6,443,735**	**184,077**	**2,726,511**	**61,186,359**	**30,846,338**	**23,783,421**
मूर्त सम्पत्तियां :											
भवन–पट्टे की भूमि पर *	44,665,262	-	-	44,665,262	5,821,272	496,281		-	6,317,553	38,347,710	38,843,990
अ–मूर्त सम्पत्तियां:											
सॉफ्टवेयर	2,093,381	260,820	-	2,354,201	1,261,375	380,041		-	1,641,416	712,784	832,006
सॉफ्टवेयर–डब्ल्यू.आई.पी.	-	621,000	-	621,000	-	-		-	-	621,000	-
उप–योग – ख	**46,758,643**	**881,820**	**-**	**47,640,463**	**7,082,647**	**876,322**	**-**	**-**	**7,958,969**	**39,681,494**	**39,675,996**
वर्तमान वर्ष का योग	**128,195,276**	**14,401,778**	**2,923,894**	**139,673,159**	**64,735,859**	**7,320,057**	**184,077**	**2,726,511**	**69,145,328**	**70,527,831**	**63,459,417**
गत वर्ष का योग	125018735	4,964,033	1,787,492	128,195,276	60,102,924	6,942,182		1,698,028	64,735,859	63,459,417	

टिप्पणी :– :-
* लगभग 90 वर्षों तक पट्टे पर ली गई भूमि– 1996: 57,49,075/– रूपये में तथा 2006: 3,89,16,187/– रूपये की राशि को अनुपातिक रूप से प्रत्युत्सर्जन (Amortisation) किया जा रहा है।

विवरण		31.03.2017 तक (राशि रुपयों में)		31.03.2016 तक (राशि रुपयों में)
11 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)				
क. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
छुट्टी नकदीकरण पर		26889484		21,680,687
संदिग्ध नामों हेतु प्रावधानों पर		25542787		25545747
कार्य–कुशलता संबंधित आय (पीआरपी)		17,036,030		-
कुल (क)		**69,468,301**		**47,226,434**
ख. आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
सूचना तकनीकी और कम्पनी अधिनियम के तहत		533,100		850,550
डब्ल्यू डी.वी. ब्लॉक की सम्पत्तियों में अन्तर (भूमि सहित)				
कुल (ख)		**533,100**		**850,550**
आस्थगित कर सम्पत्तियों का निवल (क–ख)		**68,935,201**		**46,375,884**
12 दीर्घ–कालीन ऋण एवं अग्रिम				
आरक्षित – असंदिग्ध समझे गए				
– कर्मचारियों का अग्रिम				
– यातायात अग्रिम (वाहन पर प्रभारी द्वारा सुरक्षित)		1,104,572		1,130,140
– हाऊस बिल्डिंग अग्रिम				
(कम्पनी द्वारा आयोजित कन्वेएन्स डीड द्वारा सुरक्षित)		541,718		769,718
ग्राहक द्वारा सुरक्षित कटौती		2,666,226		2,666,226
सुरक्षा जमा राशि				
असंदिग्ध समझे गए		1,893,828		2,221,738
संदिग्ध समझे गए	77,910			-
घटायें : प्रावधान	(77,910)			-
कुल		**6,206,344**		**6,787,822**
13 प्राप्ति योग्य ट्रेड				
निम्न अवधि से बकाया ऋण छः माह से अधिक :				
– असंदिग्ध समझे गए		380,545,019		175,889,691
– संदिग्ध समझे गए		72,272,054		72,513,519
घटायें : संदिग्ध नामों हेतु प्रावधान		(72,272,054)		(72,513,519)
		-		-
अन्य ऋण – असंदिग्ध समझे गए		402,161,529		248,634,959
कुल		**782,706,548**		**424,524,650**
14 नकद एवं नकद तुल्यांक				
(क) हस्तगत नकद		4,873		30,204
(ख) बैंकों के चालू खातों में शेष :		102,480,786		291,734,211
(ग) अन्य बैंक खातों में शेष :				
– 12 महीने से कम परिपक्व अवधि वाली निश्चित जमा रसीद	1,336,212,125		1,012,851,246	
(घ) 12 महीने से अधिक की परिपक्व अवधि वाली सावधि जमा रसदी	-		137,991,655	
(ड़) बैंक गारंटी के विरूद्ध बैंकों के साथ जुड़ी निश्चित जमा रसीदें	96,853,250	1,433,065,375	116,131,001	1,266,973,902
कुल		**1,535,551,034**		**1,558,738,317**

विवरण		31.03.2017 तक (राशि रुपयों में)		31.03.2016 तक (राशि रुपयों में)
14 क. मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से बैंक खातों में शेष				
(क) बैंकों के बचत खातों में शेष :		1,612,370,226		909,798,779
(ख) अन्य बैंक खातों में शेष :				
– 12 महीने से कम परिपक्व अवधि वाली निश्चित जमा रसीद		135,204,171		10,917,736,577
(ग) – 12 महीने से अधिक की परिपक्व अवधि वाली निश्चित जमा रसीद	12,500,399,978	12,635,604,149	645,402,193	11,563,138,770
कुल		**14,247,974,375**		**12,472,937,549**

निर्दिष्ट बैंक टिप्पणियों पर प्रकटीकरण (एम.बी.एन.)

वर्ष के दौरान, दिनांक 09.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने बैंक नोट्स या अन्य मूल्यवृत्तात्मक नोट निर्दिष्ट किये थे, जैसा कि निर्धारित बैंक नोट्स के विवरणों और लेन–देन के संबंध में एम.सी.ए. की अधिसूचना दिनांक 30.03.2017 के तहत जी.एस.आर.308 दिनांकित अधिसूचना के अनुसार संप्रदायानुसार एस.बी.एन और अन्य टिप्पणियां नीचे दी गई हैं :–

रूपये में

	एस.बी.एन	अन्य नामित टिप्पणियाँ	कुल
दिनांक 09.12.2016 से हस्तगत की समाप्ति	–	2883	8883
अनुमति प्राप्त प्राप्तियाँ	–	––	––
बैंक से निकाली गई राशि	–	180000	180000
बैंक में जमा की गई राशि	–	––	––
अनुमत भुगतान	–	153936	153936
दिनांक 30.12.2016 से हस्थगत नकद की समाप्ति	–	28,947	28,947

विवरण		31.03.2017 तक (राशि रुपयों में)		31.03.2016 तक (राशि रुपयों में)
15 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम				
अनारक्षित, स्वीकार किये अन्यथा विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त–				
*कर्मचारियों का अग्रिम				
– यात्रा अग्रिम (इसमें 1,99,462 रूपये के समक्ष, जिसमें यूएसडी 2995 भी शामिल हैं)		252,962		311,960
– कर्मचारियों से प्राप्ति–योग्य अग्रिम		2,157,452		1,567,657
– ग्राहकों की ओर से प्राप्ति–योग्य (ग्राहक की जमा राशि में 20,33,33,738 रूपये की सीमा तक सुरक्षित)		271,008,532		242,980,661
ग्राहकों की ओर से प्राप्त करने योग्य				
ग्राहकों की ओर से जमा (संदिग्ध समझे गए)	44,194,632		1,645,510	
घटायें : प्रावधान	1,301,053	42,893,579	1,301,053	344,457
नकद या प्रकार या मूल्य प्राप्त करने के लिये अग्रिम पुनप्राप्ति योग्य और / या समायोजित करने के लिये				
– असंदिग्ध समझे गए				
– सप्लायरों का अग्रिम	231,767		1,357,436	
– प्रीपेड खर्चे	608,776		244,299	
– अन्य	4,337,342	5,177,885	16,263,813	17,865,548
संदिग्ध समझे गए	155,000		-	
घटायें :– संदिग्ध	(155,000)		-	
प्राप्ति–योग्य सैनवेट		11,000,023		14,393,184
कुल		**332,490,433**		**277,463,467**
मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से ठेकेदारों का अग्रिम :				
ठेकेदार को लामबंदी अग्रिम – बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित		21,59,03,179		12,59,48,862
सामग्री के खिलाफ सुरक्षित अग्रिम		37,66,24,471		-
प्रगतिशील ठेकेदारों का अग्रिम (वर्तमान बिलों के तहत समाशोधित)		97,43,74,290		1,26,65,26,411
		1,56,69,01,940		1,39,24,75,273
अग्रिम / जमा				
प्राप्ति–योग्य एन.ए.एम.पी. – कोर्ट में जमा		17,00,00,000		17,00,00,000
स्वास्थ्य एवं परिवारक कल्याण मंत्रालय से प्राप्ति योग्य		21,74,55,884		-
कुल		**1,95,43,57,824**		**1,56,24,75,273**
*निदेशकों / विभाग–प्रमुखों की ओर से देय राशि		1,50,346		3,05,444
16 अन्य वर्तमान सम्पत्तियां				
अर्जित ब्याज जो देय नहीं है :				
– बैंक में जमा राशियों पर		9,94,63,633		8,41,58,895
– स्टाफ को दिए गए ऋणों एवं पेशगियों पर		8,01,304		7,20,357
प्राप्ति योग्य ब्याज		3,57,29,380		13,91,10,056
समाप्त कार्य की राशि (संदिग्ध परामर्श–शुल्क)		4,65,36,787		4,80,54,640
सर्विस टैक्स अपील के तहत जमा		4,07,776		39,720
सेवा–निवृत्त कर्मचारियों का रिकवर योग्य		18,485		18,485
आयकर विभाग से प्राप्त योग्य राशि :–				
वित्तीय वर्ष – 2005–06		58,35,000		58,35,000
वित्तीय वर्ष – 2006–07		3,30,850		3,30,850
अनुशंगी लाभ पर प्राप्ति–योग्य कर		1,96,481		4,96,481
कुल		**18,93,19,696**		**27,87,64,484**
मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर :–				
बैंक में जमा राशियों पर				
ब्याज प्रोद्भूत किन्तु देय नहीं		28,17,96,171		19,88,47,649
समाप्त कार्य की राशि (संदिग्ध)		3,55,27,17,505		2,57,23,01,446
कुल		**3,83,45,13,676**		**2,77,11,49,095**

विवरण		31.03.2017 तक (राशि रुपयों में)		31.03.2016 तक (राशि रुपयों में)
17. अन्य आय				
जमा राशि पर ब्याज (एच एस सी सी फण्ड)		16,32,30,621		24,90,03,292
स्टाफ ऋणों पर ब्याज		1,62,531		1,79,860
दावा नहीं किये गये शेष की वापसी		11,31,759		56,068
पुनः हिसाब में लिये गये प्रावधान, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है		2,41,465		9,83,394
निविदा दस्तावेजों की बिक्री		55,31,250		64,96,177
स्थायी सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ		2,566		11,383
विविध आय		18,13,973		5,86,467
कुल		**17,21,14,165**		**25,73,16,641**
18. कर्मचारियों के हित–लाभ खर्चे				
वेतन, मजदूरी, प्रोत्साहन / पी.आर.पी. तथा भत्ते		20,38,10,074		17,84,30,314
भविष्य निधि तथा पेंशन फण्ड में अंशदान		7,96,35,514		1,29,88,571
उपदान (Gratutity) में अंशदान		50,11,242		6,07,707
समूह बीमा (Group Insurance) में अंशदान		60,313		67,972
स्टाफ के आवास के लिए लीज रैण्ट (वसूली का निवल)		2,04,43,905		1,76,04,285
स्टाफ कल्याण (चिकित्सा एवं छुट्टी यात्रा सहायता सहित)		1,01,90,346		82,96,114
सदस्यता फण्ड ट्रष्ट में अंशदान		39,432		1,39,790
मेडिकल फण्ड ट्रस्ट में अंशदान		29,09,827		26,85,000
कल्याण फण्ड ट्रस्ट में अंशदान		17,69,654		16,20,000
कुल		**32,38,70,307**		**22,24,39,753**
19 प्रशासकीय एवं अन्य व्यय				
किराया		2,054,625		2,551,176
यात्रा एवं वाहन :				
– निदेशक गण	1100590		1,577,468	
– अन्य	11,717,396	12,817,986	9,697,850	11,275,318
बीमा प्रीमियम		110,051		177,335
विद्युत एवं ईंधन		4,140,668		3,497,282
पानी का प्रभार		181,614		98,953
प्रिंटिंग एवं लेखन सामग्री		5,099,792		5,140,438
डाक एवं संचार खर्चे		2,360,871		2,235,432
वाहन रख–रखाव व्यय (रिकवरी का निवल 24000/–रूपये)		109,376		87,733
वाहन/टैक्सी किराया व्यय		4,881,512		4,507,668
विज्ञापन एवं प्रचार		1,678,134		1,257,170
विविधि व्यय एवं व्यवसायिक प्रभार		10,710,106		10,942,994
मरम्मत एवं रखरखाव (वसूली का निवल)				
– भवन	6,008,301		5,576,454	
– कार्यालय उपस्कर	320,997	6,329,298	445,674	6,022,128
लेखा–परीक्षा शुल्क – टिप्पणी संख्या 20(XI) देखें		1,485,000		520.000
कारोबारी उन्नति		7,086,742		4,696,839
निदेशको की बैठक फीस		-		170,000
कर एवं शुल्क		21,194		13,750
कम्प्यूटर रिपेयर एवं रख–रखाव		1,472,922		1,167,546
निगमित सामाजिक दायित्व खर्चे (सीएसआर)		10,798,000	7,405,941	
सी.एस.आर. खर्चे (गत वर्ष)		-	2,424,000	9,829,941
भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय		1,847,264		775,035
चौकीदार व्यय		2,475,753		2,651,254
बैंक प्रभार		939,712		624,235
विविध व्यय		599,487		477,516
संदिग्ध एवं बुरे डेबिटों हेतु प्रावधान		232,910		41,926,169
कुल		**77,433,017**		**110,645,913**

20. वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

I. आकस्मिक देयताएं एच एस सी सी को प्रदान नहीं की गई हैं

(रूपये लाख में)

विवरण	वि.वर्ष 2015–16	जोड़ी गई वस्तु	हटाई गई वस्तु	वि.वर्ष 2016–17
ई.एस.आई. ESI = निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर से दिनांक 01.01.1997 से 31.07.2004 की अवधि के लिये ई.एस.आई. अधिनियम के तहत क्लेम अथवा ऋण की भरपाई के लिये अभी तक कोई पावती प्राप्त नहीं हुई है।	1.83	शून्य	शून्य	1.83
बैंक गारंटी Bank Guarantee = कम्पनी की ओर से निर्माण परियोजनाओं के लिये बैंक द्वारा 31.03.2017 जो जारी किये गये बकाया प्रदर्शन बैंक गारंटी	555.03	413.50	शून्य	968.53
सर्विस टैक्स विभाग की ओर से उठाई गई मांगे				
क) सर्विस टैक्स अधिनियम, 1994 के वित्त अधिनियम, 1994 की धारा–66 के नियम 6(1) और 6(2) की धारा 68 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिये जनवरी–2004 की अवधि के लिये धारा–73 के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त की मांग और अधिनियम की धारा–76 के तहत दंड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आयुक्त के पास पहले से ही 2.64 लाख रूपये लम्बित हैं।	शून्य	2.64	शून्य	2.64
ख) अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2010 की अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण की अस्वीकृति जोकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आयुक्त के समक्ष लंबित अपील बनी हुइ है। जिसके लिये 2.04 लाख रूपये पहले से ही जमा किये गये थे। पैन्ल्टी 2.64 लाख रूपये	5.29	शून्य	शून्य	5.29
ग) अप्रैल, 2010 से मार्च, 2012 की अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण की अस्वीकृति जोकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आयुक्त के समक्ष लंबित अपील बनी हुइ है। जिसके लिये 3.18 लाख रूपये पहले से ही जमा किये गये थे। पैन्ल्टी 10.05 लाख रूपये	10.05	शून्य	शून्य	10.05
भविष्य निधि Provident Fund :– क्षेत्रीय भविश्य निधि आयुक्त ,अपील द्ध द्वारा उठाई गई मांग वर्श 2004–05 से 2008–09 के दौरान कम्पनी द्वारा लगे ठेकेदारों के माध्यम से अनुबंध कर्मचारियों के संबंध में पी.एफ. न्यायालय में हमारी अपील लंबित है, एच एस सी सी की स्वामित्व वाली पी.एफ. ट्रस्ट के पास 3.15 लाख रूपये तथा आर.पी.एफ.सी. के 2.00 लाख रूपये पहले से ही जमा किये गये हैं।	6.86	शून्य	शून्य	6.86
आयकर विभाग की ओर से उठाये गई मांग :–				
क) वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष आयकर की मांग पहले से ही लंबित है।	शून्य	232.60	शून्य	232.60
ख) वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु दिनांक 30.10.2015 के आदेश के तहत, कम्पनी के हक में आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष आयकर की मंजूरी हो गई है, जोकि अतिरिक्त सी.आई.टी. द्वारा अपीलेट आदेश दिनांक : 30.03.2017 से लागू होगी।	1452.00	शून्य	1452.00	शून्य
कुल (क)	**2031.06**	**648.74**	**1452.00**	**1227.80**
अन्य				
ख. अनिश्चित विवादित – स्टाफ को देय	34.61	शून्य	शून्य	34.61
कुल (क+ख)	**2065.67**	**648.74**	**1452.00**	**1262.41**

II. मंत्रालयों / ग्राहकों के लिये प्रत्याशित देयताएं प्रदान नहीं की गई :–

(क) जहां विभिन्न ग्राहकों के खिलाफ माल की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों द्वारा अदालत / मध्यस्थता के तहत 5663.34 लाख रूपये (गत वर्ष 2881.61 लाख रूपये) लगभग का दावा किया है, जिसमें एच एस सी सी सह–प्रतिवादी है। हालांकि, प्रबंधन द्वारा इन मामलों में कम्पनी पर कोई देनदारी की उम्मीद नहीं है।

(ख) कुछ खामियों के कारण एक अन्य परियोजना (केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – C R I, Kasauli) में परामर्श शुल्क के संदर्भ में, इस परियोजना में कुछ छोटी–मोटी त्रुटियां होने के कारण, इन्हें ठीक करने एवं इनमें बदलाव के लिये विगत (अक्टूबर, 2006 में) कम्पनी 3 करोड़ रूपये की राशि के लिये सहमत है तथा इस राशि को 2/3 तक लिया जायेगा। किन्तु इस निर्णय को बोर्ड अभी मंजूरी नहीं दी है। अब, बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि कम्पनी ग्राहक के साथ संयुक्त रूप से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये इस परियोजना में आई उद्धाटित कमियों को दूर करे। इस असाधारण जिम्मेदारी के कारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (M O H & F W), भारत सरकार ने एक एजेंसी को यह कार्य सौंपा है जो कम्पनी द्वारा 2004 से भवन निर्माण में उपलब्ध करवाई जा रही परामर्श सेवाओं में आई बढोतरी को मूल्यांकित करेगी जैसे य जब केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली – (C R I, Kasauli) को बिल्डिंग सौंपी जायेगी, यदि मांग नहीं की जायेगी जब तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान एवं वहन कम्पनी करेगी। अभी तक देयता राशि को विनिश्चित नहीं किया गया है। इसके अनुसार, यह लाभ एवं हानि लेखे उसी वर्ष दर्ज की जाती है जब यह देयता निर्धारित की जाती है।

(ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 09 / 05 / 2013 पत्र संदर्भ संख्या टी–14020 / 27 / 2009 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संख्या एस.एल.पी. संख्या 12397 / 2013 के संदर्भ में उठाये गये मामले के एवज में दिये गये आदेश की अनुपालना में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिये गये न्याय तथा दिनांक 21.12.2012 को जारी आदेश संख्या एफ.ए.क्यू. नम्बर 623 / 2012 के संदर्भ में कोर्ट ने कहा है तथा यह निर्णय लिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के स्तर पर कम्पनी को मैसर्स आई.एस.एस.ए. इंडस्ट्रीज के बेडनेटों (Bednets) के मामले में विधान राशि (Decretal Amount) भुगतान राशि जमा करनी होगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उपरोक्त आदेश का अनुपालन करने के लिये, दिनांक 15.05.2013 को एच एस सी सी ने 1700 लाख रूपये जमा कर दिये हैं तथा शेष धनराशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जमा किया है जो एच एस सी सी के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई परियोजनाओं के लिये उपलब्ध है बाकी अभी उपलब्ध नहीं है जिसे दिनांक 10.05.2013 को आयोजित 128वीं बोर्ड की बैठक (Board Meeting) तथा शेयर–होल्डर्स (Shareholders) की दिनांक 13.05.2013 को आयोजित द्वितीय असाधारण आम–सभा बैठक (2nd Extra Ordinary General Meeting) में अनुमोदित कर दिया गया है। यह राशि ग्राहक – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOH&FW) की ओर से जमा, राष्ट्रीय मलेरिया रोधक कार्यक्रम–NAMP से प्राप्त टिप्पणी संख्या 15 तथा 4.77 लाख रूपये बकाया राशि हेतु अल्पअवधि ऋण एवं अग्रिमों की टिप्पणियों के तहत एन.ए.एम.पी.फण्ड के वित्तीय विवरणों में शामिल है। जैसा कि असाधारण आम–सभा बैठक (Extra Ordinary General Meeting) में निर्णय लिया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस मामले से जुड़े व्यक्तिओं / खामिओं के लिये जिम्मेदार संगठन की जांच तथा खामिओं का पता लगाने के लिये विवाचन / न्यायालयों के आदेशों का दायित्व निभाने तथा मामले से जुड़ी खामिओं / भूल / चूक की जांच (Inquiry) स्थापित करने के लिये निवेदन किया गया है। विशेषरूप से इन तथ्यों को देखते हुए पुरस्कृत कार्यों में इन भूल–चूकों के कारणों के लिये संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है तथा इसके विवाचन में एच एस सी सी विवाचनार्थ उत्तदायी नहीं है। देयताओं के संबंध में, यदि कोई हो तो, एच एस सी सी से संबंधित तत्वों का पता लगाकर उन्हें उसी वर्ष में निपटा लिया जाता है। एच एस सी सी इस संबंध में किसी भी दायित्व को छोड़ने के लिये जिम्मेवार नहीं है।

III. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत, आंकलन अधिकारी द्वारा उठाये गये आयकर मांग के लिये कोई भी प्रावधान 4,287,870 रूपये के निर्धारण वर्ष 2013–14 के लिये नहीं दिये गये हैं, जो 6 महीने से अधिक के लिये बकाया हैं।

IV. कम्पनी के आंतरिक लेखा–परीक्षक द्वारा विभिन्न–खातों की सघन एवं गंभीरता से रिकेनसिलेशन के बाद, कुछ अज्ञात प्रविष्टियां देखी गईं, जिन्हें बाद में बैंक से पुष्टि की गई थी। तत्पश्चात, इण्डियन ओवरसीज बैंक, सैक्टर–1, नौएडा में खुले कम्पनी के खातों के साथ इस अज्ञात लेन–देन को किया गया था। यह पाया गया कि कम्पनी के कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी से यह लेन–देन किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान, इस लेन–देन की राशि 24152087.00 (दो करोड़ इक्तालिस लाख बावन हजार सत्तासी रूपये) तथा नवम्बर, 2015 में 5955407.00 (उनसठ लाख पचपन हजार चार सौ सात रूपये) अज्ञात पार्टियों द्वारा की गई थी, जोकि संदिग्ध पायी गई है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही में यह लेन–देन नाटिस में आया था। इस संदर्भ में, नोएडा पुलिस ने इस केश की प्राथमिकी दर्ज की है और संबंधित कर्मचारियों एवं पार्टियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।

V. ग्राहकों से मिलने वाली निधियों से निकलने वाली निष्चित जमा राशि पर ग्राहकों को जमा किये जाने वाले ब्याज की सही राशि का पता लागाने के लिये, अनुबंधों के नियमों और शर्तों के अनुसार उपलब्ध राशि को अलग बैंक खातों में रखा गया है। वर्ष के दौरान, विभिन्न सिविल परियोजनाओं के निष्पादन से 137989.78 लाख रूपये (गत वर्ष 89700.34 लाख रूपये) प्राप्त हुये हैं।

VI. वर्ष के दौरान, गत वर्ष की तुलना में 15.30 करोड़ रूपये की ब्याज आय में कमी आई है। गत वर्षों में जहां अनुबंधों की शर्तें ग्राहक धन पर ब्याज आय को जमा करने के मामले में अज्ञात था, ब्याज आय को कम्पनी के हित तथा हिसाब में लिया गया था। दिनांक 06.09.2016 को आयोजित बोर्ड की 145वीं बैठक के प्रस्ताव के अनुसार, इस तरह की सभी जमा राशिओं पर अर्जित किये गये ब्याज को ग्राहक के खातों में मान्यता दी जाती है।

VII. दिनांक 31.03.2017 तक मंत्रालय / ग्राहकों की ओर से तथा उनके लिये, विदेशी पत्रों की 3265.13 लाख रूपये (गत वर्ष 1067.96 लाख रूपये) की बकाया राशि आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में खोली गयी है। हालांकि, प्रबंधन इन मामलों में कम्पनी पर किसी भी दायित्व की उम्मीद नहीं करता है।

VIII. माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत, दिनांक 31.03.2017 तक (गत वर्ष शुन्य रूपये) ग्राहक की ओर से उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहचान के रूप में, ना तो मूलधन और ना हीं ब्याज सामने आया है।

IX. कम्पनी ने विविध देनदारों को पुष्टिकरण पत्र (Confirmation Letter) भेजा है किन्तु उनकी ओर से आज तक कोई जवा प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालयों / ग्राहकों की ओर से अधिकतर पार्टियों के खातों में जमा राशिओं और विभिन्न शेष राशियों में एच एस सी सी द्वारा ट्रेड–पेयेबल, लीज–डिपोजिट, ई.एम.डी. E.M.D. तथा सिक्योरिटी डिपोजिट और विविध लेनदारों, जमा राशिओं की पुष्टि शेष राशि निपटारा होने पर कर दिया जाता है।

X. ग्राहकों के कार्यों में ट्रेड–पेयेबल – विविध लेनदारों के क्लैम न किये गये खातों का निपटारा उन्हें स्थानातंरित करके संबंधित ग्राहक खातों को उसी वर्श उनसे निपटाये खातों के अनुसार समाशोधित कर लिये जाते है।

XI. अ–समायोजित राशि जो ग्राहकों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राज्य सरकारों, सरकारी अधीनस्थ निकायों, लोक उधम विभागों इत्यादि) के खाते में पिछले 4 वर्षों से पड़े 2345.79 लाख रूपये (गत वर्ष 1387.81 लाख रूपये) जिसमें कायिक खाते (Corpus Account) में पड़े 681.54 लाख रूपये (गत वर्ष 865.68 लाख रूपये) सहित को उनके साथ उसी वर्ष चुकता किया जाता है।

XII. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के कल्याणार्थ अनुमोदित कर्मचारी चिकित्सा एवं कल्याण न्यास में क्रमशः 29.10 लाख तथा 17.70 लाख रूपये (गत वर्ष प्रत्येक पर 26.85 लाख तथा 16.20 लाख रूपये) का अंशदान किया है। हालांकि, बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कम्पनी की सटीक दायित्व रिपोर्टिंग तिथि पर पता लगाया नहीं गया है।

III. वर्ष 2016–17 हेतु 120.47 लाख रूपये (गत वर्ष 318.14 लाख रूपये) बकाया व्यय सहित प्रदर्शन संबंधित वेतन (Performance Related Pay–PRP) भी शामिल है।

XIV. लेखा–परीक्षकों का भुगतान (Payment of Auditors)

वित्तीय विवरणों में दिखाये गये सेवा कर के वर्तमान वर्ष में ऑडिट फीस गत वर्ष के मुकाबले 4.85 लाख रूपये शामिल हैं, जैसा कि दिनांक 06.09.2016 को आयोजित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 145वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

XV. बोर्ड निदेशकों के मतानुसार, 31.03.2017 से लागु चालू सम्पत्तियों एवं ऋणों तथा अग्रिमों की राशि साधारण मानकानुसार कारोबार में कम से कम उक्त राशि दर्शाई गई तारीख के बराबर ही है जोकि तुलन पत्र के शूरू में वर्णित की गई है।

XVI. वर्ष 2016–17 के लिये कम्पनी की स्थायी सम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन सनदी लेखाकारों की एक स्वायत्त फर्म द्वारा किया जाता है। सत्यापन में पाई गई अनुपयोगी संपत्ति कम्पनी के महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार इसके साथ पेश की गई हैं। भौतिक सत्यापन के आधार पर किये गये बदलाव अल्प थे जिनका खातों के साथ निपटारा किया गया है।

XVII. विदेशी मुद्रा के संदर्भ में (मुद्रा परिवर्तनों सहित) की सूचना :

(रूपये लाख में)

विवरण	2016–17	2015–16
विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय :		
– यात्रा	6.03	9.88
– सी. आई. एफ. आधार पर आयात		
लागत पूंजीगत माल (ग्राहकों की ओर से)	2535.80	2740.22

XVIII. लेखा मानक – 15 के तहत प्रकटण ''कर्मचारियों के हित–लाभ "Employees Benefits"

'' कर्मचारियों के हित–लाभ में '' से संबंधित प्रणाली का प्रकटन निम्नलिखित है :–

(क) निर्धारित अंशदान योजना (Defined Contribution Plan)

i. भविष्य निधि (Provident Fund)

कम्पनी की नीति प्रतिभूतियों में धन निवेश करती है जिसके लिये अलग ट्रस्ट अर्थात '' एच एस सी सी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट '' के लिये पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि के लिये निश्चित योगदान देता है जो अनुमोदित प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। वर्ष के लिए कोष में योगदान व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि खाते में समाशोधित कर लिया जाता है। प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों के योगदान पर न्यूनतम दर का भुगतान करने

की आवश्यकता है। ट्रस्ट में कमी, यदि कोई हो, तो इस तरह की न्यूनतम ब्याज दर के भुगतान के कारण कम्पनी द्वारा वहन किया जाता है और इसे लाभ एवं हानि खाते में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने नियोक्ता की ओर से अंशदान के रूप में भविष्य निधि में 133.65 लाख रूपये (गत वर्ष 95.85 लाख रूपये) का योगदान किया है। कम्पनी ने न्यूनतम ब्याज दर के भुगतान के कारण 5.81 लाख रूपये (गत वर्ष शून्य रूपये) की कमी का योगदान दिया है तथा जैसा कि कम्पनी की लागत के रूप में लाभ एवं हानि खाते में यह मान्यता प्राप्त है।

ii. चिकित्सा सुविधा (Medical Facility)

वर्ष के दौरान कम्पनी की ओर से ट्रस्ट के तहत लाभ एवं हानि लेखा में 29.09 लाख रूपये (गत वर्ष 26.85 लाख रूपये) का योगदान दिया गया है जिसमें सतत कर्मचारियों की बिमारियों का खर्चा भी शामिल है।

(ख) दीर्घ–कालीन योजनाएं (Long Term Plan)

i. उपदान (Gratuity)

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार तथा उन्हें वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित अनुसार मान्यता दी जाती है :–

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1.	**सदस्यता विवरण**		
	सदस्यों की संख्या	172.00	163.00
	औसत आयु (वर्ष)	40.30	40.17
	औसत मासिक आय (रूपये)	53815.35	50204.39
	औसत पूर्व सेवा (रूपये)	9.85	9.67
2.	**बीमांकक धारणाएं**		
	मृत्यु संख्या दर	एल.आई.सी. (2006–08) अंतिम	एल.आई.सी. (2006–08) अंतिम
	वापसी दर	1 % से 3 % आयु पर निर्भर	1 % से 3 % आयु पर निर्भर
	छूट दर	8 % वार्षिक	8 % वार्षिक
	आय वृद्धि	7 % वार्षिक	7 % वार्षिक
3.	**परिणामों का मूल्यांकन**		
	गत–सेवा हित–लाभ का पी.वी.	438.37	385.39
	वर्तमान सेवा लागत	25.68	23.60
	कुल सेवा उपदान	1214.75	1101.01
	प्रोद्भूत उपदान	569.62	499.04
	एल सी एस ए (L C S A)	645.13	601.97
	नवीकरण दिनांक से फण्ड राशि	415.95	404.81

वर्ष के दौरान कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ नीति के अनुसार उपदान के लिये योगदान 5.11 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

ii. छुट्टी प्रतिपूर्ति (Leave Encashment)

अनुपस्थिति हेतु मुआवजा घटकों का सारांश निम्नलिखित है (छुटटी प्रतिपूर्ति)

I. वर्तमान मूल्य पर आभार में परिवर्तन

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(क)	कार्यकाल की शुरूवात पर आभार का वर्तमान मूल्य	626.46	550.71
(ख)	लाभांष लागत	50.11	42.68
(ग)	वर्तमान सेवा लागत	84.74	71.21
(घ)	किया गया हित–लाभ भुगतान	(29.99)	(55.92)
(ड)	वास्तविक (प्राप्त) / आभार पर हानि	45.63	17.78
(न)	कार्यकाल के अन्त में आभार का वर्तमान मूल्य	776.95	626.46

II. लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किये गये खर्चे

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(क)	वर्तमान सेवा मूल्य	84.74	71.21
(ख)	लाभांश लागत	50.11	42.68
(ग)	वास्तविक (प्राप्त) निवल / कार्यकाल में दर्ज हानि	45.63	17.78
(घ)	लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किये गये खर्चे	180.48	131.68

III. देयताओं में संचलन को तुलन–पत्र में दर्ज किया गया

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(क)	अथ निवल देयता	226.46	550.71
(ख)	उपरोक्त खर्च	180.48	131.68
(ग)	भुगतान किये गये हित–लाभ	(29.99)	(55.92)
(घ)	शेष निवल देयता	776.95	626.46

IV. देयताओं में संचलन को तुलन–पत्र में दर्ज किया गया

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(क)	छूट दी गई दर (%)	7.54	8.00
(ख)	भविष्य में वेतन–वृद्धि (%)	5.50	5.50
(ग)	सेवा–निवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60

XIX. प्रतिवेदन अंश (Segment Reporting)

(क) कारोबार अंश (Business Segment)

लेखा मानक टिप्पणी कारोबार अंश (Business Segment) संख्या ए.एस.–17 के मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर, कम्पनी की व्यावसायिक गतिविधियों में उसका कारोबार निर्माण गतिविधियां, परामर्श, उपकरणों की आपूर्ति, चिकित्सा आदि से संबंधित है। अतः इसके सभी प्रचालक आन्तरिक संबंधित हैं जो कारोबार अंश (Business Segment) संख्या ए.एस.–17 के लेखा मानक के अन्तर्गत एकल खण्ड के तहत आते हैं।

(ख) भौगोलिक अंश (Segment Reporting)

जैसा कि विदित है कम्पनी की गतिविधियां मुख्य रूप से देश के भीतर ही चल रही हैं तथा उसके उत्पाद / सेवाओं की प्रकृति उसमें सौदों पर विचार करके / निर्भर करता है, अतः उसके परिचालन जोखिम और रिटर्न सभी वही है और यही इसका भौगोलिक क्षेत्र भी है।

XX. गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित करके एवं उनका दौबारा से ग्रुप बनाकर जहां तक आवश्यक है उन्हें वर्तमान वर्ष के लिये तुलनीय बनाया गया है।

XXI. परिचालन लाभ (Operating Profit)

परिचालन लाभ 38,48,24,472 रूपये की गणना की गई है इस पर निम्नरूप से काम कर रही कम्पनी की आय शून्य से परिचालन व्यय पर विचार किया।

	राशि (रूपये)
असाधारण और असाधारण मद पूर्व लाभ	55,69,38,637/–
घटायें :– अन्य आय	17,21,14,165/–
परिचालन लाभ	38,48,24,472/–

XXII. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा टैक्स की मांग का कोई प्रावधान उठाया गया है तथा रिपोर्टिंग तिथि से छह महीने की अवधि के मध्य निर्धारण वर्ष 2013–14 में 42,87,870 रूपये की मांग के लिये कोई देयता बकाया नहीं है।

XXIII. लेखा मानक – 18 के तहत प्रकटन ''पार्टी से संबंधित प्रकटन'' "Related Party Disclosures"

संबंधित पार्टी लेन–देन में निम्नलिखित है :–

(क)	सहायक इकाईयां	–	शुन्य
(ख)	साथी सहायक इकाईयां	–	शुन्य
(ग)	संबंधित पार्टियां	–	शुन्य

(घ) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

	नाम	संबंध का प्रकार
(i)	श्री ज्ञानेश पाण्डेय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
(ii)	श्री एस. के. जैन निदेशक (इंजीनियरिंग)	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(ड़) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

पारिश्रमिक खर्चों सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (इंजीनियरिंग) तथा श्री आर. के. पाठक, उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव को पारितोशिक के तौर पर 82.46 लाख रूपये (गत वर्ष 80.19 लाख रूपये) दिये गये प्रतिपूर्ति खर्चों का विवरण उपरोक्त वर्णित पैरा में उल्लेख कर दिया गया है :–

(रूपये लाख में)

	2016–17 (रुपये लाख में)			2015–16 (रुपये लाख में)			
विवरण (देय / देने योग्य)	सी.एम.डी.	निदेशक (इंजीनियरिंग)	कुल	सी.एम.डी.	निदेशक (इंजीनियरिंग)	उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा कम्पनी सचिव	कुल
वेतन एवं भत्ते	32.69	31.39	64.08	23.01	23.88	11.43	58.32
भविष्य निधि में अंशदान	2.31	2.34	4.65	2.09	2.16	1.10	5.35
मकान किराया (निवल)	5.41	4.80	10.21	5.46	4.82	2.34	12.62
चिकित्सा	0.08	0.64	0.72	0.05	0.54	0.30	0.89
अन्य परिलब्धियां	1.15	1.45	2.60	1.10	1.38	0.23	2.71
स्टॉफ वेलफेयर ट्रस्ट में अंश–दान	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.30
कुल	**41.74**	**40.72**	**82.46**	**31.81**	**32.88**	**15.50**	**80.19**

इसके अलावा, उक्त पारिश्रमिक में उपदान योजना तथा सामूहिक बीमा योजनाओं एवं छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया है।

XXIV.अर्जित प्रति शेयर से संबंधित लेखा मानक – 20 "Earing Per Share"

	प्रति शेयर उपार्जन का परिकलन (Calculation of E.P.S.)	2016–17	2015–16
क.	इक्विटी शेयर–धारकों को वर्ष हेतु आरोप्य निवल लाभ	376095931	546154750
ख.	वर्ष के दौरान शेष बचे इक्विटी शेयरों की संख्या	240018	240018
ग.	प्रति शेयर मूल उपार्जन	1566.9488	2275.4741
घ.	प्रति शेयर कम की गई आमदनी	1566.9488	2275.4741
ड.	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रूपये)	100	100

XXV.पेंशन (Pension)

सार्वजनिक उद्यम विभाग का सेवानिवृत्ति लाभ के लिये परिभाशित योगदान योजना के संबंध में सभी सी.पी.एस.ई. कार्यालयों के लिये दिनांक 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08–डी.पी.ई.(डब्ल्यू.सी.), जी.एल. –VIII/09 के तहत, पेंशन फण्ड की दिशा में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.01.2007 से 6,17,94,086/– रूपये कुल राशि को खातों में मंजूरी अनुमोदन किया गया है। एकदम उसी वर्तमान वर्ष में विशिष्ट गणना के आधार पर लेखा–खातों में प्रदान किया गया है जिसमें पेंशन–फण्ड की योजना को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी है।

XXVI.वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग की ओर से भेजे गये दिनांक 05.01.2016 के कार्यालय ज्ञापन एफ.नम्बर 3(3)–बी (एस) / 2015 के तहत, कम्पनी के निदेशक मण्डल ने अपने इक्विटी शेयर–होल्डर्स को वित्तीय वर्ष 2016–17 में 30% कर पश्चात लाभ – PAT (गत वर्ष कर पश्चात लाभ का 30%) के वार्षिक लाभांश की घोषणा की है। इस वर्श 11,28,28,780/– रूपये (गत वर्ष 16,38,46,425/– रुपये) प्रस्तावित लाभांश राशि की घोषणा की गई है।

XXVII.क्षति के कारण हुये घाटे का किसी भी लेखा बहियों का कोई भी दायित्व/देयता नहीं है, यदि कोई हो तो, देयता परियोजनाओं के संबंध में लम्बित निपटाने योग्य राशि और ग्राहक के साथ खातों की सुलह पर उत्पन्न होने वाली सम्भावनाएं जो पूरी हो चुकी हैं या दिनांक 31.03.2017 से वे परियोजनाएं जिन पर कार्य प्रगति पर हैं उन्हें निपटाने के लिये वर्ष में कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

XXVIII.दिनांक 31.03.2017 से कम्पनी द्वारा जमा ना किये गये आयकर तथा सर्विस टैक्स का विवरण निम्नलिखित दिया गया है :–

कानून का	देयों की प्रकृति	राशि शामिल	जिस अवधि के लिए रशि संबंधित है	किस प्राधिकरण के तहत विवाद लंबित है	किस के तहत भुगतान किया गया
आयकर	आयकर	232.60 लाख	कर निर्धारण वर्ष 2014–15	सी.आई.टी. (अपील)	––
सर्विस टैक्स	सर्विस टैक्स	529473/– तथा ब्याज और इसके बराबर दण्ड की राशि	अक्टूबर 2009 सितम्बर 2010	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील)	39720
सर्विस टैक्स	सर्विस टैक्स	1005498/– तथा ब्याज और इसके बराबर दण्ड की राशि	अप्रैल 2010 – मार्च– 2012	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील)	318466/–
सर्विस टैक्स	सर्विस टैक्स	264437/– तथा ब्याज और इसके बराबर दण्ड की राशि	जनवरी, 2004	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील)	19,840/–

XXIX.विनिर्दिष्ट बैंक नोटस पर प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, दिनांक 30.03.2017 की एम.सी.ए. अधिसूचना में परिभाशित जी.एसआर 308(ई) अनुसार कम्पनी ने बैंक नोटस या अन्य मूल्य–निर्धारण नोट निर्दिष्ट किये थे जिसका 9 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान आयोजित औ किये गये निर्दिश्ट बैंक नोटों के विवरण पर, अधिसूचना के अनुसार एस.बी.एन. और अन्य टिप्पणियां नीचे दी गई हैं :

रूपये में

	एस. सी. एन.	अन्य निर्दिष्ट टिप्पणियां	कुल
09.11.2016 को हस्थगत नकद की समाप्ति	-	2883	2883
(+) अनुमति प्राप्त प्राप्तियां	-	-	-
(+) बैंकों से निकाली गई राशि	-	180000	180000
(-) बैंकों में जमा की गई राशि	-	-	-
(-) अनुमत भुगतान	-	153936	153936
30.12.2016 को हस्थगत नकद की समाप्ति	-	28,947	28,947

ऊपर 1 से 20 निर्दिष्ट सहपत्र टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग है।

यह तुलन–पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते एल सी कैलाश एवं सहभागी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 001811N

भागीदार : एल. सी. गुप्ता
सदस्यता संख्या : 005122

कृते निदेशक मण्डल एवं उसकी ओर से

ह0/–
(ज्ञानेश पाण्डेय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 03555957

ह0/–
(एस. के. जैन)
निदेशक (इंजीनियरिंग)
डीआईएनः 06573103

ह0/–
(सौरभ श्रीवास्तव)
मुख्य–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

ह0/–
(अजय सूरी)
उप–महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

स्थान : नौएडा
दिनांक : 25.09.2017

सतर्कता कार्य–कलाप

कम्पनी में अलग से कोई सतर्कता एकक नहीं है। दिनांक 14.11.2014 से तीन वर्ष की अवधि के लिये महाप्रबंधक (विद्युत) श्री राजीव कुमार अग्रवाल, कम्पनी में अंश–कालिक, मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग मैनेमैंट के महत्वपूर्ण विभाग के रूप में कार्यरत है। वार्षिक रिपोर्ट तिमाही प्रगति रिपोर्ट, निजी विदेशी दौरे, मासिक रिपोर्ट, तथा सी.टी.ई. के जवाब सांविधिक एजेंसियों को समयानुसार भिजवा दी जाती है। सतर्कता आयोग से प्राप्त दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन किया जाता है तथा संबंधित निवारक तत्वों को अपनाया जाता है।

एवं मांगी गये तत्वों को समय पर उचित माध्यम से दिया जाता है। वर्तमान प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में अग्रेषित सुधार एवं उन्नति हेतु उनकी समीक्षा जारी है तथा कम्पनी के कार्यकलापों में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये कारगर कदम उठाये गये हैं। कर्मचारियों में उच्चतम नैतिकता बनाये रखने के लिये कम्पनी में 31 अक्टूबर, 2016 से 5 नवम्बर, 2016 के दौरान **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** मनाया गया है। यहां सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह–2017

एच एस सी सी मुख्यालय में 71वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उल्लास और उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर श्री ज्ञानेश पाण्डेय, सी एम डी, एच एस सी सी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सभी को सम्बोधित किया। इस दौरान, अपने अध्यक्षीय उद्बबोधन में उन्होंने सफलता की नई ऊंचाईयों को छूने के लिए कंपनी के समस्त कर्मचारियों को प्रेरित करने का आह्वाहन किया। इसके अतिरिक्त, वृक्षा रोपण के मद्देनजर, उन्होंने एक पौधा लगाया तथा सभी कर्मचारियों द्वारा एक–एक पौधा लगाकर इस अवसर की सार्थकता सिद्ध की।

वरिष्ठ अधिकारी एवं विभाग प्रमुख

श्री एस. ए. उस्मानी
मुख्य महाप्रबंधक

श्री वी. वी. गोविन्दा राव
मुख्य महाप्रबंधक (पी.जी.–I)

श्री एस. सी. गर्ग
मुख्य महाप्रबंधक (पी.जी.–II)

श्री सौरभ श्रीवास्तव
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

श्री करम वीर खन्ना
सूचना तकनीकी विभाग

श्री प्रमोद कुमार
प्रापण

श्री पी. के. भाटिया
ऋषिकेश

श्री राजीव
पी. एच. ई.

श्री एस. सामन्ता
तेजपुर

श्रीमती मोनिशा तनखा
सिविल

श्री आर. के. अग्रवाल
विद्युत

श्री देबाशिश बंद्योपाध्याय
प्रापण एवं विशेष परियोजनाएं

श्री शिवन्ना
शिलाँग

एच एस सी सी के कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय :

205 (द्वितीय तल), ईस्ट एण्ड प्लाजा,
प्लॉट न. 4, डी. डी. ए. – एल. एस. सी., सेंटर – II
वसुंधरा इन्कलेव, दिल्ली – 110096
सी.आई.एन. संख्या : U 74140 DL 1983 GOI 015459

कॉरपोरेट कार्यालय :

ई – 6 (ए), सैक्टर – 1,
नौएडा – 201301 (उत्तर प्रदेश)

परियोजना एवं साईट कार्यालय :

असम

लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई,
क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,
प्रथम तल, एक्स–पुलिस लाईन
नजदीक काली मंदिर, पोस्ट– तेजपुर
जिला– सोनितपुर, पिन – 784001 (असम)

छत्तीसगढ़

मकान नम्बर : बी–19/7, नजदीक पानी की टंकी,
न्यू राजेन्द्र नगर,
रायपुर – 492001 (छत्तीसगढ़)

प्रमुख साइट कार्यालय (MAJOR SITE OFFICES)

01. एम्स, झझर, हरियाणा हेतु राष्ट्रीय कैंसर संस्थान
02. कोचिन केंसर एवं अनुसंधान केन्द्र – एर्रनाकुलम, केरल
03. सिलीगुड़ी में ई.एस.आई.सी. हेतु 100 बिस्तरों वाला अस्पताल
04. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा संबंधित अस्पतालों का पुनर्विकास, नई दिल्ली
05. नर्सिंग कालेज का उन्नयन – राजकुमारी अमृत कौर, नई दिल्ली
06. एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में नया पेड–वार्ड
07. एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में होस्टल ब्लॉक
08. एम्स (AIIMS), रायबरेली में हाऊसिंग ब्लॉक का निर्माण
09. एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में सर्जिकल ब्लॉक
10. एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में मातृ एवं शिशु ब्लॉक
11. एम्स (AIIMS), नई दिल्ली में नया ओ.पी.डी. ब्लॉक
12. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (PGIMER) का सेटेलाईट सेंटर, संगरूर (ओ.पी.डी. तथा मुख्य कार्य)
13. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (N R H M) – छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरला तथा हिमाचल प्रदेश
14. न्यूरो साईंसेज, निम्हास (NIMHANS), बेंगलूरू में अति–विशिष्ठ ब्लॉक का निर्माण
15. राष्ट्रीय पशु बायो–टैक्नोलाजी संस्थान, हैदराबाद
16. पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान, पूणे हेतु वैक्सीन प्रसंस्करण सुविधाएं

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (फेस III) के तहत मेडिकल कॉलेज/संस्थानों का उन्नयन

17. आई.आई.टी. खड़गपुर हेतु 750 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण (फेस I – 400 बिस्तर)
18. नये एम्स (AIIMS) के लिए आवासीय एवं होस्टल कॉम्पलैक्स, भुवनेश्वर
19. पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) के तहत, कोलकाता चिकित्सा महाविद्यालय (K M C), कोलकत्ता हेतु अति– विशिष्ट ब्लॉक, ओ.पी.डी. एवं शैक्षिक ब्लॉक का निर्माण
20. नाहरलागुन, अरूणाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल का उन्नयन
21. नाहन, हमीरपुर तथा चम्बा, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज
22. क्षेत्रीय पेरामेडिकल एवं नर्सिंग साईसेंज संस्थान (RIPANS), आईजोल
23. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (R I M S), इम्फाल में यू.जी. सीटों को 100 से 150 में बढ़ाने का कार्यान्वयन

पी.एम.एस.एस.वाई. (PMSSY) के तहत उन्नयन परियोजनाएं, फेस – III

- रीवा
- बहरामपुर
- उदयपुर
- ग्वालियर
- पटियाला
- बीकानेर
- जबलपुर
- बुरला
- औरंगाबाद
- विजयवाड़ा
- डिब्रुगढ़
- झांसी
- कोटा
- गुवाहाटी
- शिमला
- इलाहाबाद
- लातूर
- पणजी (गोवा)
- दार्जिलिंग

24. नागपुर, कल्याणी तथा गुँटूर में नया एम्स (AIIMS)
25. मिजोरम चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, फालकॉन, मिजोरम (AIIMS)
26. पाली, राजस्थान में 100 इन्टेक मेडिकल कॉलेज
27. डा. आर. पी. मेडिकल कॉलेज, कांगडा हेतु हाऊसिंग एवं होस्टल का निर्माण

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स एल सी कैलाश एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
122–124, मॉडल बस्ती,
नई दिल्ली – 110005

आंतरिक लेखा परीक्षक

मैसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार,
4, शिवाजी मार्ग,
नई दिल्ली – 110015

सचिवालीय लेखा परीक्षक

मैसर्स प्रवीण रस्तोगी एण्ड कम्पनी
कम्पनी सचिव
फ्लैट नम्बर 3, सूद बिल्डिंग
तेल मिल रोड,
राम नगर, पहाड़गंज,
नई दिल्ली – 110055

बैंकर्स

इंडियन ओवरसीज बैंक
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
बैंक ऑफ बड़ौदा
भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक
यूको बैंक
कॉरपोरेशन बैंक
एच डी एफ सी बैंक
ओरिएंटल बैंक
एक्सिस बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)
(एक मिनी–रत्न कम्पनी)

कारपोरेट कार्यालयः
ई–6 (ए), सैक्टर–1, नौएडा – 201 301 (उ0प्र0)
फोन : 0120-2542436, 37, 38, 39, 40
फैक्स : 0120-2542447, 2533001
सी.आई.एन. संख्या : यू74140डीएल1983जीओआई015459
वेबसाइट : www.hsccltd.co.in

www.paromita.org